व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्या 47)

[30 दिसम्बर, 1999]

वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापारिक चिह्नों के बेहतर संरक्षण तथा पंजीकरण तथा कपटपूर्ण चिह्नों के प्रयोग के निवारणार्थ व्यापारिक चिह्नों से सम्बन्धित विधि को संयोजित तथा संशोधित रीति से अधिनियमित करते हुए अधिनियम पारित किया जाता है।

भारतीय गणतंत्र के 55वें वर्ष संसद द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है—

अध्याय-1

प्रारंभिकी

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को प्रवर्तन में आएगा जो तिथि शासकीय राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा नियत की जाए[1] :

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी, तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के सम्बन्ध में ऐसे उपबंधों का निर्देश उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के निर्देश के रूप में अर्थान्वित होगा।

2. परिभाषा तथा निर्वचन—(1) इस अधिनियम में जब तक अन्यथा संदर्भित न हो प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्नवत् लगाया जाएगा—

(क) ''अपीलीय बोर्ड'' का तात्पर्य धारा 83 के अधीन स्थापित अपीलीय बोर्ड से होगा,

(ख) ''समनुदेशन'' का तात्पर्य सम्बन्धित पक्षकारों के कार्यों द्वारा लिखित समनुदेशन से लगाया जाएगा,

(ग) ''सामुदायिक व्यापारिक चिह्न'' का तात्पर्य इस रूप में माने गए व्यापारिक चिह्न या इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में पंजीकृत सामुदायिक व्यापारिक चिह्न से लगाया जाएगा।

(घ) ''पीठ'' का तात्पर्य अपीलीय न्यायालय की पीठ से होगा,

(ङ) ''अधिप्रमाणन व्यापारिक चिह्न'' का तात्पर्य ऐसे चिह्न से है जो कि वस्तुओं व सेवाओं के सम्बन्ध में भिन्नता को स्थापित करने में सक्षम हों जो कि व्यापार के अनुक्रम में प्रयुक्त किए जाने योग्य हैं, और जो उद्गम, वस्तु, सेवाओं के अनुपालन या वस्तुओं के विनिर्माण के सम्बन्ध में चिह्न सम्पत्तिधारी द्वारा अधिप्रमाणित हो, उन वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में जैसा कि अध्याय IX के अधीन वस्तुओं या चिह्नों का अधिप्रमाणन संपत्तिधारी के रूप में उस व्यक्ति के नाम से चिह्नांकित हो।

(च) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष से होगा,

---

1. 15 सितम्बर, 2003 द्वारा एस० ओ० 1048 (ई) दिनांकित 15-9-2003, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, अतिरिक्त, भाग II, धारा 3 (ii) दिनांक 15 सितम्बर, 2003।

(छ) ''संग्रहीत चिह्न'' का तात्पर्य व्यक्तियों की सेवाओं के संगठन या वस्तुओं के भिन्न चिह्न से होगा, (जो कि भारतीय भागिता अधिनियम,1932 के भावाबोध में भागीदार नहीं हैं) तथा जिनके संपदा का चिन्ह उनसे भिन्न है।

(ज) ''छल जनित समरूपता'' एक चिह्न दूसरे चिह्न से छल जनित समरूप माना जाएगा, यदि यह निकटगामी रीति से इस तरह सदृश हो कि इसके कारण अन्य चिह्न के सम्बन्ध में छल या संदेह का होना संभाव्य हो,

(झ) ''मिथ्या व्यापार वर्णन'' का तात्पर्य निम्न होगा—

(i) एक व्यापार अभिवर्णन जो कि असत्य है या उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में भुलावे की स्थिति पैदा करता हो जिन पर कि ये प्रयोज्य हैं;

(ii) उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापार अभिवर्णन का कोई संपरिवर्तन जिन पर कि ये प्रयोज्य हैं, भले ही ऐसा अतिस्थिरता द्वारा हो या अन्यथा हो, जहाँ पर इस तरह का संपरिवर्तन किए जाने से उनके संबंध में भुलावे की स्थिति उत्पन्न होती हो;

(iii) कोई व्यापार अभिवर्णन जिसकी विवक्षा यह हो कि वस्तुओं या सेवाओं पर प्रयोज्य मानक मीटर या यार्ड से अधिक मीटर या यार्ड का अभिकथन किया गया हो; या

(iv) कोई चिह्न सामुच्य या प्रबंधन, जो कि उस पर—

(क) ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में इस रीति से प्रयोज्य होती हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह विश्वास करना संभाव्य हो जाए कि इस तरह की वस्तु का निर्माणकर्त्ता मूल व्यक्ति से भिन्न व्यपदेशनकर्त्ता व्यक्ति ही है।

(ख) ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में इस रीति से प्रयोज्य होती हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह विश्वास करना संभाव्य हो जाए कि इस तरह की सेवाओं का धारणकर्त्ता मूल व्यक्ति से भिन्न व्यपदेशनकर्त्ता व्यक्ति ही है।

(v) वस्तु या सेवाओं पर प्रयोज्य किसी व्यक्ति का मिथ्या नाम या मिथ्या प्रारम्भिकी इस रीति से दिया जाना ताकि किसी मामले में व्यापार अभिवर्णन में सही रूप में ऐसे व्यक्ति का ही नाम या प्रारम्भिकी सही प्रतीत हो सके जहाँ कि नाम व प्रारम्भिकी—

(क) व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्न के भाग के रूप में नहीं है, और

(ख) वस्तु, वस्तु या सेवाओं के समतुल्य अभिवर्णन या दोनों के सम्बन्ध में कार्य व्यापार का संचालन करने वाले व्यक्ति के नाम या प्रारम्भिकी से छलयुक्त समरूपता या उसके आनुषांगिक है, विशिष्टतया उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि ऐसे नाम या प्रारम्भिकी को प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, और

(ग) इस तरह के काल्पनिक व्यक्ति का नाम या प्रारम्भिक या कुछ व्यक्ति के सम्बन्ध में हो जो कि सद्भावनापूर्ण रीति से इस तरह के कार्यव्यापार का संचालन न करते हों,

और यह तथ्य कि व्यापार अभिवर्णन व्यापार चिह्न या व्यापारिक चिह्न का भाग है इस तरह के व्यापार अभिवर्णन को इस अधिनियम के भावाबोध में मिथ्या व्यापारिक अभिवर्णन होने से निवारित नहीं करेगा।

(ञ) ''वस्तु (माल)'' का तात्पर्य किसी ऐसी चीज से है जो कि व्यापार या विनिर्माण का विषय है;

(ट) ''न्यायिक सदस्य'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अपीलीय बोर्ड के सदस्य से होगा, तथा इसके अन्तर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे;

(ठ) ''परिसीमा'' का तात्पर्य (इसके व्याकरणिक भावाबोध में) संपत्तिधारी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के अनन्य अधिकार से होगा, तथा इसमें उस अधिकार की वे रीति की परिसीमा, भारत या भारत राज्य क्षेत्र से परे इसके प्रयोग की परिसीमा सम्मिलित होगी;

(ड) प्रतीक, बांड, शीर्ष, लेबिल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, वस्तुओं के आकार, पैकिंग या रंगों को सामुच्यता या उनकी कोई सामुच्यता ''चिन्ह'' की कोटि में सम्मिलित होंगे;

(ढ) ''सदस्य'' का तात्पर्य अपीलीय परिषद के सदस्य का तकनीकी सदस्य से होगा, तथा इसमें अध्यक्ष का उपाध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे;

(ण) ''नाम'' में नाम का कोई संक्षेपासार सम्मिलित होगा;

(त) ''अधिसूचित'' का तात्पर्य रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित ट्रेड मार्क जनरल में अधिसूचित से है;

(थ) सन्दूक, कन्टेनर, कवरिंग, फोल्डर, यान, कास्केट, बोतल, वार्पर, लेविल, बैंड, टिकट, रील, फ्रेम, कैपसूल, कैपलिड, स्टायर, कार्क आदि ''पैकेज'' पदावली में सम्मिलित होंगें;

(द) ''पंजीकृत ट्रेड मार्क के सम्बन्ध में अनुज्ञेय प्रयोग'' का तात्पर्य निम्न द्वारा व्यापारिक चिह्न के प्रयोग से है—

(i) वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापार चिन्ह के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा—

(क) जो कि व्यापार के अनुक्रम से सम्बन्धित है, और

(ख) उसके सम्बन्ध में जिसके बावत व्यापार चिन्ह अवशिष्ट तथा समयाधीन रीति से पंजीकृत है, और

(ग) या उसके सम्बन्ध में जो कि पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकृत है; और

(घ) जो कि किसी ऐसी शर्त या परिसीमा का अनुपालन करता है, जो कि पंजीकृत प्रयोग के पंजीकरण का विषय है,

(ii) वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापार चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता या पंजीकृत सम्पत्तिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा—

(क) जो कि व्यापार के अनुक्रम से सम्बन्धित है,

(ख) उसके सम्बन्ध में जिसके बावत व्यापारिक चिह्न अवशिष्टतया समयाधीन रीति से पंजीकृत है, और

(ग) लिखित करार के अनुपालन में ऐसे पंजीकृत संपत्तिधारी को सहमति द्वारा,

(घ) और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि किसी ऐसी शर्त या परिसीमा का अनुपालन करता है जो कि पंजीकृत प्रयोग के पंजीकरण का विषय है।

(ध) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित से है,

(न) ''रजिस्ट्रर'' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रर होगा,

(प) ''पंजीकृत पद'' का (इसके व्याकरणीक भावाबोध में तात्पर्य) इस अधिनियम के अधीन किए गए पंजीकरण से लगाया जाएगा,

(फ) ''व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में पंजीकृत संपत्तिधारी'' का तात्पर्य समयाधीन रीति से रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए सम्पत्तिधारी से होगा।

(ब) ''पंजीकृत व्यापारिक चिह्न'' का तात्पर्य उस व्यापारिक चिह्न से है जो कि वस्तुतः रजिस्टर पर है और अवशिष्टतया प्रवर्तन में है।

(भ) ''पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि समयाधीन रीति से धारा 49 के अधीन इस रूप में पंजीकृत हों,

(म) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट व्यापारिक चिह्न के रजिस्ट्रार से होगा,

(य) ''सेवा'' का तात्पर्य किसी अभिवर्णन की सेवा से होगा, जो कि स्वस्थ प्रयोगकर्त्ता को उपलब्ध हो तथा इसमें औद्योगिक या वाणिज्यिक कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं के उपबंध सम्मिलित होंगे, जैसे बैंकिंग, संसूचना, शिक्षा, बीमा चिट फंड, वास्तविक संपदा, ट्रांसपोर्ट, भंडारण, तात्विक उपचार, विद्युत आपूर्ति या अन्य ऊर्जा, बोर्डिंग, लाजिंग, निर्माण, मरम्मत, समाचार या सूचनाओं का पारेषण तथा विज्ञापन,

(य-क) ''व्यापार अभिवर्णन'' का तात्पर्य किसी अभिवर्णन, कथन या अन्य निर्देशन से है तथा इसके प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) किसी वस्तु का भार या गेज, मापन, मात्रा तथा संख्या,

(ii) किसी वस्तु या सेवा की मात्रा का मानक व्यापार की मान्यता या साधारणतया प्रयोग के वर्गीकरण के आधार पर,

(iii) औषधि होने के कारण जैसा कि ड्रग्स तथा कास्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 का 23), में परिभाषित है, या ''खाद्य'' होने के कारण जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में परिभाषित है, तद्नुसार किसी वस्तु के व्यवहार अनुपालन, गुणवत्ता जनित प्रयोजनों की उपयुक्तता,

(iv) देश या स्थान के रूप में जिसमें या समय जिस पर मामले की स्थिति के अनुसार वस्तुएँ निर्मित की गईं या सेवाएँ उपलब्ध करायी गयीं,

(v) नाम या पता या विनिर्माण की पहचान के अन्य निर्देश या सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति या उस व्यक्ति के रूप में जिसके लिए विनिर्माण किया गया है या सेवा को उपलब्ध कराया गया है, या

(vi) या किसी वस्तु को विनिर्माण उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता के रूप में,

(vii) वस्तु के रूप में जिसे कि किसी भाग में मिश्रित किया गया है, या

(viii) अस्तित्वाधीन पेटेन्ट, विशेषाधिकार या कापीराइट के विषय के रूप में होने वाली कोई वस्तु,

और इसमें निम्न सम्मिलित होंगे—

(क) किसी चिह्न के प्रयोग के रूप में कोई अभिवर्णन, जिसे कि व्यापार की प्रथा के अनुसार साधारणतया पूर्वोक्त विषयों के किसी निर्देश के रूप में अंगीकृत किया गया हो,

(ख) निविष्टी के किसी बीजक में या पारेषण बीजक में दी गयी आयातित वस्तुओं के रूप में कोई अभिवर्णन,

(ग) कोई अन्य अभिवर्णन जिसका न समझना संभाव्य हो या कथित विषयों के किसी या सभी के प्रति भूल को अभिदर्शित कराता हो,

(य ख) ''व्यापार चिह्न'' का तात्पर्य ऐसे चिह्न से है जो कि प्रस्तरकार प्रतिनिधित्व के लिए सक्षम हो और जो कि उन अन्यों में से किसी एक की सेवा या वस्तु के मध्य भिन्नता स्थापित करने में सक्षम हो और इसमें माल या वस्तु की आकृति उनकी पैकिंग तथा रंगों की सामुच्यता आदि सम्मिलित होगी, और

(i) अध्याय 12 के सम्बन्ध में (धारा 107 से सुभिन्न) एक पंजीकृत व्यापार चिह्न या निर्देशन के प्रयोगनार्थ माल (वस्तु) या सेवा के सम्बन्ध में प्रयुक्त चिह्न या माल या सेवा के मध्य व्यापार के अनुक्रम के सम्बन्ध के तौर पर निर्देशन जैसा भी मामले में हो सके, और कुछ व्यक्ति जो कि चिह्न को प्रयुक्त करने हेतु संपत्तिधारी के रूप में अधिकार रखते हैं, और

(ii) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के सम्बन्ध में एक प्रयुक्त चिह्न या निर्देशन के प्रयोजनार्थ वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त किए जाने से प्रस्तावित या माल या सेवा के मध्य व्यापार के अनुक्रम के सम्बन्ध के तौर पर जैसा भी मामले में हो सके या कुछ व्यक्ति जो कि संपत्तिधारी के रूप में है या प्रयोगकर्त्ता द्वारा अनुमति प्रदान करने के कारण चिह्न का प्रयोग करता है, भले ही ऐसा उस व्यक्ति की पहचान के निर्देश के साथ हो या उसके बिना हो, और इसमें प्रमाणित व्यापारिक चिह्न या संग्रहीत चिह्न भी सम्मिलित होंगे।

(य ग) ''पारेषण'' का तात्पर्य होगा विधि के प्रवर्तन द्वारा पारेषण, मृतक व्यक्ति के निजी विधिक प्रतिनिधि पर निगमन तथा अन्तरण की अन्य रीति जिसमें समनुदेशन सम्मिलित नहीं होगा।

(य घ) ''तकनीकी सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे सदस्य से होगा जो कि न्यायिक सदस्य नहीं है,

(य ङ) ''न्यायाधिकरण'' का तात्पर्य रजिस्ट्रार या मामले की स्थिति के अनुसार अपीलीय बोर्ड से होगा जिसके समक्ष कार्यवही लंबित हो,

(य च) ''उपाध्यक्ष'' (वाइस चेयरमैन) का तात्पर्य अपीलीय बोर्ड के उपाध्यक्ष से लगाया जाएगा,

(य छ) किसी वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में ''अतिभिज्ञ व्यापार चिन्ह'' का तात्पर्य एक ऐसे चिह्न से है जो कि इस तरह से लोक के भाग के रूप में हो गया है जिनमें ऐसी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा हो या इस तरह की सेवा की जा रही हो ताकि अन्य

वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापार के अनुरूप के निर्देश के तौर पर प्रथमतः दी गई सेवा या वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों या धारणकर्त्ताओं व्यक्तियों के मध्य निर्देशित रीति से इस तरह की वस्तु या सेवा को अंगीकृत किया जा सके।

(2) इस अधिनियम में जब तक अन्यथा संदर्भित न हो तब तक निम्नवत् निर्देश लगाया जाएगा—

(क) व्यापार चिह्न का निर्देश इस रीति से लगाया जाएगा ताकि इसमें संग्रहीत चिह्न एवं अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न सम्मिलित हो सके,

(ख) चिन्ह के प्रयोग का अर्थान्यवन इस रीति से लगाया जाएगा कि निर्देश के तौर पर इनमें मुद्रण या चिह्नों का अन्य चित्रण प्रतिनिधित्व सम्मिलित हो सके,

(ग) चिह्न के प्रयोग का निर्देश—

(i) माल के सम्बन्ध में चिह्न के प्रयोग का निर्देश ऐसे माल के किसी भी अन्य सम्बन्ध में या किसी भौतिक सम्बन्ध में आधारित चिन्ह के प्रयोग से लगाया जाएगा,

(ii) सेवाओं के सम्बन्ध में चिह्न के प्रयोग का निर्देश चिह्न के प्रयोग के रूप में या उपलब्धता के बारे में किए गए किसी कथन के भाग के रूप में या, ऐसी सेवाओं के उपबंध या अनुपालन के रूप में लगाया जाएगा,

(घ) रजिस्ट्रार का तात्पर्य इस रीति से लगाया जाएगा ताकि निर्देशित रीति से इसमें धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी सम्मिलित हो सके।

(ङ) ट्रेड मार्क रजिस्ट्री का अर्थान्वयन इस रीति से किया जाएगा कि इसमें निर्देशित रीति से ट्रेड मार्क रजिस्ट्री का कोई कार्यालय सम्मिलित हो सके।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ यदि उस माल का बेचा जाना संभाव्य है या उसी व्यापार द्वारा उस सेवा को उपलब्ध कराया जा सकता हो तो माल तथा सेवाओं को आपस में सम्बन्धित होने के कारण उन्हें पृथक किया जा सकेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''अस्तित्वाधीन पंजीकृत चिह्न'' का तात्पर्य ''ट्रेड एण्ड मर्चेन्डीस मार्क्स एक्ट, 1958 (1958 का 43) के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व'' पंजीकृत किए गए व्यापार चिह्न से होगा।

अध्याय-2

रजिस्टर तथा पंजीकरण की शर्त

3. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को ''कन्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स डिजाइन्स एण्ड ट्रेडमार्क'' के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''ट्रेड मार्क'' का रजिस्ट्रार होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार यदि उचित समझे तो वह व्यक्तियों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार के अधीक्षण तथा निर्देश को कार्य करने के लिए इतने अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी जिनकी नियुक्ति कर आवश्यक समझती हो।

4. मामलों के अन्तरण या उन्हें वापस लिए जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की शक्ति—धारा 3 की उपधारा (2) पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रार अभिलिखित किए गए कारणों के अधीन लिखित आदेश द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को वापस ले सकेगा, और उसका निस्तारण वह स्वयं वापसी के स्तर से नए सिरे से कर सकेगा या, निस्तारण हेतु वह इस तरह से वापस लिए गए मामले को नियुक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर सकेगा जो अधिकारी अन्तरण के स्तर से मामले में कार्यवाही नए सिरे से करेगा।

5. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री तथा इसका कार्यालय—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक ट्रेड मार्क रजिस्ट्री होगा, और ट्रेड मार्क रजिस्ट्री "ट्रेड एण्ड मर्चेन्डीस मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन स्थापित होगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री होगा।

(2) ट्रेड मार्क रजिस्ट्री का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए, और व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण की सुविधा के प्रयोजनार्थ ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जा सकेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे।

(3) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन अभ्यान्तरिक सीमाओं को परिमाणित कर सकेगी जिनके भीतर ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(4) ट्रेड मार्क रजिस्ट्री की अपनी मुद्रा होगी।

6. व्यापारिक चिह्नों का रजिस्टर—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ट्रेड मार्क रजिस्टर कहलाने वाला एक अभिलेख ट्रेड मार्क रजिस्टरी के मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा, जिसमें सम्पत्तिधारी के अभिवर्णन नाम व पते के साथ सभी पंजीकृत व्यापारिक चिह्न निविष्ट किए जाएंगे, तथा इसमें समनुदेशन को अधिसूचना और पारेषण तथा पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता का नाम व पता—शर्तों परिसीमाओं एवं ट्रेड मार्क से सम्बन्धित अन्य विषय निविष्ट किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह रजिस्टर के अभिलेख को पूर्णतया या भागत: कम्प्यूटर फ्लापी, डिस्केट्स या सुरक्षा की दृष्टि से विहित किसी अन्य विद्युत प्रारूप में रखे।

(3) जहाँ इस तरह का रजिस्टर उपधारा (2) के अधीन पूर्णतया या भागत: कम्प्यूटर पर रखा गया है, तो रजिस्टर में की गई किसी भी निविष्टी का इस अधिनियम के अधीन निर्देश इस संदर्भ में लगाया जाएगा कि कोई भी किसी निविष्टी कम्प्यूटर पर या विद्युत विधा में रखी गयी है।

(4) विश्वासजनित कोई भी सूचना प्रत्यक्ष विवक्षित या आन्वयिक रीति से रजिस्टर में निविष्ट नहीं की जाएगी और इस तरह की नोटिस रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य नहीं होगी।

(5) रजिस्टर, रजिस्ट्रार के प्रबंधन तथा नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा।

(6) ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर की प्रति तथा धारा 148 में दिए गए अन्य दस्तावेज उस रीति में रखे जाएंगे जो रीति केन्द्रीय सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में की गयी अधिसूचना द्वारा निर्देशित की जाए।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अस्तित्वाधीन व्यापार चिह्न के रजिस्टर का भाग (क) तथा भाग (ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर के भाग के रूप में निगमित किए जाएंगे।

7. माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण— (1) व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार माल तथा सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण करेंगे।

(2) कोई माल या सेवा किस श्रेणी में आती है इस विषय में उठाए गए प्रश्न का विनिश्चय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा और इस बिन्दु पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. वर्णमाला सूची का प्रकाशन—(1) रजिस्ट्रार, धारा 7 में निर्दिष्ट माल तथा सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णमाला सूची का प्रकाशन विहित रीति में करेगा।

(2) जहाँ पर उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित माल तथा सेवा की वर्णमाला सूची में कोई माल या सेवा विनिर्दिष्ट नहीं है तो माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण धारा 7 की उपधारा (2) में विहित रीति के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

9. पंजीकरण की इंकारी के पूर्ण आधार—(1) व्यापारिक चिह्न—

(क) जो किसी सुभिन्न प्रकृति से रहित है, अर्थात् अन्य व्यक्तियों के मध्य किसी व्यक्ति के माल या सेवा को सुभिन्न करने की सक्षमता न रखता हो,

(ख) जो कि चिह्नों कि अनन्यता को या निर्देशन को गठित करता हो जो कि व्यापार के पदनाम प्रकार, गुणवत्ता आशायित प्रयोजन उपयोगिता, भौगोलिक उद्गम या माल के उत्पादन का समय या सेवा की धारणा या माल या सेवा की अन्य प्रकृति से सम्बन्धित हों।

(ग) जो चिह्नों की अनन्यता या निर्देशन से गठित होता हो जो कि चालू भाषा में प्रथागत हो तथा व्यापार के स्थापित अभ्यास में सद्भावना पूर्ण हो,

तो इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा :

बशर्ते कि व्यापार चिह्न के पंजीकरण से इंकार नहीं किया जा सकेगा, यदि पंजीकरण के आवेदन की तिथि के पूर्व प्रयोग के परिणामस्वरूप यह सुभिन्न प्रकृति अर्जित कर ले या यदि यह अति सुविज्ञ व्यापार चिह्न हो।

(2) एक चिन्ह को व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि—

(क) यदि यह इस प्रकृति का हो कि इससे जनता को छल या संदेह की स्थिति उत्पन्न होती हो,

(ख) इसमें कोई ऐसा विषय समाविष्ट हो जिससे भारत के नागरिकों के किसी वर्ग या किसी अन्य वर्ग की धार्मिक भावना के आहत होने की संभावना होती हो,

(ग) इसमें अपमानकारी या क्षोभकारी विषय समाविष्ट हो,

(घ) इसका प्रयोग "इम्ब्लेम एण्ड नेम्स (प्रिवेंशन आफ इम्प्रॉपर यूज़) 1950 के अधीन निषिद्ध हो,

(3) एक चिह्न व्यापार चिह्न के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा यदि यह अनन्यत: निम्न से गठित होता हो —

(क) मालों की आकृति जो कि स्वयं मालों की प्रकृति से प्रकट होता हो,

(ख) मालों की आकृति जिसके सम्बन्ध में तकनीकी परिणाम का प्राप्त किया जाना आवश्यक हो,

(ग) आकृति जो कि माल को मौलिक महत्त्व प्रदान करती हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ मालों या सेवाओं की प्रकृति के सम्बन्ध में जिसमें व्यापार चिह्न प्रयुक्त किया गया है, या इस तरह से प्रयुक्त किया जाना आशयित है, यह पंजीकरण से इंकारी का आधार नहीं होगा।

10. आकृति के रूप में परिसीमा—(1) एक व्यापारिक चिह्न आकृतियों (रंगों) की किसी सामूहिकता से भागिक या पूर्ण रूप से सीमित हो सकेगा, और ऐसी कोई परिसीमा व्यापारिक चिह्न की सुभिन्न प्रकृति पर न्यायाधिकरण द्वारा अंगीकृत रीति से विचार में विनिश्चय की दृष्टि से लाया जाएगा।

(2) आकृतियों की परिसीमा के बिना पंजीकृत व्यापारिक चिह्न, सभी आकृतियों (रंगों) में पंजीकृत माना जाएगा।

11. पंजीकरण से इंकारी के सम्बन्धित आधार—(1) सिवाय धारा 12 में उपबंधित रीति के सिवाय एक व्यापारिक चिह्न पंजीकृत नहीं माना जाएगा, यदि,—

(क) यदि प्रारम्भिक ट्रेड मार्क के साथ इसकी पहचान तथा मालों की समरूपता या ट्रेड मार्क द्वारा अच्छादित सेवा, या

(ख) प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न से इसकी समरूपता, और पहचान या ट्रेड मार्क द्वारा आच्छादित सेवाओं या माल से,

जनता के मन में संदेह होने की संभावना अस्तित्वाधीन हो, जिसमें प्रारम्भिक व्यापार चिह्न के संयोजन की संभावना भी सम्मिलत होगी।

(2) एक व्यापारिक चिह्न जो कि—

(क) प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न के आनुषांगिक या समरूप हो, और

(ख) ऐसे माल या वस्तु का पंजीकरण होना हो जो कि उनके समरूप न हो जिनके नाम प्रारम्भत: व्यापारिक चिह्न पंजीकृत किया गया था,

तो व्यापारिक चिह्न पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि या विस्तार पर प्रारम्भिक व्यापार चिह्न भारत में अति सुविज्ञ व्यापारिक चिह्न के रूप में अभिसंज्ञात हो और बाद वाला व्यापारिक चिह्न बिना किसी युक्तिसंगत कारण के हो,

(3) एक व्यापारिक चिह्न पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि या उस विस्तार तक इसका प्रयोग भारत में निम्न कारणों से निवारित हो—

(क) व्यापार के अनुक्रम में प्रयुक्त अपंजीकृत व्यापारिक चिह्न का संरक्षण विशिष्ट विधि द्वारा समाप्त हो गया हो, या

(ख) या ऐसा कापीराइट सम्बन्धी विधि के कारण हुआ हो।

(4) इस धारा की कोई भी बात वहाँ व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को निवारित नहीं करेगी जहाँ पर प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न का सम्पत्तिधारी या पंजीकरण का प्रारम्भिक सहमति जनित अधिकार की स्थिति हो और इस तरह के मामले में रजिस्ट्रार धारा 12 के अधीन विशेष परिस्थिति में व्यापार चिह्न का पंजीकरण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न का तात्पर्य—

(क) धारा 154 में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यापारिक चिह्न या अभिसमय आवेदन से होगा, जिसके आवेदन की तिथि प्रश्नगत व्यापारिक चिह्न के आवेदन की तिथि के पूर्व की है,

(ख) एक व्यापारिक चिह्न जो कि प्रश्नगत व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के आवेदन की तिथि पर या, जहाँ आवेदित दावाकृत वरीयता उचित हो और इसके कारण इस तरह का व्यापारिक चिह्न "अति सुविज्ञ व्यापार चिह्न" के रूप में संरक्षण के लिए अधिकृत हो,

(5) एक व्यापारिक चिह्न को पंजीकृत करने से मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकेगा कि यह उपधारा (2) तथा (3) में विनिर्दिष्ट है जब तक कि प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं उठायी जाती है।

(6) रजिस्ट्रार इस बात का विनिश्चय करते समय कि क्या व्यापार चिह्न अति सुविज्ञ तथा व्यापार चिह्न या नहीं, निम्न को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसी तथ्य पर विचार कर सकेंगे जिस पर विचार करना उचित समझे—

(i) जनता के सुसंगत वर्ग में उस व्यापारिक चिह्न की मान्यता या जानकारी इस तरह की जानकारी में व्यापार चिह्न की उन्नति के परिणामस्वरूप भारत में प्राप्त की गयी जानकारी भी सम्मिलित होगी,

(ii) अवधि, विस्तार तथा भौगोलिक क्षेत्र जिस तक या जिसमें उस व्यापारिक चिह्न का प्रयोग हुआ है,

(iii) विज्ञापन, प्रचार या प्रयोज्य माल की सेवा या प्रदर्शनी को सम्मिलित करते हुए व्यापार चिह्न के किसी प्रगति की अवधि विस्तार तथा भौगोलिक क्षेत्र,

(iv) इस अधिनियम के अधीन उस व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन या उसके पंजीकरण की अवधि तथा भौगोलिक क्षेत्र या विस्तार जिस तक व्यापारिक चिह्न मालकृत अथवा प्रयुक्त रहा,

(v) उस व्यापार चिह्न में अधिकार के सफल प्रवर्तन का अभिलेख, विस्तार की विशिष्टियों में जिस तक उस अभिलेख के अधीन न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा इस तरह के व्यापारिक चिह्न को अति सुविज्ञ व्यापार चिह्न के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

(7) रजिस्ट्रार जब कभी भी इस बात का अभिनिश्चय करें कि क्या व्यापार चिह्न उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ जनता के सुसंगत वर्ग में ज्ञात या मान्यताकृत है तो वह निम्न बातों पर विचार करेंगे—

(i) माल या वस्तुओं के स्वस्थ उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या,

(ii) उन व्यक्तियों की संख्या जो कि माल या वस्तुओं के वितरण के चैनेल में सम्मिलित रहे हैं,

(iii) माल या सेवाओं का व्यवहारिक व्यापारिक क्षेत्र,

जिसमें कि व्यापारिक चिह्न लागू होता हो।

(8) जहाँ पर किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि व्यापारिक चिह्न को भारत की जनता के किसी सुसंगत वर्ग द्वारा अतिसुविज्ञ किया गया है, तो इस अधीन पंजीकरण करते समय रजिस्ट्रार उस व्यापारिक चिह्न को अतिसुविज्ञ व्यापारिक चिह्न के रूप में विचार कर सकेंगे।

(9) रजिस्ट्रार के लिए यह शर्त जनित अपेक्षा नहीं होगी कि इस बात के विनिश्चय में कि क्या व्यापार चिह्न अति सुविज्ञ व्यापार चिह्न है या नहीं, नामतः निम्न में से किसी पर विचार करें—

(i) यह कि व्यापार चिह्न भारत में प्रयुक्त रहा है,

(ii) यह कि व्यापार चिह्न पंजीकृत है,

(iii) यह कि व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन भारत में दायर किया गया है,

(iv) यह कि व्यापार चिह्न—

(क) भारत में अति सुविज्ञ है, या

(ख) व्यापार चिह्न भारत में पंजीकृत है, या

(ग) जिसके सम्बन्ध में पंजीकरण हेतु आवेदन दायर किया गया है उसका क्षेत्राधिकार भारत से भिन्न क्षेत्राधिकार है,

(v) यह कि भारत में जनता के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा व्यापारिक चिह्न अति सुविज्ञ रहा है।

(10) जब व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के आवेदन पर विचार किया जाए तथा उसके संबंध में विरोध प्रस्तुत किया जाए तो रजिस्ट्रार—

(i) समरूप या आनुषांगिक व्यापार चिह्न के विरुद्ध इस तरह के व्यापारिक चिह्न को सुविज्ञ व्यापारिक चिह्न के रूप में संरक्षित करेगा,

(ii) व्यापारिक चिह्न संबंधित प्रभावी विरोधी हित या आवेदक की अन्तर्वलित दुर्भावना के तथ्य पर विचार करेगा।

(11) जहाँ रजिस्ट्रार के समक्ष तात्विक सूचना को प्रकट करके सद्भावनापूर्ण रीति से व्यापारिक चिह्न को पंजीकृत करा लिया जाए या जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सद्भावनापूर्ण प्रयोग के जरिए व्यापारिक चिह्न का अधिकार अर्जित कर लिया जाए, तो इस अधिनियम की कोई भी बात इस तरह के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण या व्यापारिक चिह्न के अर्जित अधिकार पर इस आधार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी कि ऐसा व्यापारिक चिह्न, सुविज्ञ व्यापारिक चिह्न के आनुषांगिक या समरूप है।

12. ईमानदारी पूर्ण समवर्तिता प्रयोग आदि के मामले में पंजीकरण—ईमानदारी पूर्ण समवर्तिता के प्रयोग के मामले में या अन्य विशेष परिस्थितियों के मामलों में जो परिस्थितियाँ रजिस्ट्रार को ऐसा करने के लिए उचित अभिकथित करती हों, तो वह एक से अनधिक संपत्तिधारी के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को मंजूरी दे सकेगा, जो कि आनुषांगिक या समरूप है (भले ही ऐसा व्यापारिक चिह्न पूर्वतः पंजीकृत हो या न हो) और ऐसा करते समय रजिस्ट्रार किन्हीं ऐसी शर्त या परिसीमा को अधिरोपित कर सकेगा, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे।

13. अन्तर्राष्ट्रीय असांपत्तिक नामों या रासायनिक तत्त्वों के नामों के पंजीकरण का प्रतिषेध— कोई भी शब्द—

(क) जो कि साधारणतया किसी एकल रासायनिक तत्त्व या एकल रासायनिक मिश्रण के नाम के रूप में प्रयुक्त तथा स्वीकृत किए जाते हैं (मिश्रण की सुभिन्न रीति में) तो ऐसे रासायनिक सार के सम्बन्ध में, या

(ख) जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित या अधिसूचित किए गए है, या समय-समय पर घोषित असांपत्तिक नाम जो कि इस तरह के नामों के समरूप है,

व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे और धारा 57 के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में की गई इस तरह के पंजीकरण की निविष्टी को बिना किसी पर्याप्त कारण के माना जाएगा।

14. नामों का प्रयोग और जीवित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व या मृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व— जहाँ व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन जो कि मिथ्यापूर्ण रीति से किसी जीवित व्यक्ति से सम्बन्धित है, या ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है जिसकी मृत्यु पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन की तिथि से बीस वर्ष पूर्व हो गयी हो, तो रजिस्ट्रार इस तरह के आवेदन पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व अपेक्षित रीति से जीवित व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि अपनी सहमति अग्रसारित करे, या व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के सम्बन्ध में मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हो करके अपनी सहमति प्रदान करे, और रजिस्ट्रार तब तक जब तक कि, उसे इस तरह की सहमति नहीं दे दी जाती है, आवेदन पर पंजीकरण संबंधी कार्यवाही को इंकार कर सकेगा।

15. व्यापार चिह्न के भाग और आवली के रूप में व्यापार चिह्न का पंजीकरण— (1) जहाँ व्यापार चिह्न का संपत्तिधारी यह दावा करता है कि वह पृथक रूप से व्यापार चिह्न के किसी भाग के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है तो वह सम्पूर्ण या व्यापार चिह्न के किसी भाग के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) इस तरह के प्रत्येक पृथक व्यापारिक चिह्न दायरा की सभी शर्तों को संतुष्टजन्य रीति से पूरी करेंगे, तथा इस तरह के आवेदन के स्वतंत्र ट्रेड मार्क के सभी निर्देश होंगे।

(3) जहाँ एक व्यक्ति समान या सामान्य वस्तुओं या सेवाओं का वस्तुओं के अभिवर्णन, के संबंध में विभिन्न व्यापारिक चिह्नों के संबंध में संपत्तिधारी होने का दावा करता है, जो कि तात्विक विशिष्टियों में प्रत्येक से अन्य के सदृश हैं, फिर भी उससे सुभिन्न होन की दशा में—

(क) उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में कथन किया जाएगा जिनमें ये प्रयुक्त हैं, या जिनमें इनका प्रयोग आशायित है; या

(ख) संख्या, मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा या स्थानों के नामों के बारे में कथन; या

(ग) सुभिन्न न होने वाले अन्य विषय जो कि मौलिक रीति से व्यापार चिह्न को पहचान को प्रभावित नहीं करते; या

(घ) रंग (आकृति) के कथन;

की माँग उन व्यापारिक चिह्नों के सम्बन्ध में की जाएगी, और इन्हें पंजीकरण को एक आवली में पंजीकृत किया जा सकेगा।

16. सामुदायिक व्यापारिक चिह्न के रूप में व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण—(1) जहाँ एक व्यापारिक चिह्न जो कि पंजीकृत है या वह पंजीकरण के आवेदन का विषय है और ऐसा पंजीकरण आवेदन किसी अन्य व्यापारिक चिह्न के किसी माल या सेवा के संबंध में आनुषांगिक है जो कि पंजीकृत है या वह पंजीकरण के आवेदन का विषय है तथा समान वस्तु या वस्तुओं का अभिवर्णन के संबंध में उसी संपत्तिधारी के नाम है या वह इस तरह से सदृश है कि यदि संपत्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जाए तो छल या संदेह का कारित होना संभाव्य हो जाए, तो रजिस्ट्रार किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि व्यापार चिह्न रजिस्टर में सामुदायिक व्यापारिक चिह्न के रूप में निविष्ट किया जाए।

(2) जहाँ पर चिह्नों की पहचान या सदृश्यता के तहत पंजीकरण हो या उसी संपत्तिधारी के नाम में पंजीकरण आवेदन का विषय हो, विशिष्टतया उस वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में जो कि उन वस्तुओं या वर्णन की वस्तुओं या उन सेवाओं या वर्णन की सेवाओं से संबंधित हो, तो उपधारा (1) के उपबंध इस रीति से लागू होंगे मानो कि चिह्नों की सदृश्यता या पहचान के आधार पर वह पंजीकृत हो या समान मालों या अभिवर्णन के माल या सेवा अथवा अभिवर्णन की सेवा उसी संपत्तिधारी के नाम पंजीकृत हो।

(3) जहाँ व्यापार चिह्न या उसका कोई भाग धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार उसी संपत्तिधारी के नाम में पृथक् व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत हो तो इस तरह के व्यापारिक चिह्न को सामुदायिक व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत माना जाएगा।

(4) धारा 15 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण की एक आवली में पंजीकृत व्यापारिक चिह्न को सामुदायिक व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत माना जाएगा।

(5) सामुदायिक व्यापारिक चिह्न के रूप में दो या अधिक व्यापारिक चिह्नों के संपत्तिधारियों द्वारा विहित रीति में आवेदन किए जाने पर रजिस्ट्रार उनमें से किसी एक की सामुदायिकता के तथ्य का निस्तारण करेगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों जिनके संबंध में व्यापारिक चिह्न पंजीकृत है उनसे किसी भी तरह के छल या भुलावे की संभावना नहीं है तो तद्नुसार रजिस्टर में संशोधन कर सकेगा।

17. चिह्न के भाग के पंजीकरण का प्रभाव—(1) जब व्यापारिक चिह्न विभिन्न विषयों से गठित होता हो तो इसका पंजीकरण सम्पूर्ण व्यापारिक चिह्न के अनन्य संपत्तिधारक के रूप में किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी जब व्यापारिक चिह्न में—

(क) कोई ऐसा भाग दिया गया हो—

(i) जो कि व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकरण के संपत्तिधारी द्वारा पृथक आवेदन का विषय हो, या

(ii) जो कि व्यापारिक चिह्न में रूप में संपत्तिधारी द्वारा पृथक्तः पंजीकृत न कराया गया हो, या

(ख) कोई ऐसा विषय दिया गया हो जो कि व्यापार के लिए सामान्य है या अन्यथा सुभिन्न प्रकृति का है।

अध्याय 3

पंजीकरण की अवधि तथा इसकी प्रक्रिया

18. पंजीकरण हेतु आवेदन—(1) व्यापारिक चिह्न के प्रयोग का दावा करने वाला संपत्तिधारी या उसके द्वारा प्रस्तावित प्रयोग पर जो कि इसके पंजीकरण की इच्छा रखता है तो यह विहित प्रारूप में लिखित रूप से रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) विभिन्न श्रेणी की सेवाओं व मालों के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु एकल (single) आवेदन दिया जा सकेगा किन्तु इस आवेदन पर इस तरह के प्रत्येक माल या सेवाओं के संबंध में शुल्क भुगतान योग्य होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन उस मूल स्थान के जहाँ पर कि आवेदन भारत में अपने कार्य व्यापार का संचालन करता है अभ्यान्तरिक क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्री कार्यालय या संयुक्त आवेदन की दशा में भारत में आवेदक के मूल व्यापार स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा :

बशर्ते कि जहाँ पर आवेदक या संयुक्त आवेदकों में से कोई भारत में कार्य व्यापार का संचालन नहीं करता है तो आवेदन उस ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जो कि भारत में दिए गए तमीला पता स्थल पर अभ्यान्तरिक क्षेत्राधिकार रखता हो।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के विषयाधीन, रजिस्ट्रार संशोधन, उपांतरण, शर्तों या ऐसी परिसीमाओं के विषय के तहत जिन्हें व उपयुक्त समझे किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा।

(5) इंकारी या आवेदन की सशर्त स्वीकृति के मामले में अपने विनिश्चय पर पहुँचने हेतु प्रयुक्त अन्तर्वस्तुओं को देते हुए लिखित रीति से उन आधारों को अभिलिखित करेगा जिन पर आवेदन स्वीकार करने से इंकार किया गया है, या आवेदन सशर्त स्वीकार किया गया है।

19. स्वीकृति की वापसी—जहाँ व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् किन्तु इसके पंजीकरण के पूर्व, रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो कि—

(क) आवेदन त्रुटिवश स्वीकृत किया गया है, या

(ख) यह कि मामले की परिस्थितियों में व्यापार चिह्न को पंजीकृत नहीं करना चाहिए या, अतिरिक्त शर्त या परिसीमाओं के अधीन स्वीकार करना चाहिए या उन शर्तों से भिन्न शर्तों या परिसीमाओं पर स्वीकार करना चाहिए जिन शर्तों या परिसीमाओं पर इसे स्वीकार किया गया है,

तो रजिस्ट्रार यदि वांछित समझे तो आवेदक को सुनने के पश्चात् स्वीकृति को वापस ले सकेगा और इस तरह से कार्यवाही कर सकेगा मानो कि आवेदन स्वीकार ही न किया गया हो।

20. आवेदन का विज्ञापन—(1) जब व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया जाए भले ही इस तरह की स्वीकृति पूर्णतया या शर्त तथा परिसीमा के अधीन की जाए, तो रजिस्ट्रार आवेदन स्वीकृति के कारणों तथा उन शर्तों तथा परिसीमाओं के साथ जिन पर आवेदन स्वीकार किया गया है, को विहित रीति में विज्ञापित करेंगे :

बशर्ते कि रजिस्ट्रार आवेदन की स्वीकृति के पूर्व आवेदन के कारण को विज्ञापित कर सकेगा यदि यह आवेदन ऐसे व्यापार चिह्न से सम्बन्धित हो, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) तथा (2) लागू होती हो, या किसी अन्य मामले में जहाँ उसे यह प्रकट होता हो कि ऐसा किया जाना समीचीन है।

(2) जहाँ—

(क) कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति के पूर्व विज्ञापित किया जाता है, या

(ख) आवेदन के विज्ञापन के पश्चात्,

(i) आवेदन में कोई त्रुटि सुधारी जाती है, या

(ii) धारा 22 के अधीन आवेदन के संशोधन को मंजूरी दे दी जाती है,

तो रजिस्ट्रार स्वविवेकीय रीति से खण्ड (ख) के अधीन आवेदन की स्वीकृति के प्रश्नगत के बावजूद आवेदन में संशोधन या त्रुटि के तथ्य का विज्ञापन विहित रीति में कर सकेगा।

21. पंजीकरण का विरोध—(1) कोई व्यक्ति विज्ञापन या आवेदन के पुनर्विज्ञापन की तिथि से तीन माह के भीतर या ऐसी अनुवर्तित अवधि के भीतर जो कि कुल मिलाकर एक माह से अधिक की नहीं होगी विहित रीति में विहित शुल्क का भुगतान करने पर पंजीकरण के विरोध की लिखित सूचना रजिस्ट्रार को दी जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार आवेदक पर नोटिस की प्रति को तमील कराएगा तथा आवेदक इस तरह की नोटिस की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर आवेदक उन आधारों पर जो कि विश्वसनीय हों विहित रीति में प्रतिकथन रजिस्ट्रार को भेजेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका आवेदन परित्यक्त माना जाएगा।

(3) यदि आवेदक इस तरह का प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार इसकी एक प्रति की तमीली विरोध की नोटिस देने वाले व्यक्ति पर कराएगा।

(4) कोई भी साक्ष्य जिसे आवेदक या विरोधकर्त्ता वैश्वासिक रीति से अपनी-अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहते हों विहित समय के भीतर रजिस्ट्रार को देंगे और इच्छा प्रकट करने पर रजिस्ट्रार उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे।

(5) रजिस्ट्रार पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् यदि अपेक्षित हुआ तो साक्ष्य पर विचार करते हुए इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या किन्हीं शर्तों तथा परिसीमाओं के अधीन पंजीकरण को मंजूर किया जा सकता है और वह इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या विरोध विश्वसनीय है या नहीं।

(6) जहाँ विरोध की सूचना देने वाला व्यक्ति या एक आवेदक नोटिस की प्रति की प्राप्ति के पश्चात प्रति कथन भेजने वाला आवेदक न तो भारत में रहता है और न ही भारत में कार्य व्यापार का संचालन करता है तो रजिस्ट्रार कार्यवाही से बावत उससे प्रतिभूति लेगा और यदि आवेदक या विरोधी इस तरह की प्रतिभूति को अग्रेषित करने में असफल रहता है तो तद्नुसार यथास्थिति उनके दावे परित्यक्त माने जाएंगे।

(7) रजिस्ट्रार उपयुक्त समझने पर विहित शर्तों के तहत किए गए अनुरोध पर प्रतिकथन या विरोध की नोटिस में किसी भी तरह के अशुद्धि सुधार या संशोधन की अनुमति दे सकेंगे।

22. परिशुद्धि तथा संशोधन—रजिस्ट्रार ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे, किसी भी समय धारा 18 के अधीन पंजीकरण के आवेदन की स्वीकृति के पूर्व या पश्चात् संशोधन के आवेदन में या आवेदन में किसी भी त्रुटि के सुधार की अनुमति प्रदान कर सकेगा :

बशर्ते कि धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एकल आवेदन दो या दो से अधिक प्रस्तुत किए गए आवेदनों के सम्बन्ध में दिया जाता है तो वहाँ पर दिए गए आवेदन को विभाजित किया जाएगा और प्रारम्भिक आवेदन को दिए जाने की तिथि इस प्रकार से विभाजित किए गए आवेदन की तिथि मानी जाएगी।

23. पंजीकरण—(1) धारा 19 के उपबंधों के विषयाधीन जब व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, और या तो—

(क) आवेदन का विरोध नहीं किया जाता है, और विरोध की नोटिस देने की समयावधि बीत गयी है, या

(ख) आवेदन का विरोध किया गया है और इस तरह के विरोध का विनिश्चय आवेदक के पक्ष में किया जाता है,

तो रजिस्ट्रार जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे तब तक रजिस्ट्रार व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन पर व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण आवेदन को किए जाने की तिथि से करेगा, और तिथि धारा 154 के उपबंधों के विषय के तहत पंजीकरण की तिथि मानी जाएगी।

(2) व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण पर रजिस्ट्रार ट्रेड मार्क रजिस्ट्री की मुद्रा के साथ विहित प्रारूप में आवेदक को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) जहाँ आवेदक के व्यतिक्रम के कारण आवेदन दिए जाने की तिथि से बारह माह की अवधि के भीतर व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है, तो रजिस्ट्रार आवेदक को नोटिस देने के उपरांत इस तरह के आवेदन को परित्यक्त मान लेगा जब तक कि पंजीकरण नोटिस में दी गई अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हो जाता है।

(4) स्पष्ट भूल या लिपिकीय त्रुटि के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार रजिस्टर में संशोधन या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में संशोधन कर सकेगा।

24. **संयुक्त स्वामित्वजनित व्यापारिक चिह्न**—(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई भी बात रजिस्ट्रार को इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी कि वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यापार चिह्न का पंजीकरण उसके संयुक्त संपत्तिधारी के रूप में करे जबकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा रहा हो।

(2) जहाँ पर व्यापारिक चिह्न से हितबद्ध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध इस प्रकार का हो कि उनमें से कोई एक स्वयं तथा अन्यों के मध्य कोई अन्य व्यक्ति उनके प्रयोग के लिए अधिकृत न हो सिवाय—

(क) दोनों की ओर से या उनमें सभी की ओर से; या

(ख) वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में जिसमें दोनों या उनमें से सभी व्यापार को अनुक्रम में सम्बन्धित हो;

तो उन व्यक्तियों को व्यापार चिह्न के संयुक्त संपत्तिधारी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, और इस अधिनियम द्वारा उनमें विहित अधिकार एकल व्यक्ति में विहित अधिकार माना जाएगा।

25. **अवधि, नवीनीकरण, अपसारण तथा पंजीकरण का पुनर्स्थापन**—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् व्यापार चिह्न के पंजीकरण की अवधि दस वर्ष होगी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत संपत्तिधारी द्वारा विहित प्रारुप में विहित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत किए गए आवेदन की स्थिति में मूल पंजीकरण की अवधि के पर्यावसान की तिथि से या पंजीकरण के अंतिम नवीनीकरण की तिथि से यथास्थिति मामले में जो कुछ भी हो सके पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का दस वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(3) व्यापार चिह्न के अंतिम पंजीकरण के पर्यावसान के पूर्व विहित समय पर, रजिस्ट्रार पर्यावसान की तिथि के पंजीकृत संपत्तिधारी को विहित प्रारुप में नोटिस भेजेगा, तथा इस तरह की नोटिस शुल्क के भुगतान की शर्त के अधीन भेजी जाएगी, और यदि ऐसे समय पर विहित शर्त पूरी नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटा सकेगा :

बशर्ते कि रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यापार चिह्न को नहीं हटाएगा, यदि अंतिम पंजीकरण के पर्यावसान की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर विहित शुल्क की अदायगी करते हुए विहित प्रारुप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और ऐसी स्थिति में अंतिम पंजीकरण के पर्यावसान की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार चिह्न का नवीनीकरण उपधारा (2) के अधीन किया जा सकेगा।

(4) जहाँ विहित शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण व्यापार चिह्न रजिस्टर से हटा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार छह माह पश्चात् और व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के अंतिम

पर्यावसान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर विहित शुल्क की अदायगी के साथ विहित प्रारूप में आवेदन की प्राप्ति पर यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत समझते हों तो वह रजिस्टर के व्यापार चिह्न को पुनर्स्थापित कर सकेंगे तथा अंतिम पंजीकरण के पर्यावसान की तिथि से दस वर्ष तक की अवधि के लिए व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को विहित शर्त तथा परिसीमाओं पर नवीनीकृत कर सकेंगे।

26. नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की निष्फलता पर रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटाए जाने का प्रभाव— जहाँ नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की निष्फलता पर रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटा दिया जाता है तो रजिस्टर से हटाए जाने की अगली तिथि के पश्चात् एक वर्ष के दौरान अन्य व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के किसी आवेदन के प्रयोजनार्थ व्यापार चिह्न पूर्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जब तक कि न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट न हो कि—

(क) व्यापार चिह्न का सद्भावनापूर्ण प्रयोग नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में दो वर्षों के दौरान हटाने की कार्यवाही की गयी है,

(ख) यह कि व्यापारिक चिह्न के प्रयोग से किसी भी तरह के छल या संदेह की स्थिति का कारित होना संभाव्य नहीं है जो कि किसी पूर्ववर्ती प्रयोग के कारण पंजीकरण के आवेदन का विषय है, जिसे कि रजिस्टर से हटाया गया है।

अध्याय-4
पंजीकरण का प्रभाव

27. अपंजीकृत व्यापार चिह्न के अतिलंघन पर कोई कार्यवाही नहीं—(1) कोई भी व्यक्ति अपंजीकृत व्यापार चिह्न के अतिलंघन पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(2) न ही इस अधिनियम की कोई भी बात अन्य व्यक्ति के अधिकार या उपार्जित हित आदि के सम्बन्ध में माल या वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाली मानी जाएगी।

28. पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के विषयाधीन यदि व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण वैध है तो व्यापारिक चिह्न का संपत्तिधारी उस संबंध में जिसमें कि पंजीकरण किया गया है माल या वस्तु के प्रयोग के सम्बन्ध में अनन्य अधिकार रखेगा और इसके अतिलंघन पर संपत्तिधारी अधिनियम में वर्णित उपचारों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में प्रदत्त अनन्य अधिकार उन शर्तों तथा परिसीमाओं का विषय होगा जिस पर पंजीकरण किया गया है।

(3) जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी के रूप में पंजीकृत है, जो कि एक दूसरे के सदृश या आनुषांगिक हैं, तो उन व्यापारिक चिह्नों में से किसी के प्रयोग के अनन्य अधिकार (रजिस्टर में निविष्ट शर्तों या परिसीमाओं के सिवाय) मात्र व्यापारिक चिह्न

के पंजीकरण में उन सभी में से किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी के विरुद्ध अर्जित किया गया माना जाएगा, किन्तु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्यों के विरुद्ध समान अधिकार रखेंगे मानों कि वह एकमात्र संपत्तिधारी हो।

29. **पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन**—(1) एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न जिसका उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि पंजीकृत संपत्तिधारी नहीं है, या प्रयोग के लिए अनुमति दिया गया व्यक्ति नहीं है, या एक चिह्न जो कि आनुषांगिक या समरूप दृष्टि से भ्रमोत्पादक हो, जिसके सम्बन्ध में वस्तुओं या सेवाओं का पंजीकरण किया गया है और इस रीति में कोई व्यक्ति इस तरह की सेवा को धारित करता हो या संभाव्य रीति से वस्तु का प्रयोग करता है।

(2) एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि पंजीकृत संपत्तिधारी नहीं है, या व्यापारिक प्रयोग के अनुक्रम में उनके प्रयोग हेतु अनुज्ञेय नहीं है जिसमें कि—

(क) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के साथ इसकी पहचान या इस तरह के पंजीकृत व्यापारिक चिह्न द्वारा अच्छादित वस्तुओं की समरूपता स्थापित हो, या

(ख) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न से इसकी समरूपता और पहचान या इस तरह के पंजीकृत व्यापारिक चिन्ह द्वारा अच्छादित वस्तुओं या सेवाओं की समरूपता स्थापित होती हो, या

(ग) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के साथ इसकी पहचान और इस तरह के पंजीकृत व्यापारिक चिह्न द्वारा अच्छादित वस्तुओं या सेवाओं की पहचान स्थापित होती हो,

और इस तरह से जनता को संदेह होता हो या, इससे व्यापारिक चिह्न की सामुदायिकता संभाव्य हो।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन आने वाले किसी भी मामले में न्यायालय इस बात की उपधारणा कर सकेगा कि इससे जनता को संदेह होना संभाव्य है।

(4) एक पंजीकृत व्यापार चिह्न का अतिलंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि पंजीकृत संपत्तिधारी न हो, या व्यापार के अनुक्रम में उनके प्रयोग के लिए अधिकृत न हो, एक चिह्न, जो कि—

(क) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के समरूप या आनुषांगिक हो,

(ख) इसका प्रयोग उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में हो जो कि उनके समरूप न हो जिनका कि पंजीकरण किया गया है, और

(ग) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न भारत में ख्याति रखता हो, और चिह्न का प्रयोग किसी सम्यक् लाभ के बिना किया जाता हो, या इस तरह के चिह्न को सुभिन्न प्रकृति के व्यापारिक चिह्न या ख्याति प्राप्त व्यापारिक चिह्न के रूप में विनिश्चित किया गया हो।

(5) एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि परिकल्पित नाम से स्वयं के नाम के पक्ष के चिह्न के होने की परिकल्पना करता है, विशिष्टतया उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में जिसके बारे में व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया है।

(6) इस धारा के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति पंजीकृत चिह्न का प्रयोग करता हुआ माना जाएगा, यदि वह विशिष्टियों में—

(क) इसके मामलों का अभिनिर्धारण या पैकिंग करता है,

(ख) विक्रय हेतु मालों (वस्तुओं) को प्रस्तावित या प्रदर्शित करता है उन्हें बाजार में रखता है, या पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के अधीन उन प्रयोजनों हेतु इसका स्टाक करता है, या पंजीकृत व्यापार चिह्न के अधीन इस तरह की सेवाओं की आपूर्ति या आपूर्ति का प्रस्ताव करता हो,

(ग) चिह्न के अधीन मालों का आयात या निर्यात करता है,

(घ) व्यापारिक कागजातों पर या विज्ञापनों में व्यापारिक चिह्न को प्रयुक्त करता है,

(7) एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन किसी ऐसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि ऐसे व्यापारिक कागजातों या माल या सेवाओं के विज्ञापन की आशायित पैकिंग या लेबिल हेतु आवेदन करता है :

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति जब चिह्न का प्रयोग करता हो तो वह इस बात को जानता हो या इस बात के विश्वास का कारण रखता हो कि चिह्न की प्रयोज्यता लाइसेंस या संपत्तिधारी द्वारा सम्यक् रीति से प्राधिकृत नहीं है।

(8) यदि इस तरह के व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन किसी विज्ञापन द्वारा किया जाता है, यदि इस तरह का विज्ञापन—

(क) अनुचित लाभ लेने या वाणिज्यिक या औद्योगिक विषयों की ईमानदारी पूर्ण स्थिति के प्रतिकूल हो; या

(ख) इसे सुभिन्न प्रकृति का अभिनिश्चित किया गया हो; या

(ग) व्यापारिक चिह्न की ख्याति के विरुद्ध हो।

(9) जहाँ पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सुभिन्न तत्त्व सम्मिलित शब्दों के गठन हों तो दृश्यावलोकित प्रतिनिधित्व की भाँति बोले गए शब्दों द्वारा व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन हो सकेगा, तथा इस धारा में चिह्न के प्रयोग का निर्देश तद्नुसार निकाला जाएगा।

30. पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के प्रभाव पर सीमाएँ—(1) धारा 29 में दी गई किसी भी बात का अर्थान्वयन इस रीति में नहीं किया जाएगा जिससे कि संपत्तिधारी के मालों या सेवाओं की पहचान के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के प्रयोग से निवारित हो, बशर्ते कि प्रयोग—

(क) उद्योग या वाणिज्यिक विषयों के ईमानदारीपूर्ण स्थिति के अनुसार हो, और,

(ख) इसका अनुचित लाभ न उठाया जा सकता हो, या वह सुभिन्न प्रकृति का या व्यापारिक चिह्न की ख्याति अभिनिश्चित की गई हो।

(2) एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन वहाँ नहीं होगा जहाँ पर—

(क) माल या वस्तु के संबंध में प्रयोग, प्रकार, मात्रा या गुणवत्ता को निर्दिष्ट करता हो जिसका आशायित प्रयोजन मूल्य, भौगोलिक उद्गम माल के उत्पादन का समय, सेवाओं की धारणा, या माल या सेवाओं की अन्य प्रकृति का हो,

(ख) एक व्यापारिक चिह्न शर्तों या परिसीमाओं के विषयाधीन पंजीकृत हो तो बेची गयी वस्तुओं के संबंध में किसी रीति में व्यापारिक चिह्न का प्रयोग या किसी अन्य स्थान में अन्यथा चिह्नित या किसी बाजार में आयातित माल के सम्बन्ध में या सेवा के प्रयोग

के सम्बन्ध में या उपलब्धता या भारत में या भारत से परे किसी स्थान पर इनकी स्वीकृति या अन्य परिस्थिति जो कि उन शर्तों या परिसीमाओं के सम्बन्ध में दृष्टव्य हों, पंजीकरण विस्तृत न हो,

(ग) व्यापारिक चिह्न का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा—

(i) व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता या संपत्तिधारी के साथ व्यापार के अनुक्रम में माल के संबंध में या जिसके वे औपचारिक भाग हैं पंजीकृत संपत्तिधारी या उनमें प्रयोग हेतु प्रदान की गई अनुमति जो कि व्यापारिक चिह्न पर प्रयोज्य हो जिसे कि पश्चात्वर्ती रीति से हटाया नहीं गया है, या जिस व्यापारिक चिह्न का प्रयोग सदैव प्रतिवादित रहा है, या

(ii) उस सेवा के सम्बन्ध में जिसे कि ऐसे चिह्न का संपत्तिधारी का पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता चिह्न पर प्रयोग्य प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है, जहाँ पर चिह्न के प्रयोग का प्रयोजन तथा प्रभाव उन तथ्यों के अनुसार निर्देशित हो जिन सेवाओं का अनुपालन संपत्तिधारी या चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा किया गया है।

(घ) औपचारिक भाग के अतिरिक्त मालों के सम्बन्ध में व्यक्ति द्वारा व्यापारिक चिह्न का प्रयोग या उसके सहायक या अन्य वस्तुएं या सेवाएँ जिनके संबंध में व्यापारिक चिह्न प्रयुक्त किया गया है इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण द्वारा दिए गए अधिकार के अतिलंघन के बिना या समयाधीन किए जा सकने वाला प्रयोग यदि व्यापार चिह्न का प्रयोग व्यवस्थित रीति से इस बात को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक हो कि माल या सेवाएँ इस प्रकार से अतिरिक्त हो सके और न ही प्रयोजन और न ही व्यापारिक चिह्न का प्रभाव निर्देशित होता हो, अन्यथा तथ्यों भिन्न स्थिति के अनुसार विशिष्टतया किसी व्यक्ति तथा माल या सेवाओं के मध्य व्यापार के अनुक्रम के सम्बन्ध में जैसा भी मामले में हो सके।

(ङ) इस अधिनियम के अधीन दो या दो से अधिक में से पंजीकृत होने वाला एक व्यापारिक चिह्न जो आनुषांगिक या अन्य दूसरे के सदृश हैं, उस व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के अधिकार के अनुपालन में इस अधिनियम के अधीन व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया हो।

(3) जहाँ व्यापारिक चिह्न (पंजीकृत) पर धारित माल व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण रीति से अर्जित किया गया है तो बाजार में वस्तुओं का विक्रय या उस व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन या उसके जरिए दावाकर्त्ता व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं का अन्यथा व्ययन मात्र निम्न कारणों से व्यापार का अतिलंघन नहीं होगा—

(क) पंजीकृत संपत्तिधारी द्वारा उन मालों को अर्जित करने के पश्चात्त किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया गया हो,

(ख) संपत्तिधारी द्वारा या उसकी सहमति से पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के अधीन माल बाजार में रखा गया है।

(4) उपधारा (3) वहाँ नहीं लागू होगी जहाँ पर कि मालों के अनुवर्तित के विरोध के मामले में सम्पत्तिधारी जानकारी धारण रखता हो, जहाँ पर माल की शर्तें परिवर्तित हों या बाजार में समूह के कारण पर्यावसित हो गयी हों।

31. पंजीकरण वैधता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य—(1) (धारा 57 के अधीन आवेदनों को सम्मिलित करते हुए) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित सभी विधिक कार्यवाहियों में व्यापारिक चिह्न का मूल पंजीकरण और व्यापारिक चिह्न का सभी पश्चात्वर्ती समनुदेशन तथा परिपेषण प्रथम दृष्टया उसकी वैधता साक्ष्य होंगे।

(2) सभी विधिक कार्यवाहियों में यथापूर्वोक्त पंजीकृत व्यापारिक चिह्न मात्र इस अधार पर अवैध नहीं होगी कि सुभिन्नता के साक्ष्य के सिवाय यह धारा 9 के अधीन पंजीकृत व्यापारिक चिह्न नहीं है और इस तरह से वह साक्ष्य पंजीकरण के पूर्व रजिस्ट्रर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि यह साबित हो कि व्यापारिक चिह्न इस तरह से सम्पत्तिधारी द्वारा प्रयुक्त किया गया या स्थल में उसके पूर्ववृत्त पंजीकरण की तिथि पर सुभिन्न हो गये हों।

32. निश्चित मामलों में सुभिन्नता के आधार पर पंजीकरण का संरक्षण—जहाँ पर धारा 9 की उपधारा (1) के अतिलंघन में व्यापारिक चिह्न पंजीकृत किया गया है तो इसे अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, यदि उस प्रयोग के परिणामस्वरूप जिसके लिए इस तरह का पंजीकरण किया गया है, यदि पंजीकरण के पश्चात् और किसी विधिक कार्यवाही जिसमें कि इस तरह के पंजीकरण के वैधता की चुनौती दी गई है इस तरह की विधिक कार्यवाही के प्रारम्भ के पूर्व उस माल या वस्तु के सम्बन्ध में जिसमें इसका पंजीकरण हुआ है सुभिन्न हित अर्जित कर लिया जाता है।

33. अर्जन का प्रभाव—(1) जहाँ प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न का सम्पत्तिधारी पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के प्रयोग में पाँच वर्षों की अवधि की नियमितता को अर्जित कर लेता है और ऐसा उसके प्रयोग की जानकारी के कारण होता है तो वह उस प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न के आधार पर उससे लम्बी अवधि के लिए—

(क) इस बात की उद्घोषणा के लिए कि बाद व्यापारिक चिह्न अवैध है; या

(ख) उस सम्बन्ध में जिसमें यह प्रयुक्त है उसकी सेवा या माल के सम्बन्ध में बाद वाले व्यापारिक चिह्न के विरोध के लिए अधिकृत नहीं होगा;

जब तक कि बाद वाले व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण या आवेदन सद्भावना में न किया गया हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) लागू होती हो, तो बाद के व्यापारिक चिह्न का सम्पत्तिधारी प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के विरोध के लिए या प्रारम्भिक अधिकार के परिशोषण के लिए, इस बात के होते हुए भी कि प्रारम्भिक व्यापारिक चिह्न को उसके बाद के व्यापारिक चिह्न के विरुद्ध आहूत नहीं होना चाहिए अधिकृत नहीं होगा।

34. निहित अधिकार की सुरक्षा—इस अधिनियम की कोई भी बात सम्पत्तिधारी या पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता को इस बात के लिए अधिकृत नहीं करेगी कि वे आनुषांगिक व्यापारिक चिह्न के प्रयोगकर्त्ता व्यक्ति को या उन माल या सेवाओं के संबंध में जो कि निकटवर्ती रीति से सदृश हैं को इस तरह के प्रयोग से रोके जिसमें इस तरह का प्रयोगकर्त्ता या उसका पूर्ववर्ती वरीयता की तिथि से निम्नतः प्रयोग करता हुआ चला आ रहा हो—

(क) किए गए प्रथम व्यापारिक चिह्न के प्रयोग जिनके संबंध में उन वस्तुओं या सेवाओं पर संपत्तिधारी या उसका पूर्ववर्ती स्वत्व रखता हो, या

(ख) उन वस्तु या सेवाओं के संबंध में जो कि संपत्तिधारी के पूर्ववर्ती के नाम स्वत्वाधीन है प्रथमतः किए गए पंजीकरण की तिथि से,

जो भी पहले की हो और (इस तरह के प्रयोग के साबित होने पर) रजिस्ट्रार मात्र इस कारण से कि किया गया प्रथम व्यापारिक चिह्न पंजीकृत है द्वितीय व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को अस्वीकार नहीं कर सकेगा।

35. माल या सेवाओं के अभिवर्णन या नाम व पते की सुरक्षा—इस अधिनियम की किसी भी बात के तहत व्यापारिक चिह्न का संपत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा जो कि व्यापारिक चिह्न का प्रयोग सद्भावनापूर्ण रीति से कर रहा है और ऐसा प्रयोग अपने नाम या कार्य व्यापार के स्थल के नाम प्रकृति या अभिवर्णन के माल या सेवाओं का किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्ण प्रयोग किया जा रहा हो।

36. अभिवर्णन की वस्तु-सार या नाम के रूप में शब्दों को प्रयुक्त किए जाने की सुरक्षा—(1) व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जाएगा कि पंजीकरण की तिथि के पश्चात् किन्हीं शब्द या शब्दों का प्रयोग जिन्हें कि व्यापारिक चिह्न में लिया गया था या जिन शब्दों को सेवा या सार या किसी वस्तु के अभिवर्णन के रूप में दिया गया था।

बशर्ते कि यदि अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है—

(क) कि व्यापार चलाने वाले व्यक्ति या व्यक्तिओं द्वारा सेवा या सार या किसी अभिवर्णन की वस्तु या नाम के रूप में कथित शब्द का प्रयोग अति सुविज्ञ तथा स्थापित है, और व्यापार के अनुक्रम में सम्बन्धित माल या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न के सम्पत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा ये प्रयुक्त नहीं हुए हैं या (अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न के मामले में) संपत्तिधारी द्वारा प्रमाणित,सेवा या वस्तुओं के सम्बन्ध में ये प्रयुक्त नहीं हुए हैं, या

(ख) यह कि पेटेन्ट के अधीन दो वर्ष की अवधि या पेटेन्ट के बंद हो जाने के पश्चात् अधिक अवधि तक वस्तु या सार का औपचारिक विनिर्माण किया गया और कथित शब्द सार या अभिवर्णन की वस्तु के सम्बन्ध में केवल अभ्यासिक रहे हैं,

तो उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे।

(2) जहाँ खण्ड (क) में दिए गए तथ्य या उपधारा (1) के परन्तुक का खण्ड (ख) किन्हीं शब्दों के सम्बन्ध में साबित हो तब—

(क) धारा 57 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ यदि व्यापार चिह्न एकमात्र ऐसे शब्दों से गठित होता है, तो इस तरह की वस्तु, प्रश्नगत सार या किसी अभिवर्णन की वस्तु या उसी अभिवर्णन की कोई सेवा जैसा भी मामले में अपेक्षित हो उनके सम्बन्ध में इस तरह का पंजीकरण रजिस्टर में अवशिष्ट तथा दोषपूर्ण रीति से निविष्ट किया गया माना जाएगा।

(ख) व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में किसी अन्य विधिक कार्यवाही के प्रयोजनार्थ—

(i) यदि व्यापारिक चिह्न एक मात्र ऐसे शब्दों से गठित होता हो तो इस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के संबंध में संपत्तिधारी के सभी अधिकार; हुआ

(ii) यदि व्यापारिक चिह्न ऐसे शब्दों से गठित होता हो और अन्य विषय, ऐसे शब्दों के प्रयोग के संबंध में संपत्तिधारी के ऐसे सभी अधिकार;

वस्तु या सेवा या माल के संबंध में या उसी अभिवर्णन की सेवा या सेवाओं के संबंध के मामले में जैसा भी अपेक्षित हो सके उस तिथि पर समाप्त माना जाएगा जिस पर उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोग की प्रथमतः जानकारी हुई या कथित परन्तुक के खण्ड (ख) में दी गयी दो वर्ष की अवधि के पर्यावसान पर उक्त तथ्य प्रतिस्थापित हुआ।

अध्याय-5

समनुदेशन तथा पारेषण

37. समनुदेशन तथा रसीद देने के संबंध में पंजीकृत स्वामी की शक्ति—समयाधीन रीति से व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी के रूप में रजिस्टर में निविष्टि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के विषय के तहत रजिस्टर से प्रकट अन्य व्यक्ति के निहित सभी अधिकार रखेगा और वह व्यापारिक चिह्न को किसी अन्य व्यक्ति को समानुदेशित करने और इस पर प्रभावपूर्ण रीति से रसीद देने की शक्ति प्राप्त होगी।

38. पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का समनुदेशिती तथा पारेषिती—अन्य विधि में किसी की प्रतिकूल बात के होते हुए भी एक पंजीकृत व्यापारिक चिह्न इस अध्याय के उपबंधों का विषय होगा, और वह अन्यथा सेवा या माल के संबंध में जिसके बावत व्यापारिक चिह्न पंजीकृत किया गया है समनुदेशन या पारेषण का विषय होगा।

39. अपंजीकृत व्यापार चिह्न की समनुदेशिता तथा पारेषणीयता—एक अपंजीकृत व्यापारिक चिह्न संबंधित व्यापार के साख के साथ या इसके बिना समनुदेशनीय तथा पारेषणनीय होगा।

40. जहाँ बहुविकल्पीय अनन्य अधिकार उत्पन्न होते हों वहाँ पर समनुदेशन या पारेषण पर निर्बंधन—(1) धारा 38 या धारा 39 में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी उस मामले में व्यापारिक चिह्न समनुदेशन या पारेषण योग्य नहीं होगा जिनमें पारेषण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप परिस्थितियाँ यह उत्पन्न होती हों कि क्या इस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन चिह्न के सम्बन्ध में प्रयोग के बावत व्यक्तियों के एक से अधिक अनन्य अधिकार सृजित होते हों—

(क) उसी वस्तु या सेवा के संबंध में;

(ख) उसी अभिवर्णन के माल या सेवा के सम्बन्ध में;

(ग) माल या सेवाओं या अभिवर्णन की माल या सेवाएँ जो परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हों;

[illegible] व्यापारिक चिह्न जो कि प्रत्येक अन्य के सदृश है, या आनुषांगिक व्यापार चिह्न जो कि माल या सेवाओं के सम्बन्ध में समरूपता रखते हों और व्यापारिक चिह्न की समरूपता के प्रयोग से [illegible] का कारित होना संभाव्य हो :

[illegible] का समनुदेशन या पारेषण इस उपधारा के अधीन अवैध नहीं माना [illegible] व्यक्ति में जीवंत अनन्य अधिकार अधिरोपित परिसीमाओं के कारण इस [illegible] बेचे जाने वाले कथित माल के संबंध में उन व्यक्तियों में से दो या दो से [illegible] अनुपालन योग्य हो या अन्यथा भारत क्षेत्र के भीतर उस प्रारुप में [illegible] से आयात या भारत में किसी स्थान पर सेवा के प्रयोग के संबंध में या [illegible] सेवा की उपलब्धता के संबंध में ऐसा न हो।

(2) [illegible] व्यापारिक चिह्न का संपत्तिधारी जो कि समनुदेशन को प्रस्तावित करता है [illegible] को देते हुए विहित प्रारुप में रजिस्ट्रार के समक्ष कथन प्रस्तुत करेगा [illegible] इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मालों या सेवाओं में समरूपता है या मामले [illegible] व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन उपधारा (1) में अवैध नहीं होगा एक प्रमाण पत्र [illegible] और यह अपील का विषय होगा जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जाए कि [illegible] या मिथ्याव्यपदेशन के अधीन नहीं प्राप्त किया गया था, उपधारा (1) के अधीन [illegible] समनुदेशन की वैधता या अवैधता निश्चायक रूप से दिए गए मामले के तथ्य व [illegible] पर निर्भर करेगा, किन्तु वैधता के पक्ष में प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी [illegible] की तिथि से छह माह के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन देने के लिए अधिकृत होगा।

41. जब अनन्य अधिकार भारत के विभिन्न भागों में सृजित होता हो तो समनुदेशन या पारेषण पर निर्बंधन—धारा 38 तथा धारा 39 में किसी भी बात के होते हुए भी उस मामले में व्यापारिक चिह्न समनुदेशन या पारेषण योग्य नहीं होगा जिसमें समनुदेशन या पारेषण के परिणामस्वरूप निम्न परिस्थितियाँ जीवंत हो भले ही इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन

(क) बेचे जाने वाले माल या अन्यथा भारत में किसी भी स्थान पर व्यापार या भारत के किसी स्थान पर स्वीकृत सेवाओं की उपलब्धता या सेवाओं के प्रयोग के संबंध में संबंधित व्यक्तियों में से किसी एक का अनन्य अधिकार;

(ख) प्रदत्त दिए गए व्यापारिक चिह्न के सदृश व्यापार चिह्न का प्रयोग या निम्न के संबंध में आनुषांगिक व्यापार चिह्न के संदर्भ में इन व्यक्तियों में से किसी अन्य का अनन्य अधिकार—

(i) उसी माल या सेवा के सम्बन्ध में; या

(ii) उसी अभिवर्णन के माल या सेवाओं के सम्बन्ध में; या

(iii) सेवाएँ, जो कि उस अभिवर्णन के मालों या उन मालों के साथ सामुदायिक हो या माल जो कि उन सेवाओं या अभिवर्णन के साथ सामुदायिक है;

भारत के किसी अन्य स्थान में बेचे जाने वाले मालों के सम्बन्ध में सीमित प्रयोग या अन्यथा व्यापारिक या सेवाओं का प्रयोग या सेवाओं के उपलब्धता की स्वीकृति हो :

बशर्ते कि इस तरह के किसी भी मामले के व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी द्वारा विहित रीति से दिए गए आवेदन पर जो इसके समनुदेशन को प्रस्तावित करता है या उस व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर जो कि स्वयं को पंजीकृत व्यापारिक चिह्न को पारेषित करने का दावा करता है, या इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उसके पूर्व स्वत्वधारी द्वारा इस तरह का आवेदन किया जाता है तो यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो कि सभी परिस्थितियों के व्यापारिक चिह्न का प्रयोग जो कथित अधिकार में अनुपालन में है लोकहित के प्रतिकूल नहीं है तो इस तरह के समनुदेशन या पारेषण का अनुमोदन कर सकेगा और इस तरह से अनुमोदित समनुदेशन या पारेषण में जब तक यह दर्शित न कर दिया जाए कि अनुमोदन कपट या मिथ्या व्यपदेशन से प्राप्त किया गया था तब तक वह इस धारा या धारा 40 के अधीन अवैध नहीं माना जाएगा, यदि स्वत्वधारी व्यक्ति अधिकृत हो तो वह मामले के पारेषण की तिथि के पूर्व या उस तिथि जिस पर अनुमोदन दिया गया 6 माह की अवधि के भीतर धारा 45 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकेगा।

42. **व्यापार की साख से अन्यथा समनुदेशन की शर्तें**—जहाँ पर व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन भले ही वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत उस व्यापार की साख से अन्यथा समनुदेशित किया जाता है जिसमें चिह्न प्रयुक्त है तो समनुदेशन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस तिथि से छह माह की अवधि का पर्यावसान न हो जाए जिस पर कि समनुदेशन किया गया या कोई ऐसी विस्तृत अवधि जो कि कुल मिलाकर के तीन माह से अधिक नहीं होगी जैसा भी रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे समनुदेशन के संबंध में विज्ञापन हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन न दे दिया गया हो तथा इसका विज्ञापन ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जिसे कि रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ निम्न अभिवर्णनों के व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन व्यापार की साख से अन्यथा किया गया समनुदेशन नहीं माना जाएगा जिसमें कि व्यापारिक चिह्न प्रयुक्त किया गया है, नामतः—

(क) उन सेवाओं या मालों के संबंध में केवल कुछ माल या सेवा का समनुदेशन जिसमें सम्बन्धित कार्यव्यापार की साख का स्थानान्तरण पंजीयन द्वारा हुआ है;

(ख) एक ऐसे व्यापार चिह्न का समनुदेशन जो कि भारत से आयातित मालों के सम्बन्ध में या भारत से परे सेवाओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त है यदि समनुदेशन केवल आयातित व्यापार की साख के स्थानान्तरण के साथ इसके द्वारा किया गया है।

43. **अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न की समनुदेशिता तथा पारेषणीयता**—रजिस्ट्रार की सहमति के सिवाय अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन या पारेषण नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए विहित प्रारुप में लिखित रीति से आवेदन करना होगा।

44. सामुदायिक व्यापारिक चिह्न की समनुदेशिता तथा पारेषणीयता—सामुदायिक व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन या पारेषणपूर्ण रीति से न कि पृथक रीति से किया जाएगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के विषयों के तहत वे अन्य सभी प्रयोजनों हेतु पृथक व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत माना जाएगा।

45. समनुदेशन तथा पारेषण का पंजीकरण—(1) जहाँ एक व्यक्ति समनुदेशन या पारेषण द्वारा पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के लिए अधिकृत हो जाए तो वह विहित प्रारुप में अपने स्वत्व के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करेगा और रजिस्ट्रार इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर और अपनी संतुष्टि हेतु स्वत्व के सबूत पर रजिस्ट्रार उस माल या वस्तु के सम्बन्ध में जिसका समनुदेशन या पारेषण किया गया है आवेदक को उसके सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी के रूप में पंजीकृत कर सकेगा और इस तरह के समनुदेशन या पारेषण के विशिष्ट कारणों को रजिस्टर में निविष्ट करेगा :

बशर्ते कि जहाँ पर समनुदेश या पारेषण की वैधता पक्षकारों के मध्य विवादित हो तो रजिस्ट्रार पारेषण या समनुदेशन के पंजीकरण को अस्वीकार कर सकेगा जब तक पक्षकारों के अधिकारों का अभिनिश्चयन सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष दिए गए आवेदन के या उस आदेश से की गयी अपील या धारा 57 के अधीन दिए गए आवेदन या उस आदेश के विरुद्ध की गयी अपील के सिवाय, कोई भी दस्तावेज या लिखत जिसके संबंध में उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रजिस्टर में कोई भी निविष्टी नहीं की गई है, समनुदेशन या पारेषण द्वारा व्यापारिक चिह्न के स्वत्व के सबूत के रूप में साक्ष्य के तौर पर रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड या किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा।

अध्याय–6

व्यापारिक चिह्न का प्रयोग और पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता

46. प्रारूपित कम्पनी आदि द्वारा व्यापारिक चिह्न का प्रस्तावित प्रयोग—(1) किसी भी माल या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु दिया गया आवेदन न तो अस्वीकार किया जाएगा और न ही इस तरह के पंजीकरण हेतु दी गई अनुमति को निराकृत किया जाएगा, मात्र इस आधार पर कि यह प्रकट होता है कि आवेदक ने न तो व्यापारिक चिह्न का प्रयोग किया है और न ही उसके द्वारा इस तरह का प्रयोग प्रस्तावित है, यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो कि—

(क) एक कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रारूपित तथा पंजीकृत है और आवेदक का आशय कम्पनी द्वारा उस माल या सेवाओं के सम्बन्ध में उनके प्रयोग की दृष्टि से कम्पनी को व्यापारिक चिह्न को समनुदेशित करने का रहा है, या

(ख) संपत्तिधारी का आशय व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के पश्चात् पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होने का रहा हो।

(2) इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में, उस धारा की उपधारा के खण्ड (क) के भावबोध में निर्देश इस तरह से लगाया जाएगा मानो कि

पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का प्रयोग अपने आशय की विधा के अनुक्रम प्रतिस्थापित आशय के अधीन किया गया हो।

(3) न्यायाधिकरण उन मामलों में जिनमें उपधारा (1) लागू हो सकती हो, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपील या विरोध से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में होने वाले खर्चों के लिए प्रतिभूति दे और यदि आवेदक प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करता है तो आवेदन अभित्यजित माना जाएगा।

(4) जहाँ उस मामले में जिसमें उपधारा (1) लागू होती हो माल या वस्तु के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न उस आवेदक के नाम से पंजीकृत होगा जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि वह व्यापारिक चिह्न का समनुदेशन कम्पनी को करेगा, जब तक कि विहित अवधि के भीतर या बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जो कि कुल मिलाकर छः माह से अधिक नहीं होगी, विहित रीति में अपने समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उस माल या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न को सम्पत्तिधारी के रूप में कम्पनी के पक्ष में पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा, उक्त अवधि के पर्यावसान पर पंजीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और तद्नुसार रजिस्ट्रार रजिस्टर में संशोधन करेगा।

47. रजिस्टर से हटाया जाना और प्रयोग न होने के आधार पर परिसीमा का अधिरोपण—(1) पीड़ित व्यक्ति द्वारा निम्न आधारों पर रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड के समक्ष विहित प्रारुप में आवेदन करने पर वस्तु या सेवाओं के सम्बन्ध में किया गया पंजीकृत व्यापारिक चिह्न रजिस्टर से हटाया जा सकेगा—

(क) यह कि आवेदक के पंजीकरण के भाग के कि उसके द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं, के सम्बन्ध में इसका प्रयोग किया जाएगा, बिना किसी सद्भावनापूर्ण आशय के व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया हो या उस मामले में जिसमें संबंधित कम्पनी द्वारा धारा 46 के उपबंध लागू होते हों या इस तरह के उपबंध प्रयोगकर्त्ता के कारण लागू होते हों और आवेदन की तिथि से तीन माह पूर्व से समयाधीन उसके किसी सम्पत्तिधारी द्वारा सेवाओं या वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार चिह्न का सद्भावनापूर्ण प्रयोग न किया गया हो, या

(ख) आवेदन की तिथि से तीन माह पूर्व तक उस तिथि से पाँच वर्ष की अवधि की नियमितता में जिस पर वस्तुतः व्यापारिक चिह्न रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया, या उससे अधिक अवधि तक जिस तक व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया था और उस अवधि के दौरान समयाधीन सम्पत्तिधारी द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में सद्भावनापूर्ण प्रयोग नहीं किया गया था :

बशर्ते कि उसके सिवाय जहाँ पर प्रश्नगत वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के सदृश या आनुषांगिक पंजीकरण की अनुमति धारा 12 के अधीन प्रदान की गयी है, या जहाँ पर न्यायाधिकरण की राय यह है कि व्यापारिक चिह्न के इस तरह के पंजीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए तो उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण खण्ड (क) या

खण्ड (ख) के अधीन आवेदन को ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा, यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि सुसंगत तिथि के पूर्व या ऐसी अवधि के दौरान समयाधीन संपत्तिधारी द्वारा—

(i) ऐसी अभिवर्णन की वस्तु या सेवाओं, या

(ii) ऐसा अभिवर्णन भी होने वाली वस्तुओं या सेवाओं जो वस्तुएँ या सेवाएँ, उन वस्तुओं या सेवाओं के सामुदायिक हैं, जिनके सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है।

(2) जहाँ किन्हीं माल या सेवाओं के सम्बन्ध में जिसके सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण किया गया है—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट परिस्थिति यह दर्शित करती हो कि बेची गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न का प्रयोग नहीं हुआ है, या (भारत से आयात से भिन्न) भारत के विशिष्ट स्थान में व्यापारिक या भारत से परे किसी बाजार से आयातित वस्तुओं के सम्बन्ध में या सेवाओं के सम्बन्ध में या भारत के किसी विशिष्ट स्थान में उपलब्ध सेवा की स्वीकृति, और

(ख) या एक व्यक्ति धारा 12 के अधीन उन वस्तुओं के बेचे जाने के सम्बन्ध में प्रयोग के विस्तार के अधीन उन वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न की निकटतम सदृशता या आनुषांगिक पंजीकरण के लिए अनुज्ञेय हो, या भारत में अन्यथा व्यापारित या इस प्रकार से आयातित वस्तुओं के सम्बन्ध में या, सेवाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में या उस स्थान में उपलब्ध करायी गयी सेवा की स्वीकृति, या न्यायाधिकरण की इस राय पर कि इस तरह के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए,

तो उस व्यक्ति द्वारा विहित प्रारुप में अपीलीय बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दिए जाने पर न्यायाधिकरण ऐसी परिसीमाओं पर जिसे कि वह इस बात के अभिनिश्चयन के लिए उचित समझे कि विस्तार पर प्रयोग बंद हो जाएगा, प्रथमतः दिए गए व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(3) एक आवेदक उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ व्यापारिक चिह्न का प्रयोग न किए जाने के विश्वास के लिए अधिकृत नहीं होगा जिसमें किसी विधि द्वारा अधिरोपित भारत निर्बंधित प्रयोग के व्यापारिक चिह्न को सम्मिलित करते हुए या व्यापार के सम्यक् विशिष्ट परिस्थिति से यह दर्शित कर दिया गया हो और अभित्याग का कोई आशय न हो और न ही उस व्यापारिक चिह्न का प्रयोग किया गया हो जिसके सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है।

48. पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता—(1) धारा 49 के उपबंधों के विषय के तहत व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत संपत्तिधारी से भिन्न व्यक्ति ऐसी सभी माल या सेवाओं के सम्बन्ध में जिनका कि व्यापारिक चिह्न पंजीकृत किया गया है, पंजीकृत प्रयोग के रूप में उस सम्बन्ध में पंजीकृत किया जा सकेगा।

(2) व्यापारिक चिह्न का अनुज्ञेय प्रयोग उससे संपत्तिधारी द्वारा प्रयुक्त किया गया माना जाएगा तथा धारा 47 या इस अधिनियम या अन्य विधि के प्रयोजनार्थ संपत्तिधारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा

इसका प्रयोग किया गया नहीं माना जायगा।

49. पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकरण—(1) जहाँ यह प्रस्तावित हो कि व्यक्ति को व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए तो पंजीकृत संपत्तिधारी और प्रस्तावित पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता दोनों विहित प्रारुप में रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे और इस तरह का प्रत्येक आवेदन निम्न के साथ होगा—

(क) लिखित करार या उसकी सम्यक् अधिप्रमाणित प्रति जो कि व्यापारिक चिह्न के प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में पंजीकृत सम्पत्तिधारी और प्रस्तावित पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के मध्य हुआ हो,

(ख) रजिस्ट्रार की संतुष्टि हेतु पंजीकृत संपत्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र का दिया जाना, शपथ पत्र में निम्न को दिया जाएगा—

(i) पंजीकृत संपत्तिधारी तथा प्रस्तावित पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के मध्य विद्यमान सम्बन्धों की विशिष्टियाँ, संपत्तिधारी द्वारा अनुज्ञेय प्रयोग के नियंत्रण के मानक की विशिष्टी को सम्मिलित करते हुए जो सम्बन्ध इस आधार पर प्रदत्त होता हो, और यह कि क्या उनके सम्बन्ध की शर्त यह है कि क्या प्रस्तावित पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता एकमात्र पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता होगा या उस व्यक्ति के रूप में ऐसा प्रयोग निर्बंधन के अधीन होगा जिसके पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता होने के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है,

(ii) उस माल या वस्तु को दिया जाएगा जिसके सम्बन्ध में पंजीकरण प्रस्तावित है,

(iii) शर्तों तथा निर्बंधनों को दिया जाएगा, जो कि माल या सेवाओं की प्रकृति, रीति, या अनुज्ञात प्रयोग के स्थान या अन्य विषयों के सम्बन्ध में अधिरोपित हों,

(iv) इस बात को दिया जाएगा कि क्या प्रयोग की अनुमति किसी अवधि के लिए है या बिना अवधि के हैं,

(ग) ऐसे अन्य सभी दस्तावेज व साक्ष्य जिनमें विहित प्रारूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा रजिस्ट्रार करे।

(2) जब उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया जाए तो संतुष्टि के उपरांत रजिस्ट्रार माल या सेवाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रयोगकर्त्ता को पंजीकृत करेगा।

(3) व्यक्ति को पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकृत कर लेने के उपरांत रजिस्ट्रार विहित प्रारुप में व्यापार चिह्न के किसी अन्य प्रयोगकर्त्ता को यदि कोई हो नोटिस जारी करेगा।

(4) रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि (रजिस्टर में निविष्ट विषय से भिन्न) इस धारा के अधीन आवेदन के प्रयोजनार्थ दी जाने वाली सूचना के

पंजीकृत व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न प्रकट करने के लिए कदम उठाए।

60. पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकरण को निरस्त करने या सुभिन्नता के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) धारा 57 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकृत किया गया व्यक्ति—

(क) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उस माल या सेवाओं में सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत सम्पत्तिधारी द्वारा दिए गए आवेदन पर किसी भी तरह की सुभिन्नता कर सकेगा,

(ख) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के अन्य प्रयोगकर्त्ता या इस तरह के व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी द्वारा दिए गए विहित प्रारुप के आवेदन पर ये प्रयोग को निरस्त कर सकेगा,

(ग) निम्नलिखित आधारों पर किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्ररुप में दिए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार द्वारा दी गयी प्रयोग की अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा—

(i) यह कि पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किए गए करार से सुभिन्न रीति में व्यापार चिह्न का प्रयोग कर रहा है, या प्रयोग इस रीति में कर रहा है कि इससे जनता के साथ छल या संदेह होता हो,

(ii) यह कि संपत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता ने मिथ्या व्यपदेशन किया हो या पंजीकरण के आवेदन में कतिपय ऐसे तथ्यों का विलोपन किया हो जिन्हें कि यथार्थ रूप प्रस्तुत करना चाहिए था या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के पंजीकरण के सम्बन्ध में ऐसा प्रकटीकरण न्यायोचित था,

(iii) यह कि पंजीकरण की तिथि से परिस्थितियाँ इस रूप में बदल गयी हों कि निरस्तीकरण के आवेदन की ऐसी तिथि पर वे पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के पंजीकरण को न्यायोचित न ठहराती हो,

(iv) यह कि ऐसी संविदा के अनुपालन में जिससे आवेदन हितबद्ध हो निहित अधिकारों के सम्बन्ध में पंजीकरण ईप्सित रीति से प्रभावी न होता हो,

(घ) रजिस्ट्रार स्वेच्छया या, किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्रारुप में दिए गए आवेदन पर माल या सेवा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जिसके बावत व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाता है, पंजीकृत संपत्तिधारी तथा पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के मध्य नियत करार के प्रवर्तन या प्रभाव में न रहने के कारण प्रयोग के लिए दी गयी अनुमति को निरस्त कर सकेगा।

(ङ) किसी माल या सेवा के सम्बन्ध में जिस बावत व्यापार चिह्न लम्बे समय तक पंजीकृत नहीं रहता है उस व्यापार चिह्न से सम्बन्धित माल या सेवाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रयोग को निरस्त कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार विहित प्रारुप में व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता (आवेदक न होने पर) और संपत्तिधारी को नोटिस जारी करेगा।

(4) पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया वह होगी जो कि विहित की जाए :

परन्तु कि पंजीकरण को निरस्त किए जाने के पूर्व पंजीकृत सम्पत्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

51. पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के सम्बन्ध में करार से सम्बन्धित सूचनाओं को आहूत करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) पंजीकृत प्रयोग के पंजीकरण की नियमितता के दौरान रजिस्ट्रार किसी समय रजिस्ट्रार लिखित नोटिस द्वारा पंजीकृत संपत्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह नोटिस प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर धारा 49 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किए गए करार को प्रलेखीय रीति में प्रस्तुत करे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई अपेक्षा पर एक माह की अवधि के भीतर पंजीकृत सम्पत्तिधारी प्रलेखीय करार को अग्रसारित करने से निष्फल रहता है तो कथित अवधि के पर्यवसान पर पंजीकृत प्रयोग समाप्त हो जाएगा, तथा रजिस्ट्रार इसके समतुल्य अधिसूचित करेगा।

52. अतिलंघनकर्त्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता का अधिकार—(1) पक्षकारों के मध्य किए गए किसी करार के विषयाधीन एक पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता अतिलंघन की दशा में अपने नाम इस तरह से कार्यवाही कर सकेगा मानो कि वह पंजीकृत सम्पत्तिधारी हो, और इस सम्बन्ध में पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के सभी आधार तथा दायित्व पंजीकृत सम्पत्तिधारी की भाँति होंगे।

(2) अन्य विधि में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी प्रतिपक्षी के रूप से इस प्रकार से जोड़ा गया पंजीकृत सम्पत्तिधारी किसी भी खर्च के लिए तब तक दायित्वाधीन नहीं होता जब तक कि वह उपस्थित हो करके कार्यवाही के भाग नहीं ले लेता है।

53. अतिलंघनकर्त्ता के विरुद्ध अंगीकृत कार्यवाही में प्रयोगकर्त्ता की अनुमति का अधिकार नहीं— धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (आर) के उपखण्ड (II) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति अतिलंघन की दशा में कार्यवाही संस्थित करने का अधिकार नहीं रखेगा।

54. पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता पारेषण या समनुदेशन का अधिकार नहीं रखेगा— इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता को पारेषण या समनुदेशन का अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण I—व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता का अधिकार निम्नलिखित मामलों में इस धारा के भावाबोध में समनुदेशित या पारेषित नहीं माना जाएगा, नामत:—

(क) जहाँ पर सम्बन्धित कार्य व्यापार के संचालन हेतु पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता व्यक्तिगत तौर पर किसी भागीदारी में प्रविष्ट होता है किन्तु इस तरह के मामले में फर्म व्यापार चिह्न का प्रयोग कर सकती हो, यदि अन्यथा प्रवर्तभागी स्थिति में पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता फर्म का सदस्य हो,

(ख) जहाँ पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता फर्म होने के कारण नियमितता को परिवर्तित कर लेता है किन्तु इस तरह के फर्म पुनर्गठन पर पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में किसी समय

पुनर्गठित फर्म का भागीदार हो जाता है।

स्पष्टीकरण II—स्पष्टीकरण I के प्रयोजनार्थ फर्म का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में अर्थान्वित किया गया है।

55. किसी एक सामुदायिक या मौलिक आनुषांगिक व्यापार चिह्न का प्रयोग अन्य के प्रयोग के समतुल्य होगा—(1) जहाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रयोजन हेतु पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का साबित किया जाना अपेक्षित है तो यदि न्यायाधिकरण ऐसा करना सही समझे तो वह सामुदायिक व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक चिह्न की अतिरिक्तता या संपरिवर्तन जो कि पहचान को प्रभावित न करता हो, समतुल्य प्रयोग को साबित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का पूर्ण प्रयोग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार उसी संपत्तिधारी के नाम में होने वाले व्यापारिक चिह्न के भाग के रूप में व्यवहारित माना जाएगा।

(3) धारा 32 में किसी भी बात के होते हुए भी उपधारा (2) में पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के किसी भाग का प्रयोग इस तरह से निश्चायक नहीं होगा कि इस अधीन सुभिन्नता के प्रयोजनार्थ साक्ष्य हो सके।

56. निर्यात व्यापार के लिए व्यापार चिह्न का प्रयोग और जब व्यापार सम्बन्ध का प्ररुप परिवर्तित होता हो तब इसका प्रयोग—(1) भारत से निर्यात होने वाले मालों के व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में भारत में किए गए आवेदन या भारत से परे सेवाओं के सम्बन्ध में या इस प्रकार से आयातित मालों या धारित सेवाओं के सम्बन्ध में भारत में किए गए कार्य जो कि यदि बेचे जाने वाले मालों या उपलब्ध करायी गयी सेवा या भारत के भीतर अन्यथा व्यापारित उसमें दिए गए व्यापारिक चिह्न के प्रयोग का गठन करेंगे तथा उन प्रयोजनों हेतु जिसमें उनका प्रयोग इस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन तात्विक है उन वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में नियमित माना जाएगा।

(2) उन मालों या सेवाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का प्रयोग जिनके मध्य व्यापार के अनुरूप के किसी सांवधिक स्थिति में चिह्न का प्रयोग करता है तो इससे जनता को छल या संदेह होता हुआ नहीं माना जाएगा, मात्र इस आधार पर कि माल या सेवाओं के सम्बन्ध में प्रयोग जिनके मध्य और कथित व्यक्ति या उस व्यक्ति का पूर्व स्वत्वधारी व्यापार के अनुरूप में भिन्न प्रारूप का सम्बन्ध रखता हो।

अध्याय–7

रजिस्टर का परिशोधन तथा सही किया जाना

57. पंजीकरण को सुभिन्न या निरस्त करने की शक्ति और रजिस्टर का परिशोधन—(1) किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूप में अपीलीय बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन किए जाने पर न्यायाधिकरण किसी अतिलंघन, या रजिस्टर में निविष्ट किसी शर्त के अनुपालन की

निष्फलता की दशा में पंजीकृत व्यापारिक चिह्न की सुभिन्नता निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे कि वह उपयुक्त समझे।

(2) रजिस्टर में की गई निविष्टी का लोप या अनुपस्थिति या बिना किसी युक्तिसंगत कारण के रजिस्टर में की गई निविष्टी या रजिस्टर में की गई त्रुटिपूर्ण निविष्टी से या रजिस्टर में की गयी दोषपूर्ण निविष्टी से पीड़ित व्यक्ति विहित प्रारूप में अपीलीय बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दे सकेगा और उक्त आवेदन पर न्यायाधिकरण रजिस्टर से इस तरह की निविष्टी को निकालने या उसे दुरुस्त करने के सम्बन्ध यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(3) न्यायाधिकरण इस धारा के अधीन की गयी किसी भी कार्यवाही में किसी भी ऐसे प्रश्न का अभिनिश्चय कर सकेगा जिसका अभिनिश्चयन रजिस्टर के परिशोधन की दृष्टि से समीचीन तथा आवश्यक हो।

(4) न्यायाधिकरण स्वयं के विकल्प पर संबंधित पक्षकारों को विहित प्रारूप में नोटिस देने के पश्चात् उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को देने के पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करेगा।

(5) रजिस्टर में परिशोधन के सम्बन्ध में अपीलीय बोर्ड के किसी आदेश को विहित प्रारूप में नोटिस रजिस्ट्रार पर तामील करायी जाएगी, जो कि इस तरह की नोटिस की प्राप्ति पर तद्नुसार रजिस्टर में परिशुद्धि कर सकेगा।

58. रजिस्टर का सही किया जाना—(1) रजिस्ट्रार पंजीकृत संपत्तिधारी द्वारा विहित प्रारूप में किए गए आवेदन पर—

(क) व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत संपत्तिधारी के अभिवर्णन या नाम व पते के सम्बन्ध में की गई किसी त्रुटि को सही कर सकेगा या व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित अन्य त्रुटियों को सही कर सकेगा, या

(ख) उस व्यक्ति के नाम, पते या अभिवर्णन में परिवर्तन कर सकेगा जो कि व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी के रूप में पंजीकृत है,

(ग) रजिस्टर में व्यापारिक चिह्न की निविष्टी को परिवर्तित कर सकेगा,

(घ) उन माल या सेवाओं के सम्बन्ध में जिसके विषय में व्यापारिक चिह्न पंजीकृत है उनमें से निविष्ट किसी माल या सेवा को रजिस्टर से निकाल सकेगा,

या रजिस्टर में किसी भी तरह का परिणामिक संशोधन या पंजीकरण के अधिप्रमाणन में संपरिवर्तन कर सकेगा किन्तु इस तरह के संशोधन या संपरिवर्तन के पूर्व रजिस्ट्रार यह अपेक्षाकर सकेगा कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(2) रजिस्ट्रार व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत द्वारा विहित प्रारूप में दिए गए आवेदन पर पंजीकृत संपत्तिधारी को नोटिस देने के पश्चात् किसी त्रुटि को सही कर सकेगा या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के अभिवर्णन या नाम तथा पते की निविष्टी के सम्बन्ध में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकेगा।

59. पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का संपरिवर्तन—(1) व्यापारिक चिह्न का पंजीकृत संपत्तिधारी किसी रीति में व्यापारिक चिह्न पर मौलिक रीति से आनुषांगिक प्रभाव न डालने की

स्थिति के अधीन व्यापारिक चिह्न के संपरिवर्तन या इसमें किसी भी बात को जोड़ने हेतु विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन कर सकेगा आवेदन पर रजिस्ट्रार इस तरह की छूट प्रदान करने से इंकार कर सकेगा या ऐसी परिसीमा के विषय के तहत इस तरह की छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर रजिस्ट्रार को ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो इस तरह के अधीन किए गए आवेदन पर विहित रीति में कारणों का विज्ञापन कर सकेगा और जहाँ पर वह ऐसा करता है यदि विज्ञापन की तिथि से विहित समयावधि के भीतर रजिस्ट्रार विरोध करने वाले व्यक्ति को विहित प्रारूप में नोटिस देगा, रजिस्ट्रार अपेक्षित समझने पर पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन छूट मंजूर कर ली जाती है तो व्यापारिक चिह्न जैसा संपरिवर्तित किया गया है वह उस रूप में विहित प्रारूप में विज्ञापित किया जाएगा, जब तक कि आवेदन उपधारा (2) के अधीन पूर्वत: विज्ञापित न किया गया हो।

60. रजिस्टर में निविष्टियों की अनुकूलता का संशोधन या माल या सेवाओं के वर्गीकरण या प्रतिस्थापन—(1) रजिस्ट्रार रजिस्टर में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगा जिसका प्रभाव किन्हीं मालों या श्रेणी के मालों या सेवाओं के जोड़ के रूप में हो जिनमें सम्बन्ध में व्यापार चिह्न का पंजीकरण किया गया है (भले ही इनकी श्रेणी एक या अधिक हो) :

बशर्ते कि यह धारा वहाँ नहीं लागू होगी जब रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो कि स्थिति अनुपालन योग्य है और कोई भी जटिलता अन्तर्वलित नहीं है और इस प्रकार की अतिरिक्तता या पूर्वदिनांकन माल या सेवाओं की मौलिक यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और न ही किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) इस तरह के संशोधन के प्रस्ताव को रजिस्ट्रार प्रभावी व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत संपत्तिधारी की जानकारी में लाया जाएगा, तथा विहित रीति में इसका विज्ञापन किया जाएगा, तथा इस आधार पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष विरोध प्रस्तुत कर सकेगा कि प्रस्तावित संशोधन उपधारा (1) के उपबंधों के अतिलंघन में है।

अध्याय-8

संग्रहीत चिह्न

61. संग्रहीत चिह्नों के विशेष उपबंध—(1) इस अध्याय में दिए गए उपबंधों के विषयाधीन इस अधिनियम के उपबंध संग्रहीत चिह्नों पर लागू होंगे।

(2) संग्रहीत चिह्नों के सम्बन्ध में, उनमें से किसी एक व्यक्ति की सेवा या माल की सुभिन्नता जैसा कि धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (जेड बी) में उपबंधित है का निर्देश व्यक्तियों में समुदाय के सदस्यों की सेवाओं या मालों की सुभिन्नता से लगाया जो कि चिह्न के संपत्तिधारी हैं।

62. प्रकृति या महत्त्व के रूप में व्यापारिक चिह्न भुलावापूर्ण नहीं होगा—संग्रहीत व्यापारिक चिह्न को पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि संग्रहीत चिह्न से भिन्न को अंगीकृत किए जाने पर विशिष्ट रीति में जनता को संदेह या उनके साथ धोखा होता हो, और इस तरह वे मामले में रजिस्ट्रार यह अपेक्षा कर सकेगा कि चिह्न जिसके पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, आवेदन में इस बात का निर्देश दिया जाए कि यह संग्रहीत चिह्न है?

63. संग्रहीत चिह्न के प्रयोग को प्रशासित करने वाले विनियमों द्वारा आवेदन का दिया जाना—(1) संग्रहीत चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन संग्रहीत चिह्न के प्रयोग को प्रशासित करने वाले विनियमों के साथ दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों में चिह्न के प्रयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों, समुदाय की सदस्यता की शर्तों, तथा चिह्न के प्रयोग की शर्तों, दुरुपयोग के विरुद्ध शास्ति को सम्मिलित करते हुए और ऐसे विषय जो विहित हों, दिए जाएँगे।

64. रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन तथा विनियमों की स्वीकृति—यदि रजिस्ट्रार को यह प्रकट होता हो कि पंजीकरण की अपेक्षाएँ संतुष्टजन्य हैं तो वह विनियमों के साथ आवेदन को स्वीकार करेगा, और वह नि:शर्त या ऐसी शर्तों के विषय के तहत जिसमें कथित विनियमों का संशोधन भी सम्मिलित होगा यदि कोई हो, स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा, यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो विनियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

65. विनियमों का निरीक्षण हेतु खुला रहना—धारा 63 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियम धारा 148 में रजिस्टर की भाँति लोक निरीक्षण हेतु सदैव खुले रहेंगे।

66. विनियमों का संशोधन—धारा 63 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों का कोई संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि संशोधित विनियम रजिस्ट्रार के समक्ष दायर न कर दिया गया हो तथा धारा 64 के उपबंधों के अनुसार इसका प्रकाशन न हो गया हो।

67. संग्रहीत चिह्न के पंजीकृत सम्पत्तिधारी द्वारा कार्यवाहियों का अतिलंघन—वादी के रूप में संग्रहीत चिह्न के पंजीकृत सम्पत्तिधारी द्वारा संस्थित अतिलंघन सम्बन्धी वाद में न्यायालय पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा उठायी गयी क्षति या पीड़ा को विचार में लाएगा तथा उस विस्तार तक जिस तक वादी ऐसे प्राधिकृत प्रयोगकर्त्ता की तरफ से किसी भी तरह के आर्थिक उपचार हेतु कार्यवाही करता है, किसी भी, तरह का निर्देश दे सकेगा।

68. संग्रहीत चिह्न के पंजीकरण को हटाने के अतिरिक्त आधार—संग्रहीत चिह्नों के पंजीकरण को रजिस्टर से निम्न आधारों पर हटाया जा सकेगा—

(क) उस रीति में जिसमें संपत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा संग्रहीत चिह्न का प्रयोग किया जाता है उससे संग्रहीत चिह्न के रूप में जनता के साथ छल या भुलावे की स्थिति उत्पन्न होती हो, या

(ख) यह कि संपत्तिधारी चिह्न के प्रयोग को शासित करने वाले विनियमों को संप्रेक्षित करने से असफल रहा हो,

स्पष्टीकरण I—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो तब तक, ''प्राधिकृत प्रयोगकर्त्ता'' का अभिप्राय समुदाय के एक ऐसे सदस्य से लगाया जाएगा जो कि समुदाय के पंजीकृत संग्रहीत चिह्न के प्रयोग के लिए प्राधिकृत हो।

स्पष्टीकरण II—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण I में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रयोगकर्त्ता द्वारा संग्रहीत चिह्न का प्रयोग उसके पंजीकृत संपत्तिधारी द्वारा होने वाला प्रयोग माना जाएगा।

अध्याय-9
व्यापारिक चिह्नों का अधिप्रमाणक

69. इस अधिनियम के निश्चित उपबंधों का अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्नों पर लागू न होना—इस अधिनियम के निम्न उपबंध अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्नों पर नहीं लागू होंगे, अर्थात्—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) का खण्ड (क) और (ग);

(ख) धारा 18, 20 तथा 21, सिवाय जैसा कि इस अध्याय द्वारा प्रत्यक्षत: प्रयोज्य हों;

(ग) धारा 28, 29, 30, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 54 तथा धारा 56 की उपधारा (2);

(घ) धारा 107 के सिवाय अध्याय XII।

70. अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण—एक चिह्न उस व्यक्ति के नाम अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत नहीं होगा जो कि अधिप्रमाणित प्रकार के व्यापार का संचालन करता हो या अधिप्रमाणित प्रकार की सेवा को उपलब्ध कराता हो।

71. अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन—(1) अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकरण हेतु दिया गया कोई आवेदन उसके संपत्तिधारी के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, तथा इसे धारा 74 के अधीन निक्षेपित विनियमों के प्रारूप के साथ दिया जाएगा।

(2) धारा 70 के उपबंधों के विषयाधीन, धारा 18, 19 तथा धारा 22 के उपबंध इस धारा के अधीन दिए गए आवेदन के सम्बन्ध में इस रीति से लागू होंगे जैसा कि धारा 18 के उपबंधों के अधीन दिए गए आवेदन के सम्बन्ध और इसका निर्देशित अर्थान्वयन भी तद्नुसार लगाया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन कथित उपबंधों के साथ आवेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण उन सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा, जिन बातों पर वह धारा 18 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करता तथा इस धारा के अधीन दिए गए आवेदन पर अधिप्रमाणिक चिह्न का कतिपय निर्देश भी दिया जाएगा कि यह एक अधिप्रमाणिक व्यापार चिह्न है।

72. रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन पर विचार—(1) निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में धारा 71 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार विचार करेगा—

(क) क्या आवेदक उन मालों को अधिप्रमाणित करने में सक्षम है जिसके चिह्न का पंजीकरण होना है,

(ख) क्या धारा 74 के अधीन दायर विनियमों का प्रारूप संतुष्टकारी है,

(ग) क्या प्रत्येक परिस्थिति में पंजीकरण जनता के लाभ पर प्रयोज्य होगा,

और अन्यथा, रजिस्ट्रार

(i) आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा, या

(ii) आवेदन को स्वीकृत करते हुए बिना उपांतरण या बिना शर्त के विनियमों के प्रारूप को अनुमोदित कर देगा, या आवेदन में किसी भी तरह का उपांतरण या संशोधन कर सकेगा जिसे करना वह मामले के तथ्यों के अधीन उचित समझे।

(2) बिना शर्त और बिना उपांतरण के अनुमोदन और मामले की स्वीकृत के सिवाय रजिस्ट्रार आवेदन को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उपधारा (1) के अधीन किसी भी विषय का विनिश्चय नहीं करेगा।

73. अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण का विरोध—जब कोई आवेदन स्वीकार कर लिया जाए तो इस तरह की स्वीकृति के तुरंत पश्चात् रजिस्ट्रार विहित प्रारूप में कारणों का विज्ञापन करेगा, और चिह्न के पंजीकरण के सम्बन्ध में धारा 21 के उपबंध, धारा 18 के अधीन दिए गए आवेदनों की भाँति लागू होंगे।

74. अधिप्रमाणिक व्यापार चिह्न के प्रयोग को अधिशासित करने वाले विनियमों का दायर किया जाना—(1) ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय में प्रत्येक चिह्न के सम्बन्ध में उसके प्रयोग को अधिशासित करने वाले अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्नों को दायर किया जाएगा जिनमें उन मामलों के उपबंधों की भाँति अन्तर्वस्तुएँ सम्मिलित होगी जिसमें माल या सेवाओं के सम्बन्ध में संपत्तिधारी अधिप्रमाणित हो तथा अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया हो, और अन्य ऐसे उपबंधों को दिया जाएगा जिन्हें रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसमें जोड़ने की अपेक्षा करे (विनियमों के अनुसार अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्नों के अधिप्रमाणित प्रयोग या माल या सेवाओं के सम्बन्ध में अधिप्रमाणित संपत्तिधारी की इकाई के रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध प्रदत्त अपीलीय अधिकार के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए) और इस तरह से दायर विनियम धारा 148 के उपबंधों के अधीन रजिस्टर की भाँति जनता के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) पंजीकृत संपत्तिधारी के आवेदन पर इस तरह से दायर किया गया विनियम रजिस्ट्रार द्वारा संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) जहाँ ऐसा करना समीचीन प्रकट होता हो रजिस्ट्रार किसी भी आवेदन के मामलों में आवेदन के कारणों को विज्ञापित करेगा, यदि विहित अवधि के भीतर किसी व्यक्ति को विरोध की नोटिस दी जाती है तो रजिस्ट्रार इस तरह के व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मामले का विनिश्चय नहीं करेगा।

75. अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन— धारा 18 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अतिलंघन किया जाता है जो, प्रमाणन व्यापार चिह्न के पंजीकृत स्वत्वधारी नहीं है या धारा 74 के अधीन दायर किये गये विनियम अधीन उसके वास्ते उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उसके अनुसार प्रयोग कर रहा है, कारबार के अनुक्रम में एक चिह्न का प्रयोग करता है, जो कि किसी माल या सेवाओं के सम्बन्ध में प्रमाणन व्यापार चिह्न जिसके सम्बन्ध में यह पंजीकृत किया गया है, के तद्रूप या इतना समरूप कि प्रमाणन व्यापार चिह्न से धोखा हो जाये, और रीति में उस चिह्न का प्रयोग करना जैसे कि व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जा रहा है।

76. कार्य जो प्रमाणन व्यापार चिह्न का अतिलंघन नहीं संस्थित करते—(1) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी निम्नलिखित कार्यों से पंजीकृत अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन का तथ्य नहीं गठित होगा—

(क) जहाँ पर अधिप्रमाणिक व्यापार चिह्न रजिस्टर में निविष्ट शर्तों या परिसीमाओं का विषय हो, बेची जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में या भारत में किसी स्थान पर व्यापारिक या बाजार से आयातित होने वाले माल के सम्बन्ध में या किसी परिस्थिति, क्षेत्र या स्थान में इस तरह के चिह्न का प्रयोग किसी रीति में हो तथा जो कि ऐसी परिसीमाओं की दृष्टि से विस्तृत न होता हो,

(ख) चिह्न के संपत्तिधारी द्वारा अधिप्रमाणित माल या सेवाओं के सम्बन्ध में अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न का प्रयोग उन माल या सेवाओं के सम्बन्ध में जो कि औपचारिक भाग हैं तथा सुसंगत विनियमों के अधीन उसका अधिप्रमाणन चिह्न पर प्रयोज्य हो और पश्चात्वर्ती रीति से हटाया न गया हो, या सम्पत्तिधारी ने किसी भी समय चिह्न के प्रयोग के सम्बन्ध में अपनी प्रत्यक्ष या विवक्षित सहमति दे दी हो,

(ग) उन मालों या सेवाओं के सम्बन्ध में अधिप्रमाणिक चिह्न का प्रयोग जो कि अन्य मालों या सेवाओं के भाग के रूप में हों या अन्य मालों के सम्बन्ध में जिसमें यथा पूर्वोक्त दिए गए अधिकार के अतिलंघन के बिना चिह्न प्रयुक्त किया गया है या समयाधीन इसका प्रयोग हो सकता हो यदि चिह्न का प्रयोग इस बात को निर्देशित करने के लिए युक्तिसंगत रीति से आवश्यक हो कि इस तरह के अतिरिक्त माल या सेवाओं का न तो प्रयोजन और न ही चिह्न के प्रयोग का प्रभाव उक्त तथ्य से पृथक निर्देश देता है कि माल या सेवाएँ सम्पत्तिधारी द्वारा अधिप्रमाणित है।

(2) उपधारा (1) का खण्ड (ख) इस बात के होते हुए भी कि वे ऐसे माल या सेवाएँ हैं जैसा कि उस खण्ड में दिया गया है, यदि आवेदन उस खंण्ड में निर्दिष्ट विनियम के विरुद्ध है तो पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के माल या आवेदन के सम्बन्ध में नहीं लागू होंगे।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत दो या दो से अधिक व्यापारिक चिह्नों में से एक व्यापारिक चिह्न को अधिप्रमाणित किया जाता है जो कि आनुषांगिक या परस्पर एक दूसरे के सदृश हैं तो पंजीकरण द्वारा दिए गए उस व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के अधिकार के अनुपालन में

उन व्यापारिक चिह्नों में से किसी का प्रयोग उन व्यापारिक चिह्नों में से किसी अन्य के सम्बन्ध में दिए गए प्रयोग के अधिकार का अतिलंघन नहीं माना जाएगा।

77. अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण को बदलना या निरस्त करना— रजिस्ट्रार किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा आवेदन का विरोध करने वाले संपत्तिधारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात् पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के रजिस्टर में की गई किसी निविष्टी को निकालने या निम्नलिखित आधारों पर विनियमों में किसी भी तरह के बदलाव का उचित आदेश पारित कर सकेगा—

(क) यह कि संपत्तिधारी लम्बे समय से माल या सेवाओं के किसी मामले में जिनके सम्बन्ध में चिह्न पंजीकृत किया गया है उन मालों या सेवाओं को प्रमाणित करने में अक्षम रहा है,

(ख) यह कि सम्पत्तिधारी अपने भाग के विनियमों के उपबंधों को संप्रेक्षित करने में असफल रहा है,

(ग) यह कि पंजीकरण को अवशिष्टतया बनाए रखने से जनता का लाभ नहीं होगा,

(घ) यह कि लोक लाभ के लिए यह अपेक्षित है कि यदि चिह्न को अवशिष्टतया बनाए रखा गया तो इनसे विनियमों में बदलाव अपेक्षित हो जाएगा।

78. अधिप्रमाणिक व्यापार चिह्न के पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार— (1) धारा 34, 35 तथा धारा 76 के उपबंधों के विषयाधीन किसी माल या सेवा के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के अधिप्रमाणिक सम्पत्तिधारी के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण वैध होगा, यदि उस माल या सेवाओं के सम्बन्ध में चिह्न के प्रयोग के बावत उस व्यक्ति को अनन्य अधिकार दिया गया हो;

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए अधिप्रमाणिक व्यापारिक चिह्न के प्रयोग के सम्बन्ध में अनन्य अधिकार ऐसी शर्तों या परिसीमाओं का विषय होगा, जो कि पंजीकरण के विषय हैं।

अध्याय-10

टेक्सटाइल्स मामलों के लिए विशेष उपबंध

79. टेक्सटाइल माल— केन्द्रीय सरकार (इस अध्याय में निर्दिष्ट टेक्सटाइल्स माल के रूप में) उन मालों की श्रेणियों को विहित कर सकेगी जिन पर इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे, और कथित उपबंधों के विषयाधीन इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस तरह के व्यापारिक चिह्न पर उसी तरह लागू होंगे जैसा कि वे अन्य माल या सेवाओं के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

80. टेक्सटाइल्स मालों के पंजीकरण पर निर्बंधन— (1) टेक्सटाइल्स मालों के सम्बन्ध में मालों का टुकड़ा होने की स्थिति में—

(क) रेखा शीर्ष को गठित करने वाले अकेला चिह्न पंजीकरण योग्य नहीं होगा,

(ख) एक ऐसा शीर्ष सुभिन्नता हेतु सक्षम नहीं माना जाएगा,

(ग) व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण रेखाशीर्ष के प्रयोग का किसी व्यक्ति को अनन्य अधिकार नहीं प्रदान करेगा।

(2) किसी भी टेक्सटाइल्स माल के सम्बन्ध में अक्षरों वाक्याशों या उसकी कोई सामुच्यता ऐसी शर्तों व निर्बंधनों का विषय होगा जो विहित की जा सके।

81. माल के टुकड़े सूत और धागे की स्टैम्पिंग—(1) माल के टुकड़े जो कि साधारणतया टुकड़े या मात्रा के रूप में बेचे जा सकते हों जो कि उस क्षेत्र में विनिर्मित किए जाते हैं जो कि फैक्ट्री का क्षेत्र है जैसा कि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में परिभाषित है, ऐसे परिक्षेत्र से अंतिमतः विक्रय द्वारा हटाए नहीं जा सकेंगे जिसमें वे निर्मित हैं जब तक कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय प्रारूप के भारतीय वाक्यांशों में टुकड़े की लम्बाई-चौड़ाई में स्टैन्डर्ड यार्ड या स्टैन्डर्ड यार्ड में उनका स्टाम्पकन नहीं हो जाता है, या इस तरह के स्टैन्डर्ड यार्ड या स्टैन्डर्ड मीटर में उत्पन्न किसी अन्तर्विरोध पर टुकड़े की वास्तविक लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार सिवाय उस स्थिति के जब कि माल भारत की आयातित फैक्ट्री से बेचा गया है प्रत्येक टुकड़े पर विनिर्माणकर्त्ता के नाम के सहज पठनीय नाम के चिह्नांकन या अधिभोगी क्षेत्र के चिह्नांकन के बिना जिसमें टुकड़े को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया या भारत में टुकड़े के थोक क्रेता के चिह्नांकन के बिना नहीं किया जा सकेगा।

(2) सूती तागा जो कि साधारणतया बन्डल में बेचा जाता हो, और सूती धागा, नामतः टांका, रफू जालीदार बनावट या हैण्डलूम सूत जो कि किसी परिक्षेत्र में विनिर्मित या विरंजित हों धारा 82 के अधीन निर्मित नियमों से अभिमुक्त नहीं होंगे और ये उस परिक्षेत्र से विक्रय की प्रक्रिया द्वारा तब तक नहीं हटाये जाएंगे जब तक कि सूत के मामले में कथित उपबंधों के अनुसार—

(क) अंग्रेजी भाषा में धागे के वजन का निर्देश बंडल पर सहजदृश्य रीति से चिह्नित न हो, और

(ख) बंडल में दिए गए धागों की गणना और सूत के मामले में जब तक सूत की लम्बाई या वजन को सम्यक् रीति से चिह्नित न किया गया हो या कथित नियमों द्वारा अपेक्षित अन्य रीतियाँ अस्तित्वाधीन न हो,

(ग) सिवाय उस स्थिति के जहाँ पर भारत से आयातित माल किसी परिक्षेत्र से बेचा गया हो तो जब तक प्रत्येक बंडल पर विनिर्माता का नाम भारत में माल के थोक क्रेता का नाम सहज दृश्य रीति से चिह्नित न किया गया हो :

बशर्ते कि धारा 82 के अधीन निर्मित नियमों से वे सभी परिक्षेत्र अभिमुक्त होंगे जहाँ पर दस से अधिक कर्मचारियों की सहायता से या परिवार के सदस्यों की सहायता से कार्य किया जाता है और जहाँ पर परिक्षेत्र में 12 से अनधिक कर्मचारी नियुक्त हों और सभी परिक्षेत्र कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा नियंत्रित होते हों।

82. सैम्पलिंग द्वारा टेक्सटाइल मालों की प्रकृति का अभिनिश्चयन—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार निम्न नियमों को निर्मित कर सकेगी—

(क) किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण जो कि नियत होने वाले सेम्पलों की संख्या, वजन, गेज, मानक, मात्रा, एकीकृत संख्या के रूप में अभिकथित हो या नियत किए गए सेम्पल के परीक्षण के रूप में अभिकथित हो,

(ख) उस रीति को निर्मित कर सकेगी जिसमें धारा 81 के प्रयोजनार्थ सूती धागे, या सूती तागे द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों के द्वारा चिह्नित होते हों और उस धारा के उपबंधों के द्वारा उन निश्चित परिक्षेत्रों को अभिमुक्ति प्रदान की गयी हो जहाँ पर सूती धागे या सूती तागे का विनिर्माण तथा प्रयोग होता हो,

(ग) इस बात को घोषित करने के सम्बन्ध में नियम निर्मित कर सकेगी कि किन श्रेणियों के माल वाक्यांश ''ऐसे माल के टुकड़े जो साधारणतया लम्बाई चौड़ाई के आधार पर या टुकड़ों के रूप में बेचे जाते हैं'' की कोटि में आएंगे, विशिष्टतया अधिनियम की धारा 81 के प्रयोजनार्थ या कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (एन) के अधीन।

(2) किसी माल के सम्बन्ध में सेम्पलों की नियुक्ति तथा सेम्पलों का परीक्षण जो उपबंध उपधारा (1) के अधीन समयाधीन प्रवर्तित नियमों में न हो, न्यायालय या कस्टम अधिकारी मामले की स्थिति के अनुसार मालों का वजन, उनकी नाप, मापन, मात्रा तथा संख्या आदि को आदेशित रीति से अभिनिश्चित कर सकेंगे या इस तरह से नियुक्त किए गए सेम्पलों की संख्या परीक्षण तथा जिस रीति से सेम्पलों को नियुक्त किया जाना है वह रीति अभिनिश्चित कर सकेंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्मित नियमों के अनुपालन में परीक्षण के परिणामों का अनुमान या उपधारा (2) के अधीन दिया गया आदेश मालों के वजन गेज, मानक, मात्रा या संख्या के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगे।

(4) यदि उन वस्तुओं के बावत जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन निर्मित नियमों के अनुपालन में सेम्पल नियत तथा परीक्षण किया गया है या, उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश की दशा में कोई दावाकर्त्ता व्यक्ति यह इच्छा प्रकट करता है कि आगे सेम्पल उसके लिखित आवेदन पर उसके द्वारा अग्रिम भुगतान के आधार पर किया जाए तो मामले की स्थिति के अनुसार न्यायालय या कस्टम अधिकारी आगे इस बावत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन, ऐसे खर्च के भुगतान पर जो विहित हो समय-समय पर नियमों द्वारा अनुज्ञात विस्तृत अवधि तक के लिए सेम्पल को नियत तथा परीक्षित कर सकेगा और उन मालों के बावत जिनके सम्बन्ध में कोई भी नियम निर्मित न किए गए हों मामले की स्थिति के अनुसार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन न्यायालय या कस्टम अधिकारी उन युक्तिसंगत परिस्थितियों को विनिश्चित कर सकेंगे जिन विहित रीतियों में सेम्पल नियत किया जा सकता हो।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट परीक्षण के परिणाम का अनुमान या उपधारा (4) में निर्दिष्ट अनुवर्तित परीक्षण के परिणाम का अनुमान माल के वजन, माप, गेज, संख्या, मात्रा, संख्या के सम्बन्ध में निश्चायक सबूत होगा।

अध्याय-11

अपीलीय परिषद

83. अपीलीय परिषद की स्थापना[1]—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपीलीय परिषद का गठन कर सकेगी जो कि बौद्धिक सम्पदा अपीलीय परिषद के रूप में जाना जाएगा और इसी रूप में अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्राधिकार तथा शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

84. अपीलीय परिषद का गठन—(1) अपीलीय परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ऐसी संख्या के अन्य सदस्यों द्वारा गठित होगी जिस संख्या को केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के विषय के अधीन अपीलीय परिषद के क्षेत्राधिकार शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जाएगा,

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के विषयाधीन एक पीठ एक न्यायिक सदस्य व एक तकनीकी सदस्य से गठित होगी और यह ऐसे स्थान पर बैठेगी जो स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में जारी की गयी अधिसूचना[2] द्वारा नियत किया जाए।

(3) उपधारा (2) में किसी भी बात के होते हुए, अध्यक्ष—

(क) अपने पदीय कर्त्तव्यों के अनुपालन के सिवाय उस पीठ के न्यायिक तथा तकनीकी सदस्य में कर्त्तव्यों के अनुपालन का निर्वहन करेंगे जिसके लिए वे नियुक्त किए गए हैं और मामले की स्थिति के अनुसार वे अन्य पीठ के तकनीकी तथा न्यायिक सदस्य होंगे,

(ख) किसी भी सदस्य का स्थानान्तरण एक पीठ से दूसरे पीठ में कर सकेंगे,

(ग) एक पीठ के नियुक्त उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को मामले की स्थिति के अनुसार अन्य पीठ के न्यायिक या तकनीकी सदस्य के रूप में कर्त्तव्यों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।

(4) जहाँ कोई पीठ गठित हो तो, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा पीठों के मध्य अपीलीय बोर्ड के कार्यकलापों में वितरण हेतु आवश्यक उपबंध निर्मित कर सकेगी, और विशिष्टतया उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि पीठ द्वारा व्यवहारित किए जाएंगे।

(5) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई विनिर्दिष्ट कार्यकलाप किसी पीठ के परिक्षेत्र के अधीन आता है तो इस प्रश्न पर अध्यक्ष का विनिचय अंतिम होगा।

---

1. 15 सितम्बर, 2003, एस० ओ० 1049 (ई) दिनांकित 15-9-2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, धारा 3 (II) का भाग 2 द्वारा दिनांक 15-9-2003 को बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना।
2. एस० ओ० 1050 (ई), दिनांकित 15 सितम्बर, 2003 को भारत के गजट में प्रकाशित, असाधारण, भाग 2 (धारा) 3 (iii), विशिष्टतया अहमदाबाद, चेन्नई, देलही, मुम्बई तथा कोलकाता शहरों के ऐसे स्थानों पर जहाँ बौद्धिक संपदा अपीलीय परिषद की पीठ बैठेगी।

स्पष्टीकरण—संदेह के निवारण हेतु एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि अभिव्यक्ति "विषय" की कोटि में धारा 91 के अधीन प्रस्तुत की गई अपील भी सम्मिलित होगी।

(6) यदि पीठ के सदस्यों के मध्य किसी बिन्दु पर रायों की भिन्नता हो तो वे उन बिन्दु या बिन्दुओं को देंगे जिन पर उनके विचार सुभिन्न हैं तथा वे अध्यक्ष को निर्देशित करेंगे जो कि या तो बिन्दु या बिन्दुओं को स्वयं सुनेंगे, या इस तरह के बिन्दु या बिन्दुओं को सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित करने हेतु किसी एक या अधिक सदस्यों को निर्देशित कर सकेंगे।

85. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताएँ—(1) एक व्यक्ति तब तक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या

(ख) विगत दो वर्षों तक उपाध्यक्ष रहा हो,

(2) एक व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह—

(क) विगत दो वर्षों तक बोर्ड का न्यायिक या तकनीकी सदस्य न रहा हो, या

(ख) वह भारतीय विधिक सेवा में ग्रेड I में कोई पद न कारित किया हो या उस सेवा में 5 वर्ष तक कार्यरत न रहा हो,

(3) एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य या उस सेवा में विगत तीन वर्षों तक किसी पद को धारित न किया हो, या

(ख) वह विगत दस वर्षों तक (civil judicial officer) दीवानी न्यायिक अधिकारी न रहा हो।

(4) एक व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य तब तक नहीं होगा, जब तक कि—

(क) वह विगत दस वर्षों तक इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण में अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन न किया हो या, ट्रेड तथा मर्चेन्डीज मार्क्स एक्ट, 1958 या दोनों के अधीन विगत पाँच वर्षों तक ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूप में पद न धारित किया हो, या

(ख) व्यापारिक चिह्न विधि विशेषज्ञ के रूप में अधिवक्ता के रूप में विगत दस वर्षों तक विधिक व्यवसाय न किया हो।

(5) उपधारा (6) के उपबंधों के विषयाधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(6) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना उक्त नियुक्तियाँ नहीं की जाएंगी।

86. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उस तिथि से जिस तिथि को वे अपना पद धारित करें पाँच वर्ष तक अपने पद को धारित करेंगे या जब तक ये—

(क) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के मामले में 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें, या

(ख) सदस्य के रूप में 62 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले,

जो भी पहले हो।

87. उपाध्यक्ष या अति वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, या निश्चित परिस्थितियों में अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे—(1) मृत्यु त्याग पत्र या अन्यथा कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में अति वरिष्ठ सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि कोई व्यक्ति रिक्तता की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त न कर लिया जाए।

(2) जब अध्यक्ष बीमारी, या किसी अनुपस्थिति के कारण अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उक्त दशा में बोर्ड का अति वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि अध्यक्ष कर्त्तव्य अनुपालन की क्षमता नहीं प्राप्त कर लेते हैं।

88. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें—(1) भुगतान किए जाने वाले वेतन तथा भत्ते, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (पेंशन, उपदान तथा सेवा निवृत्ति लाभ को सम्मिलित करते हुए) विशिष्टतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की वह होगी जो कि विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति जो कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में परिकल्पनीय धारणा की तिथि के ठीक पूर्व सरकार की सेवा से उस तिथि से निवृत्त माना जाएगा जिस तिथि को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण की अवधि का पर्यावसान हो जाता है।

89. त्यागपत्र तथा हटाया जाना—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे :

बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को जब तक भारत के राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करने की अनुमति न दें तब तक वे इस तरह की नोटिस प्राप्ति की तिथि से तीन माह तक या जब तक त्यागपत्र से हुयी रिक्तता पर उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति न कर ली जाए, जो भी पहले की हो यथास्थिति अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य को साबित कदाचार या अक्षमता पर जिसकी जाँच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाएगी तथा जिस जाँच में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके विरुद्ध होने वाले आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा जिनमें यथास्थिति उन्हें सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के आदेश के सिवाय पद से उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार या अक्षमता की विवेचना की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों को निर्मित कर सकेगी।

90. अपीलीय बोर्ड का स्टाफ—(1) केन्द्रीय सरकार अपीलीय बोर्ड के कार्यों की सहायता तथा पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की श्रेणियों तथा प्रकृति को विनिश्चित कर सकेगी।

(2) बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें वह होंगी जो कि विहित की जाएं।

(3) अपीलीय बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी विहित रीति में बोर्ड के अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

91. अपीलीय बोर्ड को अपील का किया जाना—(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश से पीड़ित हो तो वह उस तिथि से जिस तिथि को उसे आदेश की जानकारी प्राप्त हुयी तीन माह के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अपीलीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कोई भी अपील उस दशा में स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं होगी जबकि यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पर्यावसान पर प्रस्तुत की गयी है :

बशर्ते कि विनिर्दिष्ट अवधि के पर्यावसान पर अपीलीय बोर्ड किसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि अपीलार्थी बोर्ड को इस बात से संतुष्ट करा देता है कि वह पर्याप्त कारणों के कारण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका।

(3) अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील विहित प्रारुप में प्रस्तुत की जाएगी तथा इसे विहित रीति से सत्यापित किया जाएगा तथा इसके साथ विहित शुल्क की संदायगी के अलावा आदेश या विनिश्चय की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

92. अपीलीय बोर्ड की शक्ति तथा प्रक्रिया—(1) अपीलीय बोर्ड दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा किन्तु वह इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से दिशा निर्देशित होगा सुनवाई के स्थान व समय के निर्धारण के सम्बन्ध में अपीलीय बोर्ड स्वत: अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति रखेगा।

(2) अपीलीय परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने पदीय कर्त्तव्यों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ जब निम्न वादों का परीक्षण करे तो वह दीवानी न्यायालय में विहित शक्तियाँ रखेगा—

(क) साक्ष्य प्राप्त करने;

(ख) साक्षियों की परीक्षा हेतु समन जारी करने;

(ग) किसी लोक अभिलेखों के अर्जन; और

(घ) कोई अन्य मामले जो विहित किए जा सकें।

(3) अपीलीय बोर्ड के समक्ष की गई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193, 228 के अर्थान्वयन तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी तथा अपीलीय बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 और धारा 195 के प्रयोजनार्थ दीवानी न्यायालय माना जायगा।

93. न्यायालयों आदि के क्षेत्राधिकार की वर्जना—धारा 91 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी क्षेत्राधिकार; शक्ति व प्राधिकार के अनुपालन के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

94. अपीलीय बोर्ड के समक्ष उपस्थिति की वर्जना—पद धारणा की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य अपीलीय बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

95. अन्तरिम आदेश की शर्तें—इस अधिनियम या समयाधीन किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी अन्तरिम आदेश (भले ही वह व्यादेश, स्थगन या अन्य रीति में हो) अपील से सम्बन्धित कार्यवाही में तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) इस तरह के अन्तरिम आदेश के अभिवचन के समर्थन में ऐसी अपील या सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ अग्रसारित न कर दी जाएं जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तावित हैं, और

(ख) मामले में ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाए।

96. एक पीठ से दूसरी पीठ को मामले को अन्तरित करने की अध्यक्ष की शक्तियाँ— पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात और वांछा पर उन्हें सुनने के पश्चात या बिना नोटिस दिए निजी अभिकल्पना पर अध्यक्ष एक पीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निस्तारण हेतु अन्य पीठ को अन्तरित कर सकेगा।

97. अपीलीय बोर्ड के समक्ष परिशोधन आदि से संबंधित प्रक्रिया— (1) धारा 57 के अधीन अपीलीय बोर्ड के समक्ष रजिस्टर में किसी भी तरह के परिशोधन हेतु आवेदन विहित प्रारुप में दिया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में अपीलीय बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की प्रमाणित प्रति बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार को संसूचित की जाएगी और रजिस्ट्रार रजिस्टर में तद्नुसार संशोधन करके बोर्ड के आदेश को प्रभावी बनाएगा।

98. विधिक कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार की उपस्थिति— (1) रजिस्ट्रार निम्न मामलों में उपस्थित होने एवं सुने जाने का अधिकार रखेगा—

(क) अपीलीय बोर्ड के समक्ष की गयी ऐसी कार्यवाही में जिसमें रजिस्टर के परिशोधन, संपरिवर्तन का अनुतोष ईप्सित है या, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय में कार्यकलाप से उठाया गया प्रश्न संबंधित है,

(ख) व्यापार चिह्न के पंजीकरण के आवेदन पर रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश से बोर्ड को की गयी अपील पर—

(i) जिसका विरोध नहीं किया गया है, और आवेदन या तो रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, या संशोधन, उपांतरण शर्तों या परिसीमाओं के अधीन आवेदन स्वीकार किया गया हो, या

(ii) जिसका विरोध किया गया हो और रजिस्ट्रार का विचार यह हो कि लोकहित में उसकी उपस्थिति आवश्यक है और रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी मामले में उपस्थित हो सकेगा जिसमें बोर्ड उसे उपस्थिति हेतु निर्देशित करे।

(2) जब तक अपीलीय परिषद अन्यथा निर्देश न दे, रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति की जगह पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन प्रस्तुत करेगा जिसमें उन सभी विशिष्टियों को दिया जाएगा जो कि विवाद्यक विषयों या स्वयं द्वारा किए गए विनिश्चयों को प्रभावी बनाने हेतु वह कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे, या ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यकलाप के मामले में या अन्य सुसंगत विवाद्यकों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार अपनी जानकारी के अधीन होने वाली विशिष्टियों को ऐसे कथन में देगा और इस तरह का कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा।

99. अपीलीय बोर्ड के समक्ष की गयी कार्यवाही में रजिस्ट्रार का खर्च— अपीलीय बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की गई सभी कार्यवाही में रजिस्ट्रार का खर्च बोर्ड के स्वविवेक पर आश्रित होगा, किन्तु रजिस्ट्रार पक्षकारों में से किसी को खर्च के भुगतान का आदेश नहीं दे सकेगा।

100. अपीलीय बोर्ड को लम्बित कार्यवाही का स्थानान्तरण—रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील के सभी मामलों या रजिस्टर के परिशोधन से सम्बन्धित किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों को शासकीय राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से अपीलीय बोर्ड को स्थानान्तरित हुआ माना जाएगा और अपीलीय बोर्ड इस तरह के स्थानान्तरण पर मामले में नए सिरे से कार्यवाही कर सकेगा।

अध्याय-12

अपराध, शास्ति तथा प्रक्रिया

101. प्रयोज्य व्यापारिक चिह्न तथा व्यापार अभिवर्णन का तात्पर्य—(1) एक व्यक्ति पर माल या सेवाओं के व्यापार चिह्न या चिह्न या व्यापार अभिवर्णन प्रयोज्य माना जाएगा, जो कि—

(क) माल या सेवाओं के सम्बन्ध में आवेदन करता है, या

(ख) किसी पैकेज, या माल के विक्रय, या विक्रय, या विक्रय हेतु प्रदर्शन या विक्रय हेतु कब्जे या व्यापार या विनिर्माण के प्रयोजनार्थ आवेदन करता है, या

(ग) किसी माल का स्थान, उपाबंध, जिसे बेचा गया है या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाना है, या विक्रय हेतु उस पर कब्जा प्राप्त किया गया है या चिह्न का कोई प्रयोजन या विनिर्माण किसी पैकेज या अन्य चीज के साथ जिस पर व्यापार चिह्न या चिह्न या व्यापार अभिवर्णन प्रयोज्य होता हो, या

(घ) किसी रीति में व्यापार चिह्न या चिह्न या व्यापार अभिवर्णन का युक्तिसंगत प्रयोग जिससे यह विश्वास हो सके कि वे माल या सेवाएं जिनके सम्बन्ध में प्रयुक्त है, उस व्यापारिक चिह्न या चिह्न या व्यापार अभिवर्णन द्वारा पदनामित या वर्णित हैं,

(ङ) उन माल या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापार चिह्न या व्यापार अभिवर्णन का प्रयोग किसी हस्ताक्षर, विज्ञापन, रसीद, सूचीबद्धता, व्यापारिक पत्र, व्यापारिक कागजात, या अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का चलन हो और व्यापार चिह्न या इस रूप में प्रयुक्त व्यापार अभिवर्णन के निर्देश द्वारा निर्मित आदेश या अनुरोध के अनुपालन में किसी व्यक्ति को इस तरह का माल परिदत्त किया गया हो या उसके द्वारा सेवा धारित की गई हो।

(2) एक व्यापारिक चिह्न या चिह्न या व्यापार अभिवर्णन, वस्तुओं पर प्रयोज्य माने जाएंगे, भले ही मालों या पैकेज अथवा अन्य चीजों पर किसी तरह की पुताई (woven) या लेबिल आदि का चस्पा न हो।

102. मिथ्याकरण और मिथ्या प्रयोज्य व्यापारिक चिह्न—(1) एक व्यक्ति का व्यापारिक चिह्न मिथ्या माना जाएगा, जो कि या तो—

(क) व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी की सहमति के बिना उस ट्रेड मार्क के समरूप ट्रेड मार्क को छद्मपूर्ण रीति से प्रयुक्त करता है, या

(ख) संपरिवर्तन, अतिरिक्तांश या अन्यथा किसी असली व्यापारिक चिह्न का मिथ्याकरण करता है।

(2) एक व्यक्ति व्यापारिक चिह्न के माल या सेवाओं पर मिथ्यापूर्ण रीति से प्रयोज्य माना जाएगा जो कि व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी की अनुमति के बिना—

(क) प्रयोज्य ऐसे व्यापारिक चिह्न के समरूप चिह्न धोखापूर्ण रीति से निर्मित करते हुए चिह्नित माल की पैकिंग करता है, या

(ख) चिह्न को धारित करते हुए किसी ऐसे पैकेज का प्रयोग करता है जो कि इस तरह के संपत्तिधारी के व्यापारिक चिह्न के आनुषांगिक चिह्न छलपूर्ण रीति से निर्मित कर लेता है और ऐसा करने का प्रयोजन व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी की असली वस्तुओं (माल) के बजाए किन्हीं वस्तुओं को भरना या उसकी पैकिंग करने का होता है।

(3) उपधारा (1) में दिया गया मिथ्याजनित कोई व्यापार चिह्न या उपधारा (2) में दिया गया मिथ्या रीति से प्रयोज्य व्यापारिक चिह्न को इस अधिनियम में मिथ्या व्यापारिक चिह्न के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) मिथ्याजनित व्यापारिक चिह्न या मिथ्या रीति से प्रयोज्य व्यापारिक चिह्न के अभियोजन में संपत्तिधारी की अनुमति के तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

103. मिथ्या व्यापारिक चिह्न, चिह्न, अभिवर्णन आदि को प्रयोज्य बनाने के लिए शास्ति—कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी व्यापारिक चिह्न का मिथ्याकरण करता है, या

(ख) किसी व्यापारिक चिह्न के माल या वस्तुओं को मिथ्या रीति से प्रयोज्य बनाता है, या

(ग) उनका व्ययन करता है या, कब्जे में रखता है, अथवा कोई डाई ब्लाक, मशीन, प्लेट या अन्य औजार इस तरह के व्यापारिक चिह्न के मिथ्याकरण हेतु अपने पास रखता है, या

(घ) माल या सेवाओं के किसी मिथ्या व्यापार अभिवर्णन को प्रयोज्य बनाता है, या

(ङ) या किसी ऐसे माल को प्रयोज्य बनाता है जो कि उस देश या स्थान का निर्देश देते हैं जहाँ वे निर्मित या उत्पादित किए गए हैं या व्यक्ति या विनिर्माणकर्त्ता के नाम व पते का निर्देश देते हैं जिसके द्वारा धारा 139 के अधीन प्रयोज्य रीति से माल का विनिर्माण अपेक्षित है, ऐसे देश, स्थान, नाम व पते का मिथ्यागामी निर्देश प्रयोज्य बनाता हो,

(च) उद्गम के निर्देश के साथ छेड़छाड़, संपरिवर्तन या विद्रुपित करता है जो कि किसी माल पर लागू होते हों, जिनके प्रयोज्य होने की अपेक्षा धारा 139 के अधीन की गई है,

(छ) इस धारा में दी गई पूर्वोक्त चीजों के सम्बन्ध में कोई कार्य करता है,

तो ऐसा व्यक्ति जब तक यह साबित न कर दे कि उसने कार्य कपटपूर्ण आशय के तहत नहीं किया था, तब तक वह एक ऐसे कारावास से जो कि छह माह से अनधिक किन्तु तीन वर्ष की अविध तक विस्तृत होगा दंडित किया जाएगा और साथ ही वह अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा जो कि पचास हजार रुपए से अनधिक किन्तु दो लाख रुपए तक विस्तृत होगा दंडित किया जाएगा :

किन्तु न्यायालय निर्णय में सम्यक् व सारवान कारणों को देते हुए छह माह से कम अवधि के कारावास का दंडादेश तथा पचास हजार रुपए से कम का अर्थ दंडादेश पारित कर सकेगा।

104. उन मालों के विक्रय या सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए शास्ति जिन पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या व्यापार अभिवर्णन प्रयोज्य हो—कोई व्यक्ति जो कि ऐसे माल या चीजों को विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखता है, या उसे अवक्रय पर उठाता है या विक्रय हेतु प्रदर्शित करता है, या सेवाओं को उपलब्ध कराता है जिन पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या व्यापार अभिवर्णन प्रयोज्य होता हो या, देश या स्थान में धारा 139 के अधीन अपेक्षित रीति से प्रयोज्य हो जिसमें वे निर्मित या उत्पादित किए गए या उन व्यक्तियों के नाम व पते का गलत निर्देशन देता है जिनके द्वारा ये निर्मित किए गए या जिनके द्वारा वस्तुतः सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हों, की दशा में जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि—

(क) इस धारा के विरुद्ध कारित अपराध को रोकने के लिए सभी पूर्वावधानियाँ प्रयोग में लायी गयीं और अभिकथित अपराध को करते समय इस बात के संदेह का कोई कारण नहीं था कि व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक अभिवर्णन उसकी नहीं है, या इस विश्वास पर उक्त माल या सेवाओं के सम्बन्ध में अपराध कारित किया गया, या

(ख) यह कि अभियोजक की ओर से या उसके द्वारा की गयी माँग पर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में सभी सूचना देना ऐसे व्यक्ति की शक्ति के अधीन है जिससे कि उसने ऐसे माल, वस्तु या सेवा को प्राप्त किया, या

(ग) यह कि उसने निर्दोषिता में ऐसा कार्य किया,

तब तक ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति कारावास से जो कि छह माह से अनधिक किन्तु तीन वर्ष तक विस्तृत होगा साथ ही ऐसे अर्थ दंड से जो कि पचास हजार रुपए से अनधिक किन्तु दो लाख रुपए तक विस्तृत होगा दंडित होगा :

बशर्ते कि निर्णय में सम्यक् तथा विशेष कारणों को देते हुए न्यायालय छह माह से कम अवधि के कारावास और पचास हजार रुपए से कम अर्थदंड को अधिरोपित कर सकेगा।

105. द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर बढ़ी हुयी शास्ति—जो कोई अधिनियम की धारा 103 या धारा 104 के अधीन पूर्वतः दोषसिद्ध किए जाने पर पुनः किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय समय पर प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक ऐसे कारावास से जो कि एक वर्ष से अनधिक किन्तु जो तीन वर्ष की अवधि तक विस्तृत होगा, साथ ही अर्थदंड से जो कि एक लाख रुपये से अनधिक किन्तु दो लाख रुपए तक विस्तृत होगा, दंडित किया जा सकेगा :

बशर्ते कि निर्णय में सम्यक् तथा विशेष कारणों को देते हुए न्यायालय एक वर्ष से कम अवधि के कारावास और एक लाख रुपए से कम का अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा :

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व की गई किसी भी दोषसिद्धि पर इस धारा के अनुवर्तित प्रयोजनों हेतु अपराध का संज्ञान नहीं किया जा सकेगा।

106. धारा 81 के प्रतिकूल माल के टुकड़े आदि को हटाने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 81 में निर्दिष्ट क्षेत्र से विक्रय हेतु किसी माल को हटाता है या हटाने का प्रयत्न करता है या विक्रय करता है या विक्रय के लिए प्रदर्शन करता है या व्यापार के किसी प्रयोजन हेतु या

माल के टुकड़ों का विनिर्माण, या सूती धागे जो कि उस धारा द्वारा अपेक्षित रीति में चिह्नित नहीं है, की दशा में ऐसे प्रत्येक टुकड़े, तथा पैकिंग के रूप में प्रयुक्त प्रत्येक चीज सरकार जब्त कर लेगी और ऐसा व्यक्ति अर्थदंड से भी दंडित होगा जो कि एक हजार रुपए तक हो सकेगा।

107. पंजीकृत रूप में व्यापार चिह्न के मिथ्या प्रतिनिधित्व पर शास्ति—(1) कोई भी व्यक्ति निम्न प्रतिनिधित्व नहीं करेगा—

(क) व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत न होने वाले व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में यह अभिकथन कि यह पंजीकृत व्यापारिक चिह्न है; या

(ख) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के भाग के सम्बन्ध में जो कि व्यापारिक चिह्न के रूप में पृथकत: पंजीकृत नहीं है, इस प्रभाव पर कथन कि यह व्यापारिक चिह्न के रूप में पृथकत: पंजीकृत है;

(ग) इस प्रभाव पर कथन का किया जाना कि व्यापारिक चिह्न किन्हीं माल या सेवाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत है जब कि वस्तुत: वह उन माल या सेवाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत न हो;

(घ) इस प्रभाव पर कथन कि व्यापार चिह्न का पंजीकरण उस परिस्थिति में प्रयोग का अनन्य अधिकार प्रदान करता है जिसे कि परिसीमाओं के विषय के अधीन रजिस्टर में निविष्ट किया गया हो, जब कि वस्तुत: पंजीकरण द्वारा इस तरह का अधिकार प्रदत्त न किया गया हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अतिलंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनार्थ व्यापार चिह्न के सम्बन्ध में भारत में प्रयुक्त "पंजीकृत" शब्द या कोई अन्य अभिव्यक्ति प्रतीक या हस्ताक्षर भले ही वे पंजीकरण को प्रत्यक्ष या विवक्षित रीति से निर्दिष्ट हों, रजिस्टर में आयात के पंजीकरण का निर्देश माना जाएगा, सिवाय—

(क) जहाँ पर वह शब्द या अभिव्यक्ति प्रकृति में चित्रित अन्य शब्दों के साथ प्रत्यक्षत: संयोजिता में प्रतीक या हस्ताक्षर के रूप में प्रयुक्त हों और वे इस तरह से विस्तृत हों कि जिसमें वे शब्द अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न उस पंजीकरण के रूप में चित्रित या निर्दिष्ट हैं विधि के अधीन भारत से बाहर किसी देश की विधि के अधीन व्यापारिक चिह्न के रूप में पंजीकृत हों जिसका पंजीकरण वस्तुत: प्रवर्तन में हो, या

(ख) जहाँ कि अन्य अभिव्यक्ति सेम्पल या हस्ताक्षर स्वयं में इस बात का निर्देश देते हों कि खण्ड (क) में दिए गए ऐसे पंजीकरण के रूप में यह निर्देश है, या

(ग) जहाँ भारत से परे किसी देश की विधि के अधीन व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत चिह्न के सम्बन्ध में वह शब्द प्रयुक्त हो या एक मात्र उस देश से आयातित माल के सम्बन्ध में या उस देश में प्रयुक्त सेवा के सम्बन्ध में हो।

108. सम्बन्धित व्यापारिक चिह्न कार्यालय के रूप में कार्यव्यापार स्थल को अनुचित रूप से वर्णित करने पर शास्ति—यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य व्यापार स्थल का प्रयोग करता है या उसके द्वारा जारी किसी दस्तावेज के आधार पर या अन्यथा ऐसे शब्दों को प्रयुक्त करता है जिससे

यह सहज विश्वास हो सके कि उसका कार्य व्यापार स्थल व्यापार चिह्न कार्यालय से किसी न किसी रीति से सम्बन्धित है तो वह एक ऐसे कारावास के दंड से जो कि दो वर्ष की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित होगा।

109. रजिस्टर में मिथ्या निविष्टी के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर में मिथ्या निविष्टि करता है या उसके द्वारा इस तरह की मिथ्या निविष्टी करने का कारण तात्पर्यित है या रजिस्टर में की गई किसी निविष्टी की प्रति को मिथ्या पूर्ण रीति से प्राप्त करता है या इस तथ्य को जानते हुए कि निविष्टी मिथ्या है उसकी प्रति को साक्ष्य में प्रस्तुत करता है तो वह कारावास से जो कि दो वर्ष की अवधि का या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित होगा।

110. निश्चित मामलों में कोई अपराध नहीं— धारा 102, 103, 104 तथा धारा 105 के उपबंध पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में या इस अधिनियम द्वारा मान्यताकृत या सृजित अधिकारों के विषय में होने वाले ऐसे चिह्न का संपत्तिधारी के विषय में किया गया कोई कार्य या लोप पूर्वोक्त धारा के अधीन अपराध नहीं होगा, यदि—

(क) अभिकथित अपराध व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित हो और कार्य या लोप इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हो, और

(ख) अभिकथित अपराध पंजीकृत या अपंजीकृत व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित हो तथा किया गया कार्य या लोप समयाधीन प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञेय हो।

111. मालों का समपहरण—(1) जहाँ एक व्यक्ति धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है या धारा 103 या 104 के अधीन सिद्ध होने पर कि बिना कपट के आशय से उसने कार्य किया दोषमुक्त किया जाता है, या धारा 104 के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिद्ध होने पर, ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त करने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि उन मालों को जिनके सम्बन्ध में अपराध कारित किया गया है उन्हें सरकार समपहृत कर ले।

(2) जब दोषसिद्धि पर समपहरण का निर्देश दिया जाए और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो तो समपहरण के विरुद्ध भी अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) जब दोषमुक्ति पर समपहरण को निर्देशित किया जाए, तो माल या वस्तु जो निर्देश से सम्बन्धित है उनका मूल्य पचास रुपए से अधिक है तो समपहरण के निर्देश के विरुद्ध निर्देश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील उस न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जाती।

(4) जहाँ दोषसिद्धि पर समपहरण का निर्देश दिया गया हो तो वह न्यायालय जिसने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है वह समपहृत की गयी वस्तुओं को नष्ट करने या उनके अन्यथा निस्तारण का आदेश दे सकेगा।

112. कार्य व्यापार के अनुक्रम में नियोजित निश्चित व्यक्तियों को छूट—जहाँ पर धारा 103 के अधीन अपराध का अभियुक्त व्यक्ति यह साबित कर देता है कि—

(क) वह अपने कार्यकलाप के साधारण अनुक्रम में वह व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक अभिवर्णन के आवेदन हेतु अन्य व्यक्तियों की ओर से नियोजित था या यथास्थिति इस तरह के नियोजन में उन्हीं व्यक्तियों की ओर से डाई ब्लाक, मशीन, प्लेट या अन्य उपकरणों को बनाया था जो कि व्यापारिक चिह्न के निर्माण में प्रयुक्त हों; और

(ख) वह मामला जो आरोप का विषय है वह इस रूप में नियोजित हो और वह ऐसी सेवाओं की उपलब्धता या ऐसे मालों के विक्रय पर कमीशन या लाभ को प्राप्त करने के रूप में हितबद्ध न हो;

(ग) यह कि आरोपित अपराध को करने से रोकने के लिए सभी पूर्वावधानियाँ बरती गयी थीं और अभिकथित अपराध करते समय व्यापारिक चिह्न या व्यापार अभिवर्णन की शुद्धता के बारे में किसी भी तरह का युक्तिसंगत संदेह नहीं रखता था; और

(घ) यह कि अभियोजक द्वारा की गयी माँग पर यह अभियोजक की तरफ से वह उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनकी तरफ से व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक अभिवर्णन प्रयोज्य था सम्पूर्ण जानकारी देने की शक्ति के अधीन है;

तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाएगा।

113. प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त द्वारा पंजीकरण के अवैधता के तथ्य को अभिवंचित किया जाता है—(1) जहाँ धारा 103, धारा 104 या धारा 105 के अधीन आरोपित अपराध पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में हो तथा अभियुक्त यह अभिवंचित करे कि व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण अवैध है, तो निम्न प्रक्रिया का अनुपालन होगा—

(क) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की प्रतिरक्षा प्रथमदृष्टया संधार्य है तो वह आरोप पर कार्यवाही नहीं करेगा, और उस तिथि से तीन माह की अवधि के लिए कार्यवाही का स्थगन कर देगा जिस तिथि पर अभियुक्त का संधार्य अभिवचन अधिनियम के अधीन अभिलिखित रीति से अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है, विशिष्टतया इस आधार पर कि रजिस्टर का परिशोधन पंजीकरण के आधार पर अवैध है,

(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय में यह साबित कर देता है कि उसने ऐसा आवेदन ऐसी सीमित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया था, या ऐसी अवधि के भीतर किया गया था जो न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारणों को दर्शित करने पर बढ़ायी गयी थी तो अभियोजन सम्बन्धी अनुवर्तित कार्यवाही तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि इस तरह के परिशोधन सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है,

(ग) यदि अभियुक्त तीन माह की अवधि के भीतर या न्यायालय द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर अभियुक्त परिशोधन के रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय मामले में उस रीति से कार्यवाही करेगा मानो कि पंजीकरण वैध है।

(2) जहाँ पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के परिवाद को संस्थित करने के पूर्व प्रश्नगत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्धित रजिस्टर के परिशोधन के लिए कोई आवेदन जो कि पंजीकरण की अवैधता के आधार पर दिया गया है पूर्वतः न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित है तो न्यायालय जब तक लम्बित आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक कि अवधि के लिए अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही को स्थगित कर देगा, और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का अभिनिश्चयन परिशोधन के आवेदन के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

114. कम्पनी द्वारा अपराध—(1) यदि इस धारा के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो कम्पनी को भी व्यक्ति की भाँति आरोपित किया जाएगा, और अपराध को करते

समय इसका व्यापार तथा कम्पनी का आचरण अपराध के लिए दोषी होगा और तद्नुसार कम्पनी कार्यवाही व दंड के लिए दायित्वाधीन होगी :

बशर्ते कि इस धारा में दी गई कोई भी बात इस तरह के व्यक्ति को किसी भी ऐसे दंड के लिए दायित्वाधीन नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने इस तरह के अपराध को रोकने का हर संभव प्रयास किया।

(2) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ पर इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया जाता है, और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, या कि अपराध उनके तरफ से किसी उपेक्षा से अपराध कारित किया गया है, तो ऐसी दशा में कम्पनी का कोई निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी माने जाएँगे और तद्नुसार दंड के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ—

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इनमें फर्म संगम या अन्य संघ सम्मिलित होंगे,

(ख) ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के सम्बन्ध में फर्म के भागीदार से होगा।

115. निश्चित अपराधों का संज्ञान तथा जब्ती व तलाशी के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ—(1) रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दायर लिखित परिवाद के सिवाय कोई भी न्यायालय धारा 107, 108 या धारा 109 के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा :

बशर्ते कि धारा 107 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में एक न्यायालय रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रभाव पर जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर कि पंजीकृत व्यापारिक चिह्न जिन माल या सेवाओं के सम्बन्ध में प्रतिभारित है वे वस्तुतः पंजीकृत नहीं है, अपराध का संज्ञान ग्रहण कर सकेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा।

(3) धारा 103, 104 तथा धारा 105 में वर्णित अपराध संज्ञेय होंगे।

(4) पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पंक्ति का या इसके समतुल्य अन्य कोई पुलिस अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हों कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराध हुआ है या संभाव्य रीति से ऐसा अपराध किया गया है, तो वह बिना वारंट के माल, डाई ब्लाक, मशीन, प्लेट या अपराध को करने में प्रयुक्त अन्य औजारों की स्थिति में इनके पाए जाने वाले स्थान की तलाशी ले सकेगा, और अभिग्रहीत की गयी सारी वस्तुओं को यथा साध्य रीति से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा :

बशर्ते कि पुलिस अधिकारी किसी तलाशी या जब्ती के पूर्व संबन्धित व्यापार चिह्न से सम्बन्धित अपराध में अन्तर्वलित तथ्यों पर रजिस्ट्रार की राय प्राप्त करेगा और इस तरह से प्राप्त राय का अनुपालन करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन जब्त की गयी किसी वस्तु से हित रखने वाला व्यक्ति इस तरह की जब्ती से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर मामले की स्थिति के अनुसार इस तरह की वस्तुओं को वापस करने हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और आवेदक तथा अभियोजक को सुनने के पश्चात् न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

116. समुद्र द्वारा आयातित मालों के उद्गम का साक्ष्य—समुद्र के जरिए भारत लाए गए मालों के मामले में जहाँ जो के पत्तन का साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन अपराध के अभियोजन में या कस्टम अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 112 के खण्ड (ख), के अधीन धारा 111 के खण्ड (घ) के अधीन मालों के अभिग्रहण के सम्बन्ध में या माल के आयात से सम्बन्धित व्यापारिक चिह्न की सुरक्षा हेतु कथित अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के खण्ड (एन) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना, उस स्थान या देश के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगे जिनमें माल निर्मित या उत्पादित किया गया है।

117. प्रतिरक्षा या अभियोजन के खर्च—इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में न्यायालय अभियुक्त को परिवादी के खर्च का या परिवादी द्वारा अभियुक्त को खर्च का जैसा कि न्यायालय मामले के तथ्य व परिस्थितियों तथा पक्षकारों के आचरण के अधीन उपयुक्त समझे, भुगतान का आदेश पारित कर सकेगा।

118. अभियोजन की परिसीमा—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए का कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 112 के खण्ड (ख) के अधीन धारा 111 के खण्ड (घ) के अधीन सम्बन्धित वस्तुओं के अभिग्रहण और मालों के आपात से सम्बन्धित व्यापारिक चिह्नों की सुरक्षा के लिए कथित अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (एन) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आरोपित अपराध को करने के पश्चात् अगले तीन वर्षों की अवधि के पर्यावसान के पश्चात् या अभियोजन द्वारा उनकी खोज के 2 वर्ष के पश्चात् दोनों में से जो भी पहले की हो किसी भी तरह का अभिजोजन संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

119. अपराध को किए जाने के रूप में सूचना—सरकार का एक अधिकारी जिसका कर्त्तव्य अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने का हो न्यायालय में इस बात को कहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसे इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध किए जाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुयी।

120. भारत से परे किए गए कार्यों का भारत में दुष्प्रेरण पर दंड—यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर भारत में न रहते हुए किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है जो कि यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता तो वह भारत में ऐसे किसी स्थान पर परीक्षित किया जा सकेगा जहाँ कि वह पाया जाता है और तद्नुसार वह दुष्प्रेरित कार्य के लिए दंडित भी किया जाएगा।

121. आपराधिक न्यायालयों द्वारा संप्रेषित अनुज्ञेय सुभिन्नताओं के रूप में केन्द्रीय सरकार का निर्देश—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचिना द्वारा किसी माल के मामले में जिसे कि मान्यकृत रीति से आपराधिक न्यायालयों के लिए अनुज्ञेय किया गया है, की भाँति संख्या, मात्रा, मानक या वजन के सम्बन्ध में भिन्नताओं की सीमाओं का निर्देश जारी कर सकेगी।

अध्याय-13

प्रकीर्ण

122. सद्भावना में की गयी कार्यवाही का संरक्षण—किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो कि सद्भावना में किया गया है, या सद्भावना में किया जाना आशायित है कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

123. निश्चित व्यक्तियों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति तथा अपीलीय बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के भावाबोध में लोक सेवक होंगे।

124. जहाँ पर व्यापारिक चिह्न की वैधता प्रश्नगत आदि हो वहाँ पर कार्यवाही का स्थगन—(1) जहाँ व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन के किसी वाद में—

(क) प्रतिपक्षी यह अभिवंचित करता है कि वादी के व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण अवैध है, या

(ख) प्रतिपक्षी धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है और वादी प्रतिवादी के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के अवैधता को अभिवंचित करता है,

तो वाद का परीक्षण करने वाला न्यायालय (एतस्मिनपश्चात् न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट)—

(i) यदि वादी या प्रतिवादी के व्यापारिक चिह्न के रजिस्टर की परिशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड के समक्ष लम्बित है तो ऐसी लम्बित कार्यवाही के निस्तारण तक वाद को स्थगित कर देगा,

(ii) यदि इस तरह की कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है और न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि वादी या प्रतिवादी के व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण के अवैधता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए अभिवचन प्रथम दृष्टया संधार्य है तो उससे सम्बन्धित उठाए गए समतुल्य बिन्दु और बिन्दु को प्रारूपित करने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए मामले में स्थगन पारित कर देगा, ताकि रजिस्टर के परिशोधन के सम्बन्ध में अपीलीय बोर्ड में समक्ष आवेदन करने हेतु पक्षकार सक्षम हो सके।

(2) यदि सम्बन्धित पक्षकार न्यायालय में यह साबित कर देता है कि उसने विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के खण्ड (ख) (ii) में निर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत किया था या न्यायालय द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो वाद के विचारण को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि परिशुद्धि सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है।

(3) यदि विहित समयावधि या न्यायालय द्वारा विस्तृत की गयी समयावधि के भीतर ऐसा आवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित पक्षकार के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के वैधता के रूप में बिन्दु अभित्यजित माना जाएगा तथा मामले के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में वाद में कार्यवाही की जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिशुद्धि सम्बन्धी कार्यवाही में दिया गया कोई भी अंतिम आदेश पक्षकारों पर बंधनकारी होगा और न्यायालय ऐसे आदेश की संपुष्टि पर संबन्धित व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के बिन्दु के रूप में वाद में आदेश पारित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन में स्थगन सम्बन्धी वाद में (लेखा को रखने के निर्देश के साथ किसी व्यादेश को मंजूर करने या संपत्ति की कुर्की या रिसीवर की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए) वाद के स्थगन की अवधि के दौरान किसी भी तरह के अन्तर्वर्ती आदेश को पारित करने से अतिविरत नहीं होगा।

125. निश्चित मामलों में रजिस्टर की परिशुद्धि हेतु आवेदन अपीलीय बोर्ड के समक्ष किया जाना—(1) जहाँ पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन सम्बन्धी वाद में वादी के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण की वैधता प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत की गई हो या जहाँ धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन वाद में प्रतिवादी द्वारा किसी तरह की प्रतिरक्षा उठायी गयी हो तो सम्बन्धित व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण की वैधता से सम्बन्धित बिन्दु धारा 47 व धारा 57 में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी सम्बन्धित व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण के आवेदनों का विनिश्चय किया जाएगा, और इस तरह का आवेदन अपीलीय बोर्ड के समक्ष न कि रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के विषयाधीन जहाँ धारा 47 या धारा 57 के अधीन रजिस्टर के परिशुद्धि हेतु कोई आवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाता है तो रजिस्ट्रार कार्यवाही के किसी भी स्तर पर इस तरह के आवेदन को अपीलीय बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकेगा।

126. बाजारू मालों के विक्रय पर विवक्षित वारंटी—जहाँ पर चिह्न या व्यापारिक चिह्न या व्यापार अभिवर्णन विक्रीत मालों पर या संविदाजन्य बिक्री पर प्रयोज्य हो या किसी सेवा के सम्बन्ध में प्रयोज्य हो तो विक्रेता इस प्रकार की वारंटी के अधीन माना जाएगा कि चिह्न विशुद्ध चिह्न है और यह मिथ्यापूर्ण रीति से प्रयोज्य नहीं होता है या, इस अधिनियम के भावाबोध में व्यापार अभिवर्णन मिथ्या व्यापार अभिवर्णन नहीं है, जब तक कि विक्रय या संविदा द्वारा किए विक्रय पर क्रेता के समक्ष लिखित व हस्ताक्षरित रीति से अन्यथा न प्रकट कर दिया जाए।

127. रजिस्ट्रार की शक्तियाँ—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष की गयी सभी कार्यवाहियों में—

(क) साक्ष्य प्राप्त करने, अभिज्ञानित शपथ, साक्षियों की उपस्थिति का प्रवर्तन, दस्तावेजों की प्रस्तुति हेतु बाध्य करने या साक्षियों की परीक्षा हेतु समन जारी करने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी,

(ख) धारा 157 के अधीन इस बावत निर्मित नियमों के विषयाधीन खर्चों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार कोई भी युक्तिसंगत आदेश पारित कर सकेगा और इस तरह का आदेश दीवानी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की भाँति निष्पादन योग्य होगा :

बशर्ते कि मालों को अधिप्रमाणित करने के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न के अधिप्रमाणन की अस्वीकृति, या सेवाओं की उपलब्धता या चिह्न के प्रयोग के प्राधिकार की अस्वीकृति संबंधी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील की दशा में रजिस्ट्रार किसी भी पक्षकार को खर्च का भुगतान करने का आदेश नहीं दे सकेगा;

(ग) रजिस्ट्रार, विहित रीति में आवेदन करने पर, अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है।

128. रजिस्ट्रार द्वारा स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग— धारा 131 के उपबंधों के विषयाधीन (विहित समयावधि के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना) रजिस्ट्रार इस अधिनियम या अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन ऐसी व्यक्ति के सम्बन्ध में स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

129. रजिस्ट्रार के समक्ष साक्ष्य—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष की गयी किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया गया जाएगा :

बशर्ते कि यदि रजिस्ट्रार उचित समझे तो वह शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य लिए जाने के स्थान पर मौखिक साक्ष्य ले सकेगा।

130. कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु—यदि कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का पक्षकार है (न्यायालय या अपीलीय बोर्ड के समक्ष की गयी कार्यवाही नहीं) और वह इस तरह की कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान मर जाता है तो रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति के हितों के सबूत की संतुष्टि पर मृत व्यक्ति की मृत्यु पश्चात् उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित कर सकेगा, या यदि रजिस्ट्रार की राय यह हो कि मृत व्यक्ति के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व उत्तरवर्ती पक्षकारों द्वारा किया जा सकता है तो मृत व्यक्ति से हितबद्ध उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित किए बिना ही कार्यवाही को चालू रखेगा।

131. समय का विस्तार—(1) यदि रजिस्ट्रार विहित शुल्क के साथ विहित प्रारुप में दिए गए आवेदन से संतुष्ट हो कि किसी कार्य को करने हेतु समय विस्तार का पर्याप्त आधार है तो (जो कि अधिनियम में न प्रकट किया गया हो) तो भले ही ऐसा समय विनिर्दिष्ट हो या न हो, अथवा समय का पर्यावसान हुआ हो या न हुआ हो, तो ऐसी शर्तों के विषय के अधीन जिसे कि वह उपयुक्त समझे समय को बढ़ा सकेगा तद्नुसार पक्षकारों को सूचित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समय विस्तार से सम्बन्धित आवेदन के निस्तारण हेतु रजिस्ट्रार के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह पक्षकारों को सुने और रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी।

132. अभित्याग—जहाँ रजिस्ट्रार की राय में एक आवेदक इस अधिनियम के अधीन दायर अभियोजन सम्बन्धी आवेदन में व्यतिक्रम करता है, या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित प्रवर्तनीय किसी विधि के अधीन ऐसा व्यतिक्रम करता है, तो रजिस्ट्रार व्यतिक्रमकर्त्ता आवेदन से उपचार की अपेक्षा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर करेगा और नोटिस देते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा विशिष्टतया इस बिन्दु पर कि उसका आवेदन अभित्यजित क्यों न व्यवहारित कर लिया जाए, जब तक कि दी गई नोटिस पर यह आवेदक व्यतिक्रम को उपचारित नहीं कर देता है।

133. सुभिन्नता के विषय में रजिस्ट्रार द्वारा दी गई प्रारम्भिक सलाह—(1) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार विहित प्रारुप में आवेदन किए जाने पर जिसके द्वारा व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु दिया गया आवेदन प्रस्तावित है, यह सलाह दे सकेगा कि क्या उसके समक्ष प्रकट व्यापारिक चिह्न प्रथम दृष्टया सुभिन्न प्रतीत होता है।

(2) यदि व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के आवेदन पर जैसा भी रजिस्ट्रार द्वारा इस सम्बन्ध में सलाह दी गई हो, सलाह देने के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार अनुवर्तित विवेचना के पश्चात या इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कि व्यापारिक चिह्न सुभिन्न नहीं है आवेदक को आपत्ति करने की नोटिस दिए जाने के पश्चात् आवेदक आवेदन दायर करने पर देय शुल्क का पुनर्भुगतान करते हुए विहित समयावधि के भीतर आवेदन को वापस लेने हेतु अधिकृत होगा।

134. अतिलंघन आदि के लिए वाद जनपद न्यायालय के समक्ष संस्थित होगा—(1) कोई भी वाद जो कि—

(क) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन, या

(ख) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित कोई अधिकार, या

(ग) किसी व्यापारिक चिह्न का प्रतिवादी द्वारा प्रयोग समाप्त होने पर जो कि वादी के व्यापारिक चिह्न के आनुषांगिक या छल पूर्ण रीति से समरूप है, भले ही यह पंजीकृत हो या अपंजीकृत हो,

से अभिप्रेत हो वादी के परीक्षण का क्षेत्राधिकार रखने वाले जनपद न्यायालय से अनिम्न न्यायालय में नहीं दायर किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5), या समयाधीन प्रवर्तित किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी अभिव्यक्ति "क्षेत्राधिकार रखने वाले जपनद न्यायालय" में वह जनपद न्यायालय सम्मिलित होगा, जो कि उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखता हो जहाँ पर कि वाद या कार्यवाही को संस्थित करते समय पक्षकार रहते हों या अभिलाभ प्राप्त करने के लिए कार्य व्यापार करते हों या जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हों तो ऐसे व्यक्तियों में कोई भी एक व्यक्ति जहाँ पर वह स्वेच्छया रहता हो या अभिलाभ प्राप्ति हेतु कार्य व्यापार करता हो।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ "व्यक्ति" शब्द के अधीन पंजीकृत सम्पत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता सम्मिलित होंगे।

135. अतिलंघन या प्रयोग समाप्ति के वाद में अनुतोष—(1) वह अनुतोष जिसे कि न्यायालय अतिलंघन या धारा 134 में निर्दिष्ट प्रयोग समाप्ति की दशा में दिलाया जा सकेगा, उसमें (किन्हीं ऐसी शर्तों के विषयाधीन जिन्हें कि न्यायालय उचित समझे) व्यादेश सम्मिलित होगा, और वादी के विकल्प पर या तो क्षतिपूर्ति या लाभों का लेखा या दोनों साथ-साथ अतिलंघनीय लेबिल या नष्ट या मिटाए गए चिह्न की परिदायगी का आदेश देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन व्यादेश के आदेश में निम्नलिखित मामलों में से किसी के भावाबोध में एक पक्षीय व्यादेश या अन्तर्वर्ती आदेश सम्मिलित होगा—

(क) दस्तावेजों की खोज के लिए,

(ख) अतिलंघनीय मालों, दस्तावेजों का परिरक्षण, या अन्य साक्ष्य जो वाद की विषय वस्तु से सम्बन्धित है,

(ग) उस रीति में जो क्षतिपूर्ति, खर्च या अन्य अर्थिक उपचार जो कि अंतिमतः वादी पर अधिनिर्णित किए जा सकते हों वादी को प्राप्त करने से अक्षम बनाती हो, तो उसकी अस्तियों के व्ययन या निस्तारण करने से प्रतिवादी को रोक देना।

(3) उपधारा (1) में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित मामलों में (नाम मात्र क्षतिपूर्ति से भिन्न) या लाभों के लेखा का अनुतोष नहीं प्रदान कराएगा—

(क) जहाँ व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन के वाद में व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के सम्बन्ध में परिवादित अतिलंघन हो, या संग्रहीत चिह्न के सम्बन्ध में हो, या

(ख) जहाँ अतिलंघन के वाद में प्रतिवादी न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करा दे कि—

(i) कि वाद में परिवादित व्यापार चिह्न का प्रयोग जब उसने प्रारम्भ किया था, तो यह अनभिज्ञ था और इस बात को विश्वास का कोई भी युक्तिसंगत आधार नहीं रखता था कि वादी का व्यापारिक चिह्न पंजीकृत है, या अनुज्ञेय प्रयोग के कारण वादी पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता था,

(ii) और जब उसे व्यापार चिह्न में वादी के अस्तित्वाधीन अधिकार की जानकारी हुयी तो उसने यथाशीघ्र उन मालों या सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापारिक चिह्न का प्रयोग बंद कर दिया जिसके बावत पंजीकरण हुआ था,

(ग) जहाँ प्रयोग बंद करने से सम्बन्धित वाद में वादी न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करा देता है कि—

(i) वाद में परिवादित व्यापारिक चिह्न के प्रयोग को प्रारम्भ करते समय उसे अनभिज्ञता थी तथा वह इस बात के विश्वास का युक्तिसंगत कारण नहीं रखता था कि व्यापार चिह्न वादी द्वारा प्रयुक्त है, या

(ii) या जब व्यापार चिह्न में निहित वादी के हित की जानकारी हुए तो अविलम्ब इस तरह का प्रयोग बन्द कर दिया गया।

136. निश्चित कार्यवाहियों में पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता का पक्षकार होना—(1) अध्याय 7 या धारा 91 के अधीन की गई प्रत्येक कार्यवाही में अनुज्ञेय प्रयोग की रीति द्वारा प्रयोगिक व्यापार चिह्न का प्रत्येक पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता जो कि उस अध्याय या धारा के अधीन की गयी प्रत्येक कार्यवाही में स्वयं आवेदक नहीं है, कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाएगा।

(2) किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी इस तरह की कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता किसी भी तरह के खर्च के लिए तब तक दायित्वाधीन नहीं होगा जब तक कि वह उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग नहीं लेता है।

137. रजिस्ट्रार द्वारा की गयी चीजें और रजिस्ट्रार आदि में की गयी निविष्टियों का साक्ष्य—(1) रजिस्टर में की गई निविष्टी की प्रति या धारा 148 की उपधारा (1) को निर्दिष्ट कोई दस्तावेज जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय की मुद्रा द्वारा मुद्रांकित है, मूल को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए बिना न्यायालयों के समक्ष की गयी कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

(2) रजिस्ट्रार के हाथों किसी निविष्टी के रूप में तात्पर्यित प्रमाणपत्र या अधिनियम के अधीन प्राधिकृत विषय या चीज जिसे कि रजिस्ट्रार द्वारा किया गया हो प्रथम दृष्टया की गई निविष्टियों के सम्बन्ध में साक्ष्य होंगे विशिष्टतया ऐसी चीज या विषयों को किए जाने या निविष्टियों की अन्तर्वस्तुओं के प्रश्न पर।

138. रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारियों को रजिस्टर आदि प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा—रजिस्ट्रार या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यलय के किसी अन्य अधिकारी को किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें कि वह पक्षकार नहीं है रजिस्टर या अपनी अभिरक्षा में होने वाले किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा विशिष्टतया उस अभिवाक् को साबित करने हेतु जिसे कि अधिनियम के अधीन जारी की गयी प्रति के द्वारा

साबित किया जा सकता हो या उन्हें रजिस्टर में अभिलिखित किए गए विषय को साबित करने हेतु साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा जब तक अभिलिखित किए गए विशेष कारणों के अधीन न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए आदेशित न किया जाए।

139. उद्गम के निर्देश को दर्शित करने वाले अपेक्षित मालों की शक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट श्रेणी के मालों की अपेक्षा कर सकेगी जो कि भारत राज्य क्षेत्र की सीमा से परे विनिर्मित आयातित किए जाएँगे, या जो भारत राज्य क्षेत्र सीमा में विनिर्मित या उत्पादित होंगे विशिष्टतया ऐसी तिथि से जो कि अधिसूचना में नियत की जाए जो कि अधिसूचना को जारी करने की तिथि से तीन माह से अनधिक होगी, और ऐसे मालों पर उन देश या स्थानों का निर्देश होगा जिनमें कि वे निर्मित, विनिर्मित या उत्पादित किए गए हों।

(2) अधिसूचना में वह रीति विनिर्दिष्ट की जाएगी जिनमें ऐसा निर्देश प्रयोज्य होगा, अर्थात् पारस्परिक मालों या कोई अन्य रीति समय तथा अवसर जिस पर निर्देश की विद्यमानता आवश्यक होगी, अर्थात् विक्रय का समय, भले ही ऐसा विक्रय थोक या फुटकर रीति में किया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन अधिसूचना तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित माल के प्रयोगकर्त्ता, उत्पादनकर्त्ता, विनिर्माणकर्त्ता, या वितरक अथवा हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय या व्यक्तियों द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी करने के लिए आवेदन न दे दिया गया है, या जब तक अन्यथा केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास न हो जाए कि आवश्यक समझी जाने वाली जाँच के साथ या इस तरह की जाँच के बिना ऐसी अधिसूचना का जारी किया जाना लोकहित में है।

(4) साधारण खंड अधिनियम की धारा 23 के उपबंध इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना पर उसी तरह से लागू होंगे मानो कि निर्मित नियमों पर प्रयोज्य विधा हो।

(5) इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना भारत की सीमा से परे निर्मित या आयातित मालों पर लागू नहीं होगी, यदि उन मामलों के सम्बन्ध में कस्टम आयुक्त इस बात से संतुष्ट हों कि आयात के समय पर भी चाहे भारत या अन्यथा द्वारा अभिवहन या यानांतरण में के बाद।

140. मिथ्या व्यापारिक चिह्न पर धारित आयातित मालों के अपेक्षित सूचना की शक्ति— (1) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का लाइसेंसी या संपत्तिधारी किन्हीं ऐसे मालों के आयात को रोकने हेतु कस्टम कलेक्टर को लिखित सूचना दे सकेंगे, यदि कथित मामलों के आयात धारा 24 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अतिलंघन में हो।

(2) जहाँ वह माल जिनका भारत से आयात केन्द्रीय सरकार द्वारा कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (एन) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध हो, भारत से आयातित होने पर व्यापारिक चिह्न की सुरक्षा हेतु इस तरह से प्रतिषिद्ध आयातित माल जब्ती के दायित्व के अधीन होगा, यदि कस्टम कलेक्टर किए गए प्रतिनिधित्व पर इस बात के विश्वास का सम्यक् कारण रखे परिवादित व्यापारिक चिह्न मिथ्या है और इस तरह के व्यापारिक चिह्न के आधार पर भारत से माल आयातित किया गया, इस सम्बन्ध में कोई ऐसा दस्तावेज जो कि आयातित माल को कब्जे में होने का तथ्य साबित कर सके और उस व्यक्ति का नाम व पता जिसे कि भारत से माल पारेषित किया गया आदि से सम्बन्धित तथ्य भी कलेक्टर कस्टम के समक्ष अग्रसारित किया जाएगा।

(3) आयातकर्त्ता या उसका अभिकर्त्ता चौदह दिनों की अवधि के भीतर यथा पूर्वोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और यदि ऐसा करने से असफल रहता है तो वह पाँच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित होगा।

(4) इस धारा के अधीन आयातकर्त्ता या उसके अभिकर्त्ता द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचना कस्टम आयुक्त द्वारा पंजीकृत सम्पत्तिधारी या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता को संसूचित की जाएगी जिनके द्वारा व्यापारिक चिह्न को मिथ्या अभिकथित किया गया है।

141. प्रमाण पत्र की वैधता—यदि अपीलीय बोर्ड के समक्ष रजिस्टर के परिशोधन की किसी विधिक कार्यवाही के व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के वैधता को बिन्दु के रूप में कोई विनिश्चय व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत सम्पत्तिधारी के पक्ष में दिया जाता है तो अपीलीय बोर्ड इस प्रभाव का प्रमाण पत्र जारी करेगा और यदि ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो किसी भी पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाही में जिसमें कथित वैधता का तथ्य प्रश्नगत किया जाता है तो व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के वैधता के आधार पर संपत्तिधारी के पक्ष में अंतिम आदेश या निर्णय प्रदत्त किया जाएगा, जब तक कि अंतिम आदेश या निर्णय में अन्यथा कारण दर्शित करने की पर्याप्तता न हो।

142. आधारहीन विधिक कार्यवाही की धमकी—(1) जब एक व्यक्ति सरकुलर, विज्ञापन या अन्यथा द्वारा किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की धमकी देता है या अभिकथित प्रथम व्यक्ति के पक्ष में पंजीकरण को कहा जाता है, या इससे सम्बन्धित किसी भी तरह की अन्य कार्यवाही की धमकी देता है तो भले ही धमकी प्राप्त व्यक्ति पंजीकृत संपत्तिधारी हो या न हो या पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता हो या न हो प्रथम नामित व्यक्ति के विरुद्ध लाए गए वाद में यह घोषणा प्राप्त कर सकेगा कि धमकी न्यायोचित नहीं है और धमकी की नियमितता के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त कर सकेगा और कोई भी ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा जो कि संधार्य हो जब तक कि प्रथम नामित व्यक्ति न्यायालय को इस बात से संतुष्ट न करा दे कि व्यापारिक चिह्न पंजीकृत है और जिस धमकी पूर्ण कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है वह व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन में है।

(2) अंतिम पूर्ववर्ती धारा लागू नहीं होगी यदि व्यापारिक चिह्न का पंजीकृत संपत्तिधारी या धारा 52 की उपधारा (1) के अनुपालन में कार्य करने वाला पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता, व्यापारिक चिह्न के अतिलंघन की धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ करता है।

(3) एक विधिक व्यवसायी मुवक्किल की तरफ से अपनी व्यवसायिक क्षमता के अनुक्रम में किए गए किसी कार्य के लिए या पंजीकृत व्यापारिक चिह्न अभिकर्त्ता किसी भी रीति इस धारा के अधीन दायित्वाधीन नहीं होंगे।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई भी वाद जनपद कार्यालय से निम्नतर न्यायालय में नहीं संस्थित किया जा सकेगा।

143. तामीली के पते—आवेदन में दिया गया तामीली का पता या आवेदन के प्रयोजनार्थ नोटिस का विरोध, या विरोध की नोटिस मामले की स्थिति के अनुसार आवेदक तथा विरोधी के पते माने जाएँगे और आवेदन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज या विरोधी को नोटिस आवेदक या विरोधी के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा तामील करायी जाएगी।

144. व्यापार प्रथा आदि पर विचार किया जाना—व्यापारिक चिह्न से सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही में न्यायाधिकरण सम्बन्धित चिह्न के प्रथा का साक्ष्य स्वीकार कर सकेगा और कोई भी सुसंगत व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक नाम या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त विधिकता पर भी विचारण कर सकेगा।

145. अभिकर्त्ता—जहाँ इस अधिनियम या अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा शपथ पत्र निर्माण से भिन्न कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाना अपेक्षित हो तो इस बावत निर्मित विषयों के तहत ऐसा कार्य स्वयं ऐसे व्यक्ति के सिवाय किन्हीं ऐसे निम्न व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा जो कि उसके द्वारा सम्यक् रीति से प्राधिकृत किए गए हों—

(क) एक विधि व्यवसायी; या

(ख) या एक ऐसा व्यक्ति जो कि विहित रीति में व्यापारिक चिह्न अभिकर्त्ता के रूप में पंजीकृत हो; या

(ग) एक ऐसा व्यक्ति जो कि मालिक के नियमित नियोजन में हो।

146. बिना प्राधिकार के प्रतिनिधि या अभिकर्त्ता द्वारा पंजीकृत चिह्न—यदि एक अभिकर्त्ता या पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी का प्रतिनिधि बिना प्राधिकार के प्रयोग करते हैं या चिह्न को अपने नाम पंजीकृत कराते हैं या ऐसा प्रयत्न करते हैं तो संपत्तिधारी ऐसे व्यक्तियों पर प्रयोज्य व्यापारिक चिह्न को निरस्त कराने या रजिस्टर में परिशुद्धि कराने, और अपने पक्ष में समनुदेशित व्यापारिक चिह्न कें पंजीकृत करने सम्बन्धी कार्यवाहियों को करने के लिए अधिकृत होगा :

बशर्ते कि अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि के आचरण की जानकारी की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही सम्पत्तिधारी द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जा सकेगी।

147. सूचियाँ—निम्न सूचियों को रजिस्ट्रार के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाएगा—

(क) पंजीकृत व्यापारिक चिह्नों की सूची;

(ख) उन व्यापारिक चिह्नों की सूची जिनके पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन लम्बित हैं;

(ग) पंजीकृत व्यापारिक चिह्नों के संपत्तिधारियों के नामों की सूची;

(घ) पंजीकृत प्रयोगकर्त्ताओं के नामों की सूची।

148. लोक निरीक्षण हेतु दस्तावेजों का खुला होना—(1) धारा 49 की उपधारा (4) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय—

(क) रजिस्टर तथा कोई दस्तावेज जिन पर रजिस्टर में की गई निविष्टी आधारित है,

(ख) रजिस्ट्रार के समक्ष परिशुद्धि आवेदन पर व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के विरोध की प्रत्येक नोटिस, उसका प्रतिदावा, तथा रजिस्ट्रार के समक्ष की गयी कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा दायर किया गया कोई शपथ पत्र या दस्तावेज,

(ग) धारा 63 या धारा 74 के अधीन निक्षेपित सभी ज्ञान, तथा ऐसे विनियमों की सुभिन्नता हेतु धारा 66 या धारा 77 के अधीन दिए गए सभी आवेदन,

(घ) धारा 147 में निर्दिष्ट सूचियाँ, और

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जिनके विषय में केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट करे,

ऐसी शर्तों के विषयाधीन जो कि विहित की जा सकें ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय में लोक निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे :

बशर्ते कि जब ऐसे रजिस्टर पूर्णतया या भागत: कम्प्यूटर में रखे गए हों तो इस धारा के अधीन इस प्रकार का निरीक्षण कम्प्यूटर पर इस प्रकार रखे गए रजिस्टर की सुसंगत निविष्टी का निरीक्षण कम्प्यूटर प्रिंट आउट के जरिए किया जा सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति विहित शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्रार को दिये गये आवेदन पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या रजिस्टर में की गयी निविष्टी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा।

149. रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार वर्ष में एक बार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

150. शुल्क तथा प्रभार—(1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर ऐसे शुल्क तथा प्रभार का भुगतान किया जाएगा जो कि विहित किया जाए।

(2) जहाँ रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में इस तरह का शुल्क या प्रभार संदाय योग्य हो तो रजिस्ट्रार ऐसे कार्य को तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उक्त शुल्क या प्रभार का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

(3) जहाँ ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय में किसी दस्तावेज को दायर करने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का शुल्क या प्रभार भुगतान योग्य हो तो ऐसा दस्तावेज तब तक दायर हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि कार्यालय में उक्त शुल्क या प्रभार का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

151. अध्याय 12 में निर्दिष्ट निश्चित मामलों के सम्बन्ध में सुरक्षा—अध्याय 12 में—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी वाद या कार्यवाही से अभिमुक्त नहीं रखा गया है जो हो सकते हों किन्तु उस अध्याय में कोई चीज उसके विरुद्ध हो, या

(ख) किसी व्यक्ति को पूर्ण खोज को अस्वीकार करने या, किसी प्रश्न के उत्तर या वाद या अन्य कार्यवाही में परिप्रश्न, का उत्तर देने से इंकार करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी, किन्तु इस तरह की खोज या उत्तर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कस्टम अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 112 के खण्ड (एच) या उस अध्याय के अधीन किए गए अभियोजन में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होंगे, और न ही अधिनियम की धारा 111 के खण्ड (घ) के अधीन मामलों के समपहरण के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (एन) मालों के आयात से सम्बन्धित व्यापारिक चिह्नों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के प्रश्न पर भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होंगे।

(ग) अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि भारत में रहने वाले मालिक का कोई सेवक किसी अभियोजन या दण्ड के दायित्वाधीन न हो सके, जो कि अपने मालिक के

आज्ञा अनुपालन में कार्य को सद्भावनापूर्ण रीति में करता है और अभियोजन द्वारा की गयी माँग पर वह उन सभी जानकारियों को देने के लिए तैयार है जिसे कि निर्देश के तौर उसने अपने मालिक से प्राप्त की है।

152. **व्यापारिक चिह्न के स्वामित्व के रूप में उद्घोषणा जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण योग्य नहीं है**—पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी भी बात के होते हुए भी पंजीकृत व्यापारिक चिह्न से भिन्न अन्य व्यापारिक चिह्न के स्वत्व व स्वामित्व को उद्घोषित करने वाला दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

153. **सरकार को आबद्ध होना**—इस अधिनियम के उपबंध सरकार पर बंधनकारी होंगे।

154. **अभिसमय देशों के नागरिकों से पंजीकरण के आवेदनों से सम्बन्धित विशेष उपबंध**—(1) किसी देश या देश के साथ की गई संधि, अभिसमय या प्रबन्धन की दृष्टि से जो कि देशों का समूह या देशों का संघ या भारत से परे अन्तर्सरकारी संगठन के सदस्य हैं जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को अपने देश के नागरिकों की भाँति विशेषाधिकार का प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे देश या देशों के समूह या देशों के संघ या अभिसमय राष्ट्र के रूप में होने वाले अन्तर्सरकारी संगठन या देशों के समूह या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ देशों के संघ या अन्तर देशों के संगठनों को घोषित कर सकेगी।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति अभिसमय देश या देश जो कि देशों के समूह के सदस्य हैं या अन्तर्सरकारी संगठन के सदस्य हैं में व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन देता है, और वह व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि या समनुदेशी उस तिथि के पश्चात् जिस पर अभिसमय देश या देश में जो कि देशों के समूह का सदस्य है या देशों के संघ का अन्तर्सरकारी संगठन में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, छह माह के भीतर भारत में व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन देता है तो यदि पंजीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जाएगा तो यह उस तिथि से पंजीकृत माना जाएगा, जिस तथि को पंजीकरण हेतु आवेदन अभिसमय देश या देश जो कि देशों के समूह का सदस्य है, या देशों का संघ, या अन्तर्सरकारी संगठन में दिया गया और वह तिथि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पंजीकरण की तिथि मानी जाएगी।

(3) जहाँ पर व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन दो या अधिक अभिसमय राष्ट्रों या देशों में जो कि देशों के समूह के सदस्य हैं या देशों के संघ या अन्तर्सरकारी संगठन में दिया जाता है तो अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा में छह माह की अवधि उस तिथि से गिनी जाएगी जिस पर उक्त आवेदनों में से प्रारम्भिक आवेदन दिया गया।

(4) इस अधिनियम के अधीन व्यापारिक चिह्न का संपत्तिधारी किसी ऐसे अतिलंघन के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए अधिकृत नहीं होगा जो अतिलंघन इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन के पूर्व किया गया हो।

155. **पारस्परिकता के रूप में उपबंध**—जहाँ पर कोई देश या ऐसा देश जो कि देशों के समूह का सदस्य है या देशों का संघ या अन्तर्सरकारी संगठन जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में जारी की गयी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, भारत के नागरिकों की भाँति व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण तथा संरक्षण के सम्बन्ध में अधिकार नहीं रखेंगे, ऐसे देश का कोई राष्ट्र या देश जो कि देशों के समूह का सदस्य है या देशों का संघ, या अन्तर्सरकारी

संगठन यथास्थिति मामले के अनुसार एकल या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से निम्न बातों के लिए अधिकृत होंगे—

(क) पंजीकरण के लिए आवेदन या व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी के रूप में हो;

(ख) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के संपत्तिधारी के समनुदेशी के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन; या

(ग) पंजीकरण के लिए आवेदन या धारा 49 के अधीन व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत प्रयोगकर्त्ता के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन।

156. कठिनाइयों के निवारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की शक्ति— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु किसी भी तरह की कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत उपबंध निर्मित कर सकेगी जो उपबंध कठिनाइयों के निवारणार्थ आवश्यक हों :

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के पर्यावसान के पश्चात् इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

157. नियमों को निर्मित करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके पूर्ववर्ती प्रकाशन के शर्तों के विषयाधीन इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्धन हेतु नियमों को निर्मित कर सकेगी।

(2) विशिष्टी में, पूर्वगामी शक्ति पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न विषयों में से सभी के लिए या किन्हीं के लिए निम्नलिखित नियमों को निर्मित किया जा सकेगा—

(i) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यापारिक चिह्न के रजिस्टर में सम्मिलित विषय तथा कम्प्यूटर फ्लापी या डिस्केट्स पर अभिलेखों के रखरखाव में संप्रेषित रक्षोपाय या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी अन्य विद्युत प्रारुप में रखे गये अभिलेखों के संप्रेक्षित रक्षोपाय,

(ii) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मालों तथा सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णानुसार सूचियों के प्रकाशन की रीति,

(iii) वह रीति जिसमें धारा 13 के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर संपत्तिधारी के शब्द को रजिस्ट्रार अधिसूचित कर सकेगा,

(iv) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन संगठन के विघटन हेतु आवेदन देने की रीति,

(v) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण हेतु आवेदन देने की रीति,

(vi) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के आवेदन के विज्ञापन की रीति, या उपधारा (2) के अधीन संशोधन या अधिसूचित शुद्धि की रीति,

(vii) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस हेतु आवेदन और आवेदन पर विहित शुल्क के भुगतान की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन प्रतिकथन भेजने और उपधारा (4) के अधीन उसका समय व साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति,

(viii) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन पंजीकरण के प्रमाण पत्र का प्रारुप, तथा उपधारा (3) के अधीन आवेदन को नोटिस देने की रीति,

(ix) प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण के आवेदन का प्रारुप, तथा समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा और धारा 25 के अधीन दिए गए आवेदन पर देय शुल्क तथा प्रभार और समय जिसके भीतर रजिस्ट्रार उस धारा की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार नोटिस भेजेगा।

(x) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन मामलों के कथन को प्रस्तुत करने की रीति,

(xi) धारा 41 के अधीन व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी द्वारा आवेदन करने की रीति,

(xii) धारा 43 के अधीन अधिप्रमाणित व्यापारिक चिह्न पारेषण या समनुदेशन हेतु आवेदन करने की रीति,

(xiii) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन स्वत्व के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करने की रीति,

(xiv) वह रीति जिसमें और जिस अवधि के भीतर धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन दिया जा सकेगा,

(xv) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन एक आवेदन पर चिह्नांकन की रीति,

(xvi) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों की रीति या रीति जिसमें उपधारा (3) के अधीन नोटिस जारी की जा सकेगी,

(xvii) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी करने की रीति या उपधारा (3) के अधीन पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया,

(xviii) धारा 57 की उपधारा (1) और (2) के अधीन आवेदन करने की रीति उपधारा (4) के अधीन नोटिस जारी करने की रीति तथा उपधारा (5) के अधीन नोटिस के सुधार या तामीली की रीति,

(xix) धारा 58 के अधीन आवेदन करने की रीति,

(xx) धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति उस धारा की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आवेदन के विज्ञापन और वह रीति जिसमें आवेदन के विरोध की नोटिस दी जाएगी,

(xxi) धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञापन की रीति,

(xxii) अन्य विषय जो कि धारा 63 की उपधारा (2) के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट हो,

(xxiii) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की रीति,

(xxiv) धारा 73 के अधीन आवेदन के विज्ञापन की रीति,

(xxv) धारा 77 के अधीन आवेदन करने की रीति,

(xxvi) धारा 79 के अधीन मालों की श्रेणियाँ,

(xxvii) धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन निर्बंधन तथा शर्तें,

(xxviii) धारा 82 के अधीन सेम्पलिंग द्वारा टेक्सटाइल्स मालों की प्रकृति का विनिश्चय,

(xxix) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों अन्य शर्तें या भुगतान योग्य वेतन तथा भत्ते,

(xxx) धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की अक्षमता या दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जाँच करने की प्रक्रिया,

(xxxi) धारा 90 की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाशर्तें व देय योग्य वेतन व भत्ते या रीति जिसमें धारा 90 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी अपने पदीय कर्त्तव्यों का अनुपालन करेंगे,

(xxxii) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन का प्रारुप तथा रीति सत्यापन व इस तरह के आवेदन पर भुगतान योग्य शुल्क,

(xxxiii) प्रारुप जिसमें धारा 97 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय परिषद के समक्ष दिए जाने वाले आवेदन का प्रारुप जिसमें आवेदन की विशिष्टि भी सम्मिलित होगी,

(xxxiv) धारा 127 के खण्ड (ग) के अधीन पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किए जाने की रीति,

(xxxv) समय जिसके भीतर धारा 128 के अधीन रजिस्ट्रार स्वविवेकीय रीति से किसी आवेदन को स्वीकार कर सकेगा,

(xxxvi) धारा 131 (1) के अधीन किए गए आवेदन का प्रारुप तथा इस पर देय शुल्क,

(xxxvii) धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन ऐसे आवेदन की वापसी का समय,

(xxxviii) धारा 145 के अधीन किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने और व्यापारिक चिह्न अभिकर्त्ता के रूप में पंजीकृत होने की रीति,

(xxxix) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण की शर्तें और उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर में की गई निविष्टि प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने हेतु इस पर देय भुगतान योग्य शुल्क,

(xl) धारा 150 के अधीन पंजीकरण के आवेदन पर देय शुल्क तथा प्रभार और उस धारा के अधीन अन्य विषय,

(xli) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हों या विहित किए जा सकें,

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियमों को निर्मित करने की शक्ति में उपधारा (2) के खण्ड (xxix) या खंड (xxxi) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी

सम्मिलित होगी विशिष्टतया उस तिथि से जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पहले की न हो किन्तु किसी ऐसे नियम को भूतलक्षी प्रभाव इस रीति से नहीं प्रदान किया जाएगा कि इससे उस व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिस पर ऐसे नियम प्रयोज्य होते हों।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम, निर्मित होने के तुरंत पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे जबकि यह तीस दिनों की पूर्ण अवधि में सत्र में हो, जिसमें कि एक या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्र समाविष्ट होंगे, यदि सत्र के पर्यावसान के पूर्व या अविलंब अनुवर्तित सत्र या पश्चात्वर्ती सत्र में दोनों सत्र नियमों में किसी उपांतरण या दोनों सदन सहमत हों कि नियमों को निर्मित नहीं किया जाना चाहिए था, तो इसके पश्चात् नियम उपांतरित रीति से प्रभावी होगा या, विनिश्चय की स्थिति के अनुसार नियम प्रभावित नहीं होगा किन्तु इस तरह के उपांतरण या निर्मित करने के विनिश्चय के पूर्व नियमों के अधीन किए गए कार्यों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

158. संशोधन—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन, उसमें दी गयी विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जा सकेगा।

159. निरसन तथा व्यावृत्ति—(1) ट्रेड एण्ड मर्चेन्डीज मार्क्स एक्ट, 1958 (1958 का अधि० संख्या 43) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) निरसन, किसी अधिसूचना, नियम, आदेश, अपेक्षा, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, नोटिस, विनिश्चय, निर्देश, अनुमोदन, सहमति, आवेदन, अनुरोध, की गयी बात, जो कि ट्रेड एण्ड मर्चेन्डीज मार्क्स एक्ट, 1958 (1958 का 43) के अधीन किए गए हैं, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रवर्तन के प्रारम्भ पर इस अधिनियम के तद्नुरुप उपबंध के अधीन किए गए या दी गयी अथवा जारी की गयी मानी जाएँगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण का आवेदन पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे और इसके परिणामस्वरूप की गयी कार्यवाही या उसके अनुपालन में किए गए पंजीकरण पर भी अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(4) धारा 100 के उपबंधों के विषयाधीन इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किन्हीं बातों के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी न्यायालय में लम्बित कोई विधिक कार्यवाहीं इस अधिनियम के अधीन उस चिह्न के अतिलंघन के तथ्य को नहीं गठित करेगी।

(5) इस अधिनियम में दी गई किसी भी बात के होते हुए जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के विशिष्ट प्रयोग पंजीकृत व्यापारिक चिह्न का अतिलंघन न हो तो उस चिह्न का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन अतिलंघन के तथ्य को गठित नहीं करेगा।

(6) उपधारा (2) में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के पंजीकरण के पर्यावसान की होने वाली तिथि के तुरन्त पश्चात् सात वर्ष होगी, जिस पर यह पंजीकृत या नवीनीकृत किया गया :

बशर्ते कि ट्रेड एण्ड मर्चेन्डीज मार्क्स एक्ट, 1958 (1958 का 43) की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रतिरक्षात्मक व्यापारिक चिह्न का पंजीकरण का प्रभाव अधिनियम के ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के पर्यावसान के तुरंत पश्चात् की तिथि से या उस अवधि के पर्यावसान के पश्चात् से जिस पर यह नवीनीकृत या पंजीकृत किया दोनों में जो पहले भी हो से समाप्त हो जाएगा।

अनुसूची

(देखें धारा 158)

(संशोधन)

वर्ष	अधि०सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
1956	(1)	कम्पनियाँ	(I) धारा 20 की उपधारा (2) के लिए निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः (2) पूर्वगामी शक्ति पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक नाम जो किसी से आनुषांगिक या सदृश हो, (i) नाम जिसमें एक कम्पनी पूर्वतः पंजीकृत की गयी थी। (ii) पंजीकृत व्यापारिक चिह्न या व्यापारिक चिह्न जो कि ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण के आवेदन का विषय है; उपधारा (1) के भावाबोध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवांछनीय माना जाएगा। (3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन नाम को आवांछनीय मानने के पूर्व व्यापारिक चिह्नों के रजिस्ट्रार से परामर्श कर सकेगी। (II) धारा 22 की उपधारा (1) में, (i) शुरुआती भाग में प्रयुक्त वाक्यांश "यदि जरिए" और अन्त की अभिव्यक्ति "प्रथम दी गई कम्पनी" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः "यदि असावधानीवश या अन्यथा एक कम्पनी अपने प्रथम पंजीकरण पर या नये नाम द्वारा इसके पंजीकरण पर कम्पनी एक ऐसे नाम द्वारा पंजीकृत की जाती है जो— (i) केन्द्रीय सरकार की राय में कम्पनी का नाम उस कम्पनी के नाम के आनुषांगिक है या उसके समदृश है जिन नाम द्वारा कम्पनी पूर्वतः पंजीकृत की गयी है क्या वह प्रथम दी गई कम्पनी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या पूर्ववर्ती कम्पनी विधि के अधीन पंजीकृत की गई है। (ii) केन्द्रीय सरकार की राय में व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी द्वारा दिए गए आवेदन पर व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसे सम्पत्तिधारी का पंजीकृत व्यापारिक चिह्न किसी अन्य चिह्न के आनुषांगिक या सदृश हो तो ऐसी कम्पनी— (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है, नामतः— बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारणीय कम्पनी के पंजीकरण की नोटिस के आने की तिथि से पाँच वर्ष पश्चात् पंजीकृत व्यापारिक चिह्न के सम्पत्तिधारी द्वारा उपखण्ड (ii) के अधीन कोई आवेदन नहीं दिया जा सकेगा।